द्वादश माला, खंड 3, अंक 15

शनिवार, 4 जुलाई, 1998
13 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

दूसरा सत्र

(बारहवीं लोक सभा)

(खण्ड 3 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्यः पचास रुपये

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

शनिवार 4 जुलाई, 1998/13 आषाढ़, 1920 (शक)

का

शुद्धि-पत्र

...

कॉलम	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
24	24	फ्लस	फ्लल
29	1	श्री मोहम्मद अली फातमी	श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी
55	1	मैं	में
85	नीचे से 4	श्री अजय चक्रवती	श्री अजय चक्रवर्ती
124	3	श्री लाल कृष्ण आडवानी	श्री लाल कृष्ण आडवाणी
150	3	जानकरी	जानकारी
151	नीचे से 5	श्री नीतिश कुमार	श्री नीतीश कुमार
152	3		
152	23	श्री वरकला राधाकृष्णन	श्री वारकला राधाकृष्णन

सम्पादक मण्डल

श्री एस. गोपालन
महासचिव
लोक सभा

डा॰ अशोक कुमार पांडेय
अपर सचिव
लोक सभा सचिवालय

श्री प्रकाश चन्द्र भट्ट
मुख्य सम्पादक
लोक सभा सचिवालय

श्री केवल कृष्ण
वरिष्ठ सम्पादक

श्री राम लाल गुलाटी
सम्पादक

श्री पीयूष चन्द्र दत्त
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[द्वादश माला, खंड 3, दूसरा सत्र, 1998/1920 (शक)]

अंक 15, शनिवार, 4 जुलाई, 1998/13 आषाढ़, 1920 (शक)

विषय	कालम
अध्यक्ष द्वारा घोषणा	1
सभापटल पर रखे गए पत्र	1—17
विधेयकों पर अनुमति	17—18
ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति	
पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रतिवेदन	18
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
पहला प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश	18
श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति	
पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन	18—19
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
बत्तीसवां प्रतिवेदन	19
गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति	
इकतालीसवां और बयालीसवां प्रतिवेदन	19
गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति	
साक्ष्य	20
मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति	
चौंसठवां, पैंसठवां, छियासठवां और सड़सठवां प्रतिवेदन	20
सभा का कार्य	20
श्री मदन लाल खुराना	20—22
डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय	22
श्री पुन्नू लाल मोहले	22
समिति के लिए निर्वाचन	
नारियल जटा बोर्ड	23
प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन—*विधेयक पुरःस्थापित*	23
खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
पहला प्रतिवेदन	41

विषय	कालम
उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और	
उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक	51—99
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी	51—54, 97—98
श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम्	56, 91—96
श्री नादेन्दला भास्कर राव	57
प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन	57—59
श्री सत्यपाल जैन	59—62
श्री सुरेश कुरूप	62—63
श्री अजित कुमार पांजा	63—68
श्री मोहन सिंह	68—70
श्री गिरधारी लाल भार्गव	70—71
श्री सुशील कुमार शिंदे	72—73
श्री लालू प्रसाद	73—78
श्री शिवराज वी॰ पाटिल	78—79
श्री एस॰ मल्लिकार्जुनय्या	80—81
श्री टी॰आर॰ बालू	82—83
प्रो॰ सैफुद्दीन सोज	83—85
श्री अजय चक्रवर्ती	85—87
श्री बी॰एम॰ मेनसिंकाई	87—88
श्री प्रभु नाथ सिंह	88—91
खंड 2 से 9 और 1	98
पारित करने के लिए प्रस्ताव	98
याचिका का प्रस्तुतीकरण	99
श्री चन्द्रशेखर साहू	99
वित्त (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और	
वित्त (संशोधन) विधेयक	100—109
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी	100—101
श्री यशवंत सिंह	101—102, 106—108
श्री नादेन्दला भास्कर राव	102—103
श्री वारकला राधाकृष्णन	103—106
खंड 2 से 4 और 1	109
पारित करने के लिए प्रस्ताव	109

विषय	कालम
आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक	109—113
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी	109—113
लाटरी (विनियमन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और लाटरी (विनियमन) विधेयक	113—150
विचार करने के लिए प्रस्ताव	
डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी	103—116, 1142—144
श्री लालू प्रसाद	116
श्री लालकृष्ण आडवाणी	116—119, 1140—142
श्री पी॰ शिवशंकर	120—121
श्री विजय गोयल	121—124
श्री मोहन सिंह	124
श्री मोतीलाल वोरा	124—126
श्री मदन लाल खुराना	126—127
श्री वारकला राधाकृष्णन	127—128
प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन	128—129
श्री भुवनेश्वर कालिता	129—130
श्री आदित्य नाथ	131—132
प्रो॰ सैफुद्दीन सोज	132
श्री सत्यपाल जैन	132—133
श्री पवन सिंह घाटोवार	134—135
श्री बासवराज पाटिल सेडाम	135
श्री मित्रसेन यादव	135—136
श्री के॰ येरननायडू	136
श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया	136
श्रीमती मिनाती सेन	136—137
श्री रघुवंश प्रसाद सिंह	137—138
श्री शैलेन्द्र कुमार	138—139
श्री सुरेन्द्र सिंह	139
श्री वीरेन्द्र सिंह	139
श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी	139—140
खंड 2 से 13 और 1	145—150
पारित करने के लिए प्रस्ताव	150
अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा	151—152

लोक सभा

शनिवार, 4 जुलाई, 1998/13 आषाढ़, 1920 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ।। बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्री ए.सी. जोस : महोदय, मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उसके लिए आपको बाद में अनुमति दूंगा। अभी एक घोषणा की जानी है।

श्री सत्यपाल जैन (चण्डीगढ़) : सभापटल पर पत्रों को रखे जाने के पश्चात् आप इस मुद्दे को उठा सकते हैं।

पूर्वाह्न 11.0½ बजे

अध्यक्ष द्वारा घोषणा

सभा की बैठक के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यो, मुझे सभा को सूचित करना है कि सरकार ने ईदे-मिलाद-उन-नबी के उपलक्ष्य में मंगलवार 7 जुलाई, 1998 की बजाय बधुवार, 8 जुलाई, 1998 को अवकाश की घोषणा की है।

इसीलिए अब सभा की बैठक मंगलवार, 7 जुलाई, 1998 को होगी और 8 जुलाई, 1998 के लिए निर्धारित कार्य सूची (प्रश्नों सहित) मंगलवार 7 जुलाई, 1998 को ली जाएगी। 8 जुलाई, 1998 को अवकाश रहेगा।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

(एक) अंडमान और निकोबार आईलैण्ड्स इण्टेग्रेटेड डेवलेपमेण्ट कारपोरेशन, पोर्ट ब्लेयर का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की समीक्षा

[अनुवाद]

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण): —

(एक) अंडमान और निकोबार आईलैंड्स इन्टेग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) अंडमान और निकोबार आईलैंड्स इन्टेग्रेटेड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 1997-98 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 799/98]

(दो) नेशनल सेन्टर फॉर ट्रेड इन्फार्मेशन और इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन इत्यादि के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और कार्यकरण की समीक्षा

वाणिज्य मंत्री (श्री रामकृष्ण हेगड़े) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) नेशनल सेंटर फार ट्रेड इन्फार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल सेंटर फार ट्रेड इन्फार्मेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 800/98]

(ख) (एक) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाइजेशन, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे और उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने पर हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले दो विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। *देखिये* संख्या एल.टी. 801/98]

(3) (एक) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 802/98]

(5) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैकेजिंग, मुम्बई के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 803/98]

(7) भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन और वाणिज्य मंत्रालय के बीच वर्ष 1997-98 के लिए समझौता ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 804/98]

(9) (एक) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) एग्रीकल्चरल एण्ड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथारिटी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 805/98]

(11) (एक) शेल्लैक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) शेल्लैक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) शेल्लैक एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) के उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 806/98]

(तीन) जूट मैनुफैक्चर्स डेवलपमेन्ट काउन्सिल, कलकत्ता इत्यादि के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे और कार्यकरण की समीक्षा

वस्त्र मंत्री (श्री काशीराम राणा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) जूट मैनुफैक्चर्सकरस डेवलपमेंट काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) जूट मैनुफैक्चरस डेवलपमेंट काउंसिल, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 807/98]

(3) (एक) नेशनल सेंटर फार जूट डाइवर्सीफिकेशन, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल सेंटर फार जूट डाइवर्सीफिकेशन, कलकत्ता के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 808/98]

(5) (एक) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फार हैण्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल फार हैण्डीक्राफ्ट्स, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 809/98]

(7) (एक) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल नौयडा के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कारपेट एक्सपोर्ट प्रोमोशन काउंसिल नौयडा के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 810/98]

(9) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(क) (एक) सेन्ट्रल काटेज इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) सेन्ट्रल काटेज इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 811/98]

(ख) (एक) नोर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नोर्थ ईस्टर्न हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम डवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, शिलांग का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 812/98]

(ग) (एक) हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हैण्डीक्राफ्ट्स एण्ड हैण्डलूम एक्सपोर्ट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 813/98]

(चार) कतिपय विदेशी मुद्राओं को भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा को विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनियमन की संशोधित दरों के बारे में व्याख्यात्मक वक्तव्य इत्यादि।

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) का-आ- 530 (अ) जो 28 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमयन की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दो) का-आ- 531 (अ) जो 28 जुलाई, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन

हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीन) का॰आ॰ 600(अ) जो 26 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरितर्वन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चार) का॰आ॰ 601(अ) जो 26 अगस्त, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में है, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पांच) का॰आ॰ 677(अ) जो 25 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छः) का॰आ॰ 678(अ) 25 सितम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सात) का॰आ॰ 749 (अ) जो 27 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(आठ) का॰आ॰ 750(अ) जो 27 अक्तूबर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयाजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(नौ) का॰आ॰ 782 (अ) जो 19 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(दस) का॰आ॰ 783(अ) जो 19 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(ग्यारह) का॰आ॰ 794(अ) जो 24 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कपितय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बारह) का॰आ॰ 795(अ) जो 24 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेरह) का॰आ॰ 800(अ) जो 27 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा उनका शुद्धि-पत्र जो 28 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का॰आ॰ 807(अ) में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौदह) का॰आ॰ 801(अ) जो 27 नवम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन

हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पन्द्रह) का॰आ॰ 809(अ) जो 1 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सोलह) का॰आ॰ 814(अ) जो 2 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनियम की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्रह) का॰आ॰ 875(अ) जो 16 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कपितय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठारह) का॰आ॰ 905(अ) जो 26 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उन्नीस) का॰आ॰ 906(अ) जो 26 दिसम्बर, 1997 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनियम की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बीस) का॰आ॰ 25(अ) जो 6 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इक्कीस) का॰आ॰ 41(अ) जो 13 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बाईस) का॰आ॰ 46(अ) जो 15 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तेईस) का॰आ॰ 84(अ) जो 27 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(चौबीस) का॰आ॰ 85 (अ) जो 27 जनवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(पच्चीस) का॰आ॰ 153(अ) जो 24 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(छब्बीस) का॰आ॰ 154(अ) जो 24 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(सत्ताईस) का॰आ॰ 163 (अ) जो 4 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(अठाईस) का॰आ॰ 248 (अ) जो 26 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र के प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(उनतीस) का॰आ॰ 249 (अ) जो 26 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(तीस) का॰आ॰ 349(अ) जो 27 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(इकतीस) का॰आ॰ 350 (अ) जो 27 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो निर्यातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(बत्तीस) का॰आ॰ 118 (अ) जो 10 फरवरी, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो आयातों के निर्धारण के प्रयोजनार्थ कतिपय विदेशी मुद्राओं के भारतीय मुद्रा में अथवा भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्राओं में संपरिवर्तन हेतु विनिमय की संशोधित दरों के बारे में हैं, तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰ 814/98]

(2) (एक) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एण्ड पालिसी, नई दिल्ली के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों का सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰ 815/98]

(4) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 की धारा 3 के अंतर्गत जारी की गयी अधिसूचना संख्या सा॰का॰नि॰ 181 (अ) जो 7 अप्रैल, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा जबलपुर में ऋण वसूली न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰ 816/98]

(5) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक अधिनियम, 1989 की धारा 30 की उपधारा (5) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 1996-97 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, लखनऊ के वर्ष 1996-97 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰ 817/98]

(7) 31 मार्च, 1997 को समाप्त हुए वर्ष के लिए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के निम्नलिखित वार्षिक प्रतिवेदनों और लेखाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन :—

(एक) कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक, कोरापुट

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰ 818/98]

(दो) वर्दा ग्रामीण बैंक, उत्तर कन्नड

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल॰टी॰ 819/98]

(तीन) पुरी ग्राम्य बैंक, पीपली।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 820/98]

(चार) पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पलामू।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 821/98]

(पांच) वर्द्धमान ग्रामीण बैंक, वर्द्धमान।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 822/98]

(छः) उत्तरबंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कूचबिहार।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 823/98]

(सात) श्रीराम ग्रामीण बैंक, निजामाबाद।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 824/98]

(आठ) अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक, ईस्ट सियांग।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 825/98]

(नौ) श्री विशाखा ग्रामीण बैंक, विशाखापत्तनम।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 826/98]

(दस) चैतन्य ग्रामीण बैंक, गुंटूर।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 827/98]

(ग्यारह) कच्छ ग्रामीण बैंक, कच्छ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 828/98]

(बारह) पाटिलीपुत्र ग्रामीण बैंक, पटना।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 829/98]

(तेरह) शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, शाहजहांपुर।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 830/98]

(चौदह) सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सल्तानपुर।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 831/98]

(पन्द्रह) बरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बरेली।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 832/98]

(सोलह) नैनीताल अल्मोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, नैनीताल।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 833/98]

(सत्रह) रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, रायबरेली।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 834/98]

(अठारह) साबरकंठ गांधीनगर ग्रामीण बैंक, साबरकंठ।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 835/98]

(उन्नीस) अम्बाला कुरूक्षेत्र ग्रामीण बैंक, अम्बाला।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 836/98]

(बीस) प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, प्रतापगढ़।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 837/98]

(इक्कीस) नालंदा ग्रामीण बैंक, नालंदा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 838/98]

(बाईस) यावतमाल ग्रामीण बैंक, यावतमाल।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 839/98]

(तेईस) पर्वतीय ग्रामीण बैंक, चम्बा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 840/98]

(चौबीस) मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक, नांदेड।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 841/98]

(पच्चीस) बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बूंदी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 842/98]

(छब्बीस) सरस्वती ग्रामीण बैंक, बहराइच।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 843/98]

(सत्ताईस) मालाप्रभा ग्रामीण बैंक, धारवाड़।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 844/98]

(अट्ठाईस) जामनगर राजकोट ग्रामीण बैंक, जामनगर।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 845/98]

(उनतीस) पिनाकिनी ग्रामीण बैंक, नेल्लोर।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 846/98]

(तीस) बस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बस्तर।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 847/98]

(इकतीस) विश्वेश्वरैया ग्रामीण बैंक, माण्डया।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 848/98]

(बत्तीस) रायलसीमा ग्रामीण बैंक, कुड्डपा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 849/98]

(तैंतीस) समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, समस्तीपुर।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 850/98]

(चौंतीस) अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 851/98]

(पैंतीस) नीमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ईस्ट नीमाड़।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 852/98]

(छत्तीस) अलखनंदा ग्रामीण बैंक, पौड़ी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 853/98]

(सैंतीस) देवी पाटन क्षेत्रीय, ग्रामीण बैंक, गौंडा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 854/98]

(अड़तीस) कोलार ग्रामीण बैंक, कोलार।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 855/98]

(उनतालीस) इलाकेयी देहाती बैंक, श्रीनगर।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 856/98]

(चालीस) सागर ग्रामीण बैंक, अमतला।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 857/98]

(इकतालीस) जूनागढ़, अमरेली ग्रामीण बैंक, जूनागढ़।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 858/98]

(बयालीस) ग्वालियर दातिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ग्वालियर।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 859/98]

(तैंतालीस) राजगढ़ सीहोर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राजगढ़।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 860/98]

(चवालीस) हावड़ा ग्रामीण बैंक, हावड़ा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 861/98]

(पैंतालीस) सारन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, सारन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 862/98]

(छियालीस) बालासोर ग्राम्य बैंक, बालासौर।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 863/98]

(सैंतालीस) फारूंखाबाद ग्रामीण बैंक, फारूंखाबाद।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 864/98]

(अड़तालीस) मधुबनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मधुबनी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 865/98]

(उनचास) हिमाचल ग्रामीण बैंक, मंडी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 866/98]

(पच्चास) हाड़ोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, कोटा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 867/98]

(इक्यावन) रतनागिरी सिन्धुदुर्ग ग्रामीण बैंक, रतनागिरी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 868/98]

(बावन) जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक, जयपुर।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 869/98]

(तिरपन) कृष्णा ग्रामीण बैंक, गुलबर्गा।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 870/98]

(चौवन) जम्मू रूरल बैंक, जम्मू।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 871/98]

(पचपन) हिसार-सिरसा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, हिसार।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 872/98]

(छप्पन) ऋषिकुल्य ग्रामीण बैंक, गंजम।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 873/98]

(सत्तावन) मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मुंगेर।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 874/98]

(8) अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधी भारतीय अनुसंधान परिषद द्वारा वर्ष 1996-97 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखापरीक्षित लेखों को सभा पटल पर रखे जाने में हुए विलंब के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 875/98]

(पांच) कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के अधीन अधिसूचनाएं

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : श्री दिलीप राय की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध अधिनियम, 1948 की धारा 7क के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) कोयला खान पेंशन योजना, 1998 जो 5 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा-का-नि- 123 (अ) में प्रकाशित हुई थी तथा एक शुद्धि-पत्र जो 25 मई, 1998 की अधिसूचना संख्या सा-का-नि- 269 (अ) में प्रकाशित हुआ था।

(दो) कोयला खान पेंशन (संशोधन) योजना, 1998 जो 25 मई, 1998 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा-का-नि- 268 (अ) में प्रकाशित हुई थी।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 876/98]

(2) कोयला खान पेंशन योजना, 1998 के पैरा 1 के उप पैरा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का-आ- 233 (अ) जो 21 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 1998 को

ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया था। जिसको उक्त योजना प्रवृत्त होगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 877/98]

(3) कोयला खान भविष्य निधि तथा प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) अधिनियम, 1996 की धारा 1 की उपधारा (2) के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या का-आ- 232 (अ) जो 21 मार्च, 1998 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा 31 मार्च, 1998 को ऐसी तारीख के रूप में नियत किया गया था जिसको उक्त अधिनियम प्रवृत्त होगा, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 878/98]

(छह) भेल और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स इंडिया लि- का भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के साथ वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : श्री सुखबीर सिंह बादल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 879/98]

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड और भारी उद्योग विभाग, उद्योग मंत्रालय के बीच वर्ष 1998-99 के लिए समझौता ज्ञापन।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल-टी- 880/98]

पूर्वाह्न 11.02 बजे

विधेयको पर अनुमति

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, 28 मई 1998 को सभा को सूचित करने के पश्चात् चालू सत्र के दौरान संसद की दोनों सभाओं द्वारा पारित और राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त 5 विधेयक मैं सभा पटल पर रखता हूं :

(1) विनियोग (रेल) संख्यांक 2 विधेयक, 1998;

(2) वाणिज्य पोत परिवहन (संशोधन) विधेयक, 1998;

(3) कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबंध (संशोधन) विधेयक, 1998;

(4) उपदान संदाय (संशोधन) विधेयक, 1998; और

(5) लोक प्रतिनिधितत्व (संशोधन) विधेयक, 1998।

[अनुवाद]

ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति

पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा प्रतिवेदन

श्री के- करूणाकरण (तिरूअनन्तपुरम) : मैं ऊर्जा संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

(1) परमाणु ऊर्जा विभाग संबंधी अनुदानों की मांगों (1998-99) पर पहला प्रतिवेदन।

(2) कोयला मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों (1998-99) पर दूसरा प्रतिवेदन।

(3) अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों (1998-99) पर तीसरा प्रतिवेदन।

(4) विद्युत मंत्रालय संबंधी अनुदानों की मांगों (1998-99) पर चौथा प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

पहला प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश

[अनुवाद]

डा- टी- सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : मैं वित्त (संशोधन) विधेयक, 1998 के बारे में वित्त संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन और कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.04½ बजे

श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति

पहला, दूसरा और तीसरा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : मैं श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :

[श्री हरिन पाठक]

(1) "अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता" के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में पहला प्रतिवेदन।

(2) अनुदानों की मांगें—श्रम मंत्रालय—1997-98 के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में दूसरा प्रतिवेदन।

(3) अनुदानों की मांगें — कल्याण मंत्रालय — 1997-98 के बारे में श्रम और कल्याण संबंधी स्थायी समिति (ग्यारहवीं लोक सभा) के सातवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के बारे में तीसरा प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.04¼ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

बत्तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री कल्पनाथ राय (घोसी) : मैं पूर्ति विभाग (वाणिज्य मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1998-99) के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का बत्तीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति

इकतालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : मैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक, 1998 के संबंध में गृह मामलों संबंधी समिति का इकतालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

ब्यालीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री सत्यपाल जैन : मैं लॉटरी (विनियमन) विधेयक, 1998 के बारे में गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति का बयालीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

साक्ष्य

श्री सत्यपाल जैन : मैं लॉटरी (विनियमन) विधेयक, 1998 के बारे में गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति के समक्ष दिए गए साक्ष्य प्रस्तुत करता हूं।

पूर्वाह्न 11.07 बजे

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति

चौसठवां, पैंसठवां, छियासठवां और सड़सठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष महोदय, मैं मानव संसाधन विकास संबंधी स्थाई समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करती हूं :—

1. शिक्षा विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की मांगों के संबंध में चौसठवां प्रतिवेदन।
2. युवा मामले और खेल विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की मांगों के संबंध में पैंसठवां प्रतिवेदन;
3. महिला एवम् बाल विकास विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की मांगों के संबंध में छियासठवां प्रतिवेदन;
4. संस्कृति विभाग (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) की वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की मांगों के संबंध में सड़सठवां प्रतिवेदन।

पूर्वाह्न 11.08 बजे

सभा का कार्य

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : महोदय, आपकी अनुमति से मैं यह घोषणा करता हूं कि सोमवार, 6 जुलाई, 1998 से प्रारम्भ होने वाले सप्ताह के दौरान इस सदन में निम्नलिखित सरकारी कार्य लिया जाएगा :—

1. आज की कार्य सूची से बकाया सरकारी कार्य की किसी भी मद पर विचार।

2. निम्नलिखित मंत्रालयों के नियत्रंणाधीन वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान :—

(1) विदेश

(2) गृह

(3) कृषि

श्री ए-सी- जोस (मुकुन्दपुरम्) : मैं भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया सभा के कार्यों की सूची में दर्शायी गई मदों पर चर्चा पूरी होने दीजिए फिर मैं आपको मामला उठाने की अनुमति दूंगा।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा इस सभा के ध्यान में लाना चाहूंगा। यह भा-ज-पा- सरकार के नेतृत्व में बनी दिल्ली सरकार के उस निर्णय के संबंध में है जिसमें गिरिजाघरों को धार्मिक स्थान न मानते हुए उन्हें धार्मिक स्थली की अधिसूचित सूची से निकालने का निर्णय लिया गया है। इसके पीछे जो कारण दिया गया वह बहुत ही आश्चर्यजनक है। गिरिजाघरों में मदिरा पान किया जाता है। जो व्यक्ति ईसाई धर्म की थोड़ी सी भी जानकारी रखता है उसे मालूम होगा कि मदिरा को एक पवित्र चिह्न के रूप में माना जाता है, इसे ईसा मसीह का लहू समझा जाता है।

मैं नही समझता कि भा-ज-पा- नेतृत्व में किसी तरह की कमी के कारण ऐसा हुआ है। दिल्ली की भा-ज-पा- सरकार द्वारा यह सोच विचारकर, जानबूझकर अल्पसंख्यक समुदाय की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से यह कोशिश की गई है। यह एक गंभीर मुद्दा है। मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे ईसाई लोगों का डर दूर करने के लिए और इस देश के लोगों की लोकतंत्रात्मक भावनाओं का सम्मान करते हुए इस संबंध में कुछ कहें।

श्री ए-सी- जोस : मैं भी यह मुद्दा उठाना चाहता हूं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आप दोनों को अवसर दूंगा। मैं आपको 'शून्य काल' में बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी नहीं जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया मेरी बात सुनिए। आप सभी ने मुझे नोटिस दिए हैं और मैंने नोट भी कर लिए हैं। मैं आपको 'शून्य काल' में इन्हें उठाने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, जो प्रश्न माननीय सदस्यों ने उठाया है, वह भावनाओं से जुड़ा हुआ है। समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट के आधार पर माननीय सदस्यों ने शायद यह जानकारी प्राप्त की है। इस संबंध में तथ्य क्या हैं, हम दिल्ली सरकार से पता लगा रहे हैं और अगर इस तरह का कोई प्रतिबन्ध लगाने का विचार है, तो वह गलत है। क्रिश्चियन समाज की भावनाओं का पूरी तरह आदर किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आपस में चर्चा नहीं करिए। यह स्पष्ट है। डा- लक्ष्मी नारायण पाण्डेय।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा- लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया आगामी सप्ताह की कार्यसूची में निम्न विषयों को जोड़ा जाए —

1. देश में बढ़ते हुए खाद्य तेलों की आवश्यकता तथा उत्पादन में आनुपातिक कमी को देखते हुए समस्या के समाधान हेतु एक "खाद्य तेल" संबंधी नीति निर्धारित की जाए।

2. स्लेट पैंसिल उद्योग में कार्यरत श्रमिक को जो "सिलिकोसिस बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं, उनके स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु उपयुक्त विधान की आवश्यकता।

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : अध्यक्ष महोदय, कृपया अगले सप्ताह कार्य सूची में निम्नलिखित विषयों को जोड़ा जाए—

1. पूरे देश के किसानों के लिए केन्द्र सरकार फसल बीमा योजना तत्काल लागू करें, जिससे उन्हें न्याय मिल सके।

2. विकलांग बच्चे, अपंग, निराश्रित, बूढ़े, महिला तथा लड़कियों के लिए निःशुल्क शिक्षा तथा बेरोजगारों को सरकारी नौकरी में लिए जाने के लिए पांच प्रतिशत आरक्षण दिया जाए।

[अनुवाद]

श्री के- करूणाकरण (तिरूअनन्तपुरम्) : महोदय माननीय प्रधानमंत्री जी को सोमवार को सभी तथ्यों सहित सभा को सूचित करना चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, सभा मद संख्या 19 पर चर्चा करेगी।

पूर्वाह्न 11.13 बजे

समिति के लिए निर्वाचन

नारियल जटा बोर्ड

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : महोदय, मैं निम्नलिखित प्रस्ताव करता हूं :

> "कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (एक) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्यों को निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि नारियल जटा उद्योग नियम, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (एक) (ङ) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से जैसाकि अध्यक्ष निदेश दें, केन्द्र सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाने वाली अवधि के लिए नारियल जटा बोर्ड के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से 2 सदस्यों को निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

पूर्वाह्न 11.14 बजे

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : महोदय, मैं प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान करने के लिए प्रस्ताव करता हूं :

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

> "कि प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री यशवन्त सिन्हा : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो खंड 2, दिनांक 4 जुलाई, 1998 में प्रकाशित।

अध्यक्ष महोदय : अब 'शून्य काल' प्रारंभ होता है। श्री ए-सी- जोस।

श्री ए-सी- जोस : यह मामला यहां उठाया गया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जवाब दिया था। हम उनके आभारी हैं। लेकिन, इसके साथ ही, इसका उल्लेख केवल समाचार पत्रों की रिपोर्टों में ही नहीं किया गया है।...*(व्यवधान)* दिल्ली सरकार के परिवहन तथा उत्पाद मंत्री ने एक वक्तव्य जारी किया है जिसमें कहा गया है कि गिरिजाघरों के समीप मदिरापान का वहां की पवित्रता से कोई संबंध नहीं है। इसलिए मदिरापान किया जा सकता है और शराब की दुकानें खोली जा सकती है। यह दिल्ली सरकार के परिवहन तथा उत्पाद मंत्री का वक्तव्य है। इसलिए, इस पर गंभीरता से ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हम समाचार-पत्रों की रिपोर्ट पर निर्भर करते हैं। यह समाचार-पत्रों की रिपोर्ट पर आधारित नहीं है। यह दिल्ली सरकार के परिवहन तथा उत्पाद विभाग के प्रभारी मंत्री श्री राजेन्द्र गुप्ता द्वारा दिये गये वक्तव्य में कहा गया कि गिरिजाघर के अन्दर मदिरापान से वहां की पवित्रता का कोई संबंध नहीं है क्योंकि गिरिजाघर में मदिरापान हो रहा है। इसलिए, यह एक गंभीर मामला है जिस पर सरकार को विचार-विमर्श करना चाहिए। मुझे सूचना मिली है कि उन्होंने टेलीविजन पर एक साक्षात्कार भी दिया है।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कल मध्य प्रदेश के करीब दस हजार किसानों ने दिल्ली में आकर प्रदर्शन किया। केन्द्र सरकार की जो किसान विरोधी नीति है उस नीति के अंतर्गत वर्ष 1997-98 में मध्य प्रदेश मे 222 लाख हैक्टेयर जमीन पर फलस का नुकसान हुआ है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री वोरा को बुलाया है, न कि आपको। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनंदगांव) : महोदय, यह सरकार पूर्णतः कृषकों के विरुद्ध है। वे मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैं आपकी अनुमति से बोल रहा हूं। क्या मुझे बोलने से पहले उनकी अनुमति लेनी होगी?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री वोरा बोल रहे है उसके अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार ने मध्य-प्रदेश के किसानों के साथ अन्याय किया है।...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, कृपया अपने स्थान ग्रहण करें। यह ठीक नहीं है। मैं आपको भी अनुमति दूंगा।

श्री पी॰ शिव शंकर (तेनाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय सदस्य, आपकी अनुमति से बोलने के लिए खड़े हुए हैं। वे शोर मचाते जा रहे हैं और उधर मुख्य सचेतक चुपचाप बैठे हैं। महोदय आपको उन्हें रोकना चाहिए। यह उनकी गलत बात है... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा : महोदय, मैं केन्द्र सरकार के ध्यान में इस बात को लाना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आपको अनुमति दूंगा।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : माननीय अध्यक्ष महोदय, नेताओं की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि आज सभा में व्यवस्था रहेगी और सभी विधेयक पारित कर दिए जायेंगे और हमने सरकार को सहयोग देने का वचन दिया था। अब इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करना सरकार का कार्य है। जबकि हमारे सदस्य बोल रहे हो उस समय यदि वे हस्तक्षेप करते हैं और समस्याएं उत्पन्न करते हैं तो सरकार के साथ उनका क्या तालमेल हुआ? तब हम भी अपने वचन से पीछे हट जायेंगें। फिर उन्हें विधेयक पारित करवाने दीजिए। यह तरीका नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि चित्त भी उनकी हो और पट भी उनकी हो।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर) : महोदय, मैं प्रो॰ कुरियन से सहमत हूं लेकिन मैं उनसे केवल यह अनुरोध करूंगा कि वह यह भी देखे कि उनके अपने सदस्य हस्तक्षेप न करें। उनके अपने दल के नेता बोल रहे हैं और वह उनको बार-बार बीच में टोक रहे हैं और हस्तक्षेप कर रहे हैं। वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? दूसरे पक्ष के सदस्य यह नहीं कर रहे हैं; वह स्वयं ऐसा कर रहे हैं। इस तरह से सभा कैसे चल सकती है?

[हिन्दी]

श्री मोतीलाल वोरा : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र की सरकार किसान विरोधी है। किसान विरोधी होने का सबसे बड़ा उदाहरण इस बात का है कि 1997-98 के वर्ष में मध्य प्रदेश में 222 लाख हैक्टेयर जमीन पर फसल का नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अप्रैल के महीने में ज्ञापन दिए और उनमें इस बात की मांग की कि मध्य प्रदेश को 2120 करोड़ रुपए की राशि दी जाए। भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव लड़ रही थी, उस समय उन्होंने कहा था कि अगर उनकी सरकार केन्द्र में बनेगी तो किसानों को पांच हजार रुपए एकड़ के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा। इस बात को लेकर उनसे पांच-पांच रुपए के फार्म भरवाए गए। न मालूम कितने लाख रुपए के फार्म भरवाए गए? हमें इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे प्रधान मंत्री मध्य प्रदेश के हैं लेकिन मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जिन का कवि जैसा हृदय है, वह किसानों की पीड़ा से बिल्कुल नहीं पिघले। कवि हृदय इतना विशाल होता है कि जहां किसान दुखी हो गया तो उसके दर्द में शामिल हो जाता है। अगर यही हाल रहा।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश के किसानों ने कल प्रदर्शन किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, कृपया बीच में टोकाटाकी मत करिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा॰ पाण्डेय, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वोरा, कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री मोतीलाल वोरा : महोदय, मैं एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वे मध्य प्रदेश के सभी कृषकों के अनुरोध पर विचार करें। हम कल प्रधानमंत्री जी से मिले थे। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वह मामले पर विचार करेंगें। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी अवश्य इस मामले पर गौर करेंगें। हमें केवल देश के प्रधानमंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी पर विश्वास है। केवल आश्वासनों से ही समस्याएं कम नहीं होती हैं।. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल।

श्री मोतीलाल वोरा : हम केवल उन्हीं पर विश्वास करते हैं। इसलिए, मैंने कहा कि मध्य प्रदेश के कृषकों की शिकायतों पर विचार करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल को बुलाया है। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों कृपया सहयोग दें, मैंने अभी डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल का नाम पुकारा है।

[हिन्दी]

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के बाहर सारी बसें रोकी हुई हैं। मध्य प्रदेश के किसानों ने कल प्रदर्शन किया।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : डा. मदन प्रसाद जायसवाल।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? कृपया सभा की गरिमा बनाए रखें। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कृपया नियमों का पालन करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : अध्यक्ष जी, आज बिहार में जंगल राज कायम है। बिहार की स्थिति ऐसी हो गई है कि राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व ऊर्जा मंत्री...*(व्यवधान)*

श्री राजेश पायलट (दौसा) : अध्यक्ष महोदय प्रधानमंत्री यहां मौजूद हैं। इधर से और उधर से भी यह भावना है

[अनुवाद]

उन्हें बताना चाहिए कि वे इस बारे में क्या कदम उठाने जा रहे है। वह यहां बैठे हैं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस सूची का सम्मान करना है।

श्री राजेश पायलट : अन्यथा यहां प्रतीक्षा करने और बैठने का कोई फायदा नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री यहां उपस्थित हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने प्रति एकड़ 5000 रुपये देने का वचन दिया है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा।

श्री राजेश पायलट : मेरा कहना है कि आप दूसरे विषय पर जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि मैंने पहले ही उनका नाम पुकार दिया है अतः मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा।

श्री राजेश पायलट : मैं सहमत हूं। किन्तु बात यह है कि सदस्य ने मुद्दा उठाया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री पायलट कई सदस्यों ने सूचनाएं दी हैं। यदि आप बोलने के इच्छुक है तो मैं आपको बाद में बुलाऊंगा।

श्री राजेश पायलट : महोदय यह आपके द्वारा मुझे बुलाने का प्रश्न नहीं है। माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया है। माननीय प्रधानमंत्री यहां बैठे हैं। हम जानना चाहते हैं कि क्या उन्होंने ऐसा किया या नहीं।...*(व्यवधान)* यह उनके हित में भी है। हम चाहते हैं कि किसानों की सहायता की जाए और वे भी ऐसा ही चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : यदि इतने अधिक सदस्य इस विषय पर बोलने के इच्छुक हैं तो मैं आपको बाद में बुलाऊंगा। अब कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री राजेश पायलट : महोदय, यह पुनः बुलाने का सवाल नहीं है। यह उनका भी अनुरोध है।

अध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें भी अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

डा॰ मदन प्रसाद जायसवाल : अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व ऊर्जा मंत्री और विधायक श्री ब्रज बिहारी प्रसाद हमारे यहां की सासंद श्रीमती रमा देवी के पति थे। उनकी हत्या ज्युडिशियल कस्टडी में बिहार के एक अस्पताल में कर दी गई। उसके ठीक दूसरे दिन सी॰पी॰आई॰ (एम) के विधायक श्री अजीत सरकार की हत्या कर दी गई। उसके पूर्व श्री वीरेन्द्र दुबे, विधायक, समता पार्टी की हत्या कर दी गई थी। बिहार के राजनैतिक नेताओं में राष्ट्रीय जनता दल के जो प्रभारी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, इस तरह से उन लोगों की हत्या की जा रही है। आज बिहार में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है। वहां पर आतंकवाद फैल गया है। आज बिहार की सरकार में आठ मंत्री ऐसे हैं जिनके ऊपर वारंट इशू हैं। यह अखबारों में छपा है कि राबड़ी देवी सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रहीं है। वहां पर आठ मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। अपहरणकर्त्ताओं को संरक्षण राबड़ी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। जो हत्यायें कराई गई हैं, इसमें श्रीमती रमादेवी ने आरोप लगाया है कि इन हत्याओं में बिहार के दो मंत्री शामिल हैं, उन लोगों ने मिलकर हत्यायें कराई हैं और सरकारी तंत्र द्वारा हत्यायें कराई गई हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस मामले की जांच कराई जाये। यह बिहार का बहुत ही गंभीर मामला है। यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाये। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि बिहार में विधानसभा नहीं चल रही है। मैं मांग करता हूं कि सरकार इन हत्याओं की जांच सी॰बी॰आई॰ द्वारा कराये...*(व्यवधान)* आज बिहार में आतंकवाद फैल रहा है। मैं मांग करता हूं कि मामले की गंभीरता को देखते हुये जांच कराई जाये।

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री मोहम्मद अली फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, यह उनकी पत्नी हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी यह आवश्यक नहीं है कि आप हर मामले पर बोलें, मुझे उन सदस्यों के नाम पुकारने हैं जिन्होंने 10 बजे से पूर्व सूचनाएं दी हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, जिस विधायक की हत्या की गई है, उनकी यह पत्नी हैं।

श्रीमती रमा देवी (मोतीहारी) : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलना चाह रही हूं, यदि बोलने नहीं देंगे तो किसी को बोलने नहीं दूंगी...

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आरोप लगाया है। मेरा अनुरोध है कि जिनके पति की हत्या हुई, माननीय रमा देवी की बात सुन लीजिये, उसके बाद हम लोगों को बोलने का मौका दिया जाये।

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदय, 8 तारीख को जब मैंने इस सदन में अपना दुख व्यक्त किया था कि हमारे पीछे सी॰बी॰आई॰ केडी॰एस॰पी॰ श्री आर॰के॰ सिंह लगे हुये हैं और मेरे पति की जान लेने पर लोग तुले हुये हैं। इतने फीवर में जबरदस्ती उन्हें ले गये और उनसे आरजू-मिन्नत करके आपको लिखकर दिया। हमसे कहा गया कि चुप रहो नहीं तो इस सांसद को हथकड़ी पहना देंगे। इससे सभी सांसदों की तौहीन हुई न कि पक्ष या विपक्ष की। फिर भी हमारी बात ध्यान से नहीं सुनी गई। यहां पर प्रीवलेज कमेटी के गठन करने का आश्वासन दिया गया। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि कमेटी का गठन कब तक करेंगे। जब मेरे पति की हत्या हो गई, जिस तरह से हत्या हुई, सभी लोगों के बीच मैं जब मांग कर रही थी कि मेरे पति को मारने के लिये पीछे लगे हुये हैं। जब सांसद होकर मैं अपनी सुरक्षा नहीं कर पाई तो एक साधारण महिला कैसे कर पाएगी? इस सदन में महिलाओं की इज्जत नहीं है। यहां महिला समाज को दबाया गया और दूसरी ओर मेरे पति का कत्ल किया गया।...*(व्यवधान)* राष्ट्रीय जनता दल का कोई एम॰एल॰ए॰ हो या मंत्री हो, वे यह नहीं चाहेंगे कि अपने मंत्री की हत्या करें। जिस आदमी ने हत्या की है, उसकी जांच होनी चाहिए और वे समता पार्टी के आदमी हो या बीजेपी के आदमी हों, उनको सजा मिलनी चाहिए।... *(व्यवधान)* मुझे बोलने दीजिए। मेरे बाल-बच्चे अनाथ हो गए। कल आप भी सोचिये कि आपके साथ क्या होगा। आप खड़े मत होइये। हम किसी का खड़ा होना बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज तक जो हुआ, हमें उसका हिसाब चाहिए और अभी हिसाब चाहिए। सबसे पहले आप टीवी ऑन कीजिए ताकि सारा देश और दुनिया देखे कि हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया और हमारे पति को मार दिया गया। हमारे पति को वापस लाइए। इसी सदन में सारी महिलाएं और सारे सदस्य लोग आपके वैल में जाकर चिल्लाए थे, लेकिन आप लोगों ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? हमें जवाब चाहिए और इसी सदन में जवाब चाहिए।...*(व्यवधान)* हमको जवाब चाहिए। दूसरा कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। इससे बड़ा प्रश्न कोई नहीं है कि आज हर आदमी की जिन्दगी पर खतरा बना हुआ है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : रमा देवी जी, आप बैठिये।

श्रीमती रमा देवी : जब तक मेरी बात की जवाब नहीं दिया जाएगा, मैं नहीं बैठूंगी। इस बात के लिए मैं इतनी हिम्मत लेकर आई हूं।...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ शिव शंकर : हम आपकी ही बात कर रहे हैं।

[अनुवाद]

महोदय, निःसंदेह यह एक बहुत गंभीर मामला है आपको याद होगा कि माननीया सदस्या ने इस मुद्दे को सभा में उठाया था, वे सभा के बीचों-बीच तक आ गई थी और आपको एक लिखित शिकायत दी थी। आपने इसे विशेषाधिकार समिति को सौपने की कृपा थी क्योंकि उनके विशेषाधिकार भी प्रभावित हुए थे अब इन परिस्थितियों में उन्होंने कहा है कि उनके पति और स्वयं उनके जीवन को भी खतरा है। उन्होंने इस बात की ओर भी आपका ध्यान दिलाया कि किस प्रकार उस अधिकारी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। उन्होंने एक लिखित शिकायत दी थी। उस शिकायत पर आपने विचार करने के बाद विशेषाधिकार समिति को सौंप दिया था। मैं नहीं जानता कि उसके बाद उसका क्या हुआ, किन्तु अभी तक किसी विशेषाधिकार समिति का गठन नहीं किया गया है और वह मामला अभी उस समिति में नहीं गया है। इस सदन में शोरशराबा और इस मामले को आपके तथा प्रधान मंत्री व सभी मंत्रियों के ध्यान में लाए जाने के बावजूद यदि इस तरह से उनके पति की हत्या की जाती है तो फिर हमें किस प्रकार की सुरक्षा प्राप्त है? किसी भी सदस्य को कोई सुरक्षा नहीं रहेगी। यदि इस सम्माननीय सभा की एक सदस्या अपने पति के लिए सुरक्षा नहीं मांग सकती तो फिर कोई भी यह दावा नहीं कर सकता कि उसे किसी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त है तो फिर हमारा यहां इस सभा का सदस्य होने का क्या प्रयोजन है। यह गंभीर मामला है।

इसलिए मैं प्रधानमंत्री से आग्रह करता हूं कि वे स्पष्ट आश्वासन दें। उन्हें यह मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो को सौंपना चाहिए... *(व्यवधान)*। उस अधिकारी के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। महोदय ऐसा कोई कारण नहीं है कि हम और प्रतीक्षा करें। उस दिन उन्होंने अनुरोध किया था कि उस अधिकारी को तत्काल निलम्बित किया जाए। किन्तु उस अनुरोध को आपने स्वीकार नहीं किया और न ही उस पक्ष में इसका कभी कोई उत्तर दिया। अब उनके पति की हत्या की गई है। मैं अनुरोध करता हूं कि उस अधिकारो को तत्काल निलम्बित किया जाए। उसके बाद उस अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाए। समुचित जांच की जानी चाहिए और उनकी शिकायत को दूर किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री को इस सभा के सदस्यों को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि उनके अधिकारों की रक्षा की जाएगी।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय. ..*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की बात सुन ली जाए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आपको तो सफाई देनी है।

श्री पी॰ शिव शंकर (तेनाली) : प्रधान मंत्री जी, वह कुछ बोलना चाहते हैं, उनको बोलने दीजिए।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं तो बिल्कुल चुप रहने के लिए तैयार हूं।...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ शिव शंकर : आप अपनी बात जरूर कहिये, लेकिन जो लोग अपने उद्‌गार प्रकट करना चाहते हैं, उनको भी प्रकट करने दीजिए।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, इसमें कहीं भी कोई राजनीति का प्रश्न नहीं उठता है। माननीय सदस्या श्रीमती रमा देवी के स्वर्गीय पति को जब 104 डिग्री बुखार था, तब सी॰बी॰आई॰ ने उनकी गिरफ्तारी की थी। ये सारी बातें जानती हैं कि इनके साथ और उनके साथ सी॰बी॰आई॰ ने क्या दुर्व्यवहार किया। राज्य सरकार ने कमांडो सहित सुरक्षाकर्मी लगाया था। वह अस्पताल में कस्टडी में थे और उनकी निर्मम हत्या हुई। राज्य सरकार ने और राज्य पुलिस ने किसी. ..*(व्यवधान)*

श्रीमती जयाबहन भरतकुमार ठक्कर (वडोदरा) : अध्यक्ष महोदय, बिहार में राज किसका चल रहा है, सरकार किसकी है, वहां पांच मंत्री ऐसे हैं जो कल टी॰वी॰ में रिपोर्ट देते हैं कि हमें कोई पकड़ सके, तब हम बतायेंगे कि हम गुनाहगार हैं।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, एफ॰आई॰आर॰ में हत्या के लिए जो नामजद हैं, आप उसे हाउस के विचारार्थ मंगवा लें, राज्य पुलिस ने कोई नाम नहीं दिया और कोई नाम अंदाज से नहीं हैं। समता पार्टी और बी॰जे॰पी॰ का जो गठजोड़ है और बाये नरसंहार से देखेंगे कि किस पोलिटीकल पार्टी का कहां-कहां प्रोटेक्शन है और माननीय प्रधान मंत्री जी हाल ही में जो बाइ-इलेक्शन हुआ, गोविंदगंज के मौजूदा विधायक के भाई देवेन्द्र दूबे की हत्या हुई थी। लोगों ने संकल्प लिया था कि इसका हम बदला लेंगे और निर्दोष ब्रज बिहारी की हत्या, अंतरराज्यीय गिरोह, यू॰पी॰ पुलिस से विवादित क्रिमिनल और बिहार का यह गठजोड़ कि 356 को हम कैसे बढ़ावा दें, विधि व्यवस्था की कैसे धज्जियां उड़ाई जाएं। जो नवनिर्वाचित विधायक हैं, मैं कोई पार्टी की बात नहीं करता, समता पार्टी के एम॰एल॰ए॰ जहां बी॰जे॰पी॰ का. ..*(व्यवधान)* आप सुनिये। नवनिर्वाचित एम॰एल॰ए॰ देवेन्द्र दूबे के भाई...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : अध्यक्ष महोदय, हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। इनकी सरकार थी, इन्होंने कमांडो लगाये, इन्होंने पुलिस लगाई...*(व्यवधान)* उसके बाद राज्य सरकार उनकी रक्षा नहीं कर सकी। लालू जी आप ऐसा नहीं बोल सकते, यह कुछ भी बोलते रहें, यह नहीं चलेगा। उनके पति की हत्या का मामला है, आप उसको कैश करना चाहते हैं। यह पार्लियामेंट है या कोई भाषण हो रहा है, 356 की बात कर रहे हैं, इस तरह से नहीं चलेगा, यह कुछ भी बोलते रहें। आप जेल जाने वाले हैं...*(व्यवधान)* आप पर दुनिया भर के केस चल रहे हैं। आप हमें सिखाने आये हैं, क्या इस तरह से पार्लियामेंट चलती है, यह गलत है। अध्यक्ष महोदय, हम सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं कोई भाषण करने के लिए खड़ा नहीं हुआ हूं। प्रधान मंत्री जी को बैठाकर आप बोलने के लिए कहते हैं... *(व्यवधान)* एक सांसद के पति की हत्या हुई है उसको यह पोलिटीकली कैश करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब जिम्मेदारी आपके ऊपर है, ला एंड ऑर्डर आपके ऊपर हैं। आप इनको बिठायें, यह कोई तरीका है? बिहार में ला एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है। आप हमें मत सिखाइये।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। मैं आपको भी बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, बिहार में ला एंड ऑर्डर का व्यवस्था बिलकुल नहीं है। लालू जी यहां आकर हमें सिखाने का काम कर रहे हैं। लालू जी, हमें सिखाइए मत, हम सब जानते हैं। अखबार पढ़ लीजिए। रोजाना भ्रष्टाचार की बातें आ रही हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद कृपया अपना भाषण समाप्त करें, अन्य कई माननीय सदस्यों को भी बोलने की अनुमति देनी है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि एफ॰आई॰आर॰ में जो नाम दिए गए हैं उनको आप देखिए, समता पार्टी और बी॰जे॰पी॰ का यह गठजोड़ है। एफ॰आई॰आर॰ को मंगा कर आप देखिए। श्रीमती रमा देवी ने लिख कर दिया है कि उन्हें सी॰बी॰आई॰ पर भरोसा नहीं है। उनकी सुनिए।...*(व्यवधान)* देशभर के अखबारों में आ रहा है। आप बिहार से एफ॰आई॰आर॰ मंगाइए जो एफ॰आई॰आर॰ में एक्यूज बना है, उसको देखिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री प्रभुनाथ सिंह को बोलने की अनुमति दी है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : अध्यक्ष महोदय, बृज बिहारी प्रसाद की हत्या बड़ी दुखद घटना है। इस घटना को कोई भी यह नहीं कह सकता कि यह अच्छी बात है। बृज बिहारी प्रसाद राज्य सरकार में मंत्री थे। मेद्या घोटाले में सी॰बी॰आई॰ की जांच के क्रम में उनको अभियुक्त बनाया और उसी क्रम में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। राज्य सरकार ने बिहार में कमांडो फोर्स बनाई है और जिन राजनेताओं की जान को खतरा राज्य सरकार महसूस करती है उनकी सुरक्षा के लिए कमांडो फोर्स लगाती है। बृज बिहारी प्रसाद की सुरक्षा में भी कमांडो फोर्स लगी थी। एक बात लालू जी ने सही कही है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के अपराधी इस समय मिलकर बिहार और उत्तर प्रदेश में अड्डा जमाए हुए हैं और राजनीतिक हत्याएं बड़ी तेजी से कर रहे हैं। जो उत्तर प्रदेश और बिहार के अपराधी बिहार में अड्डा जमाए हुए हैं उनको किसका संरक्षण मिल रहा है?. ..*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं जानता कि बिहार में उत्तर प्रदेश की हुकूमत चलती है या बिहार सरकार की हुकूमत चलती है, लेकिन मैं इतना बताना चाहता हूं कि लालू जी से हमारी व्यक्तिगत रूप से मुलाकात हुई थी और उसमें हमने बताया था कि बिहार में बाहर के अपराधी तत्व आतंक मचाए हुए हैं और इस बात को वहां के एस॰पी॰ भी जानते हैं, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिहार सरकार के बारे में प्रधान मंत्री जी सब कुछ जानते हैं। भारत सरकार सब कुछ जानती है कि बिहार में क्या हो रहा है और उसके बाद कुछ करने में प्रधान मंत्री जी, कहीं न कहीं मजबूर हैं, उनकी सरकार मजबूर है, यह मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि बृज बिहारी प्रसाद की घटना और अजीत सरकार की घटना की पुनरावृत्ति न हो और इसकी जांच सी॰बी॰आई॰ से करवाई जाए। ...*(व्यवधान)*

सभी अभियुक्त सामने आ जाएंगे जिन लोगों का हाथ उस हत्या की घटना में है।...*(व्यवधान)* इस हत्या को राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए। इस हत्या को समता पार्टी और भाजपा के नाम पर नहीं उछालना चाहिए। इस हत्या में जो सही दोषी हों, उनको गिरफ्तार करने के लिए आप सी॰बी॰आई॰ से जांच करवाइए ताकि सही लोग गिरफ्तार हो सकें और सही दोषी सामने आ सकें। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰ शिव शंकर : अध्यक्ष महोदय मैं मात्र एक बात कहना चाहता हूं।...*(व्यवधान)* मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से जानना चाहता हूं। कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो के उस अधिकारी को निलम्बित किया जाएगा या नहीं। यह पहली बात है। मेरी दूसरी बात यह है कि सदस्यों की सुरक्षा के बारे में वह सभा को क्या आश्वासन दे रहे हैं। मैं चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री इन दो बातों का उत्तर दें। उन्हें इन बातों को स्पष्ट करने दें...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, इस कांड से सारा सदन परिचित है। तथ्यों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है। केन्द्र सरकार इस सारे मामले की सी॰बी॰आई॰ से जांच कराने को तैयार है।. ..*(व्यवधान)*

श्री पी॰ शिव शंकर : मैंने यह कहा है कि सी॰बी॰आई॰ ऑफिसर को आप सस्पैंड कर रहे हैं या नहीं क्योंकि उस आदमी के ऊपर आरोप था। दूसरी बात, हमको क्या आश्वासन दे रहे हैं।... *(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : आपने मांग की है कि सी॰बी॰आई॰ जांच करो।... *(व्यवधान)* आप कार्यवाही देख लीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री वी॰एम॰ सुधीरन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने पहले ही उसका उत्तर दे दिया है।

श्री पी॰ शिव शंकर : उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया है, वह कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे। बात यह है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो के अधिकारी के विरुद्ध बहुत गंभीर आरोप है। इस मामले को यहां उठाया गया था, प्रधानमंत्री जी क्या इस समय आप उस अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने जा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री पी॰ शिव शंकर वह उसका उत्तर पहले ही दे चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री पी॰ शिव शंकर : सदस्यों को उनकी सुरक्षा के बारे में वह उन्हें क्या आश्वासन देने वाले हैं। उन्हें स्पष्ट करने दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब श्री वी॰एम॰ सुधीरन बोलेंगे।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह कृपया बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी, माननीय प्रधानमंत्री जी पहले ही उत्तर दे चुके हैं। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती रमादेवी : हमारी बात का अभी तक उत्तर नहीं मिला। ...*(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री पहले ही उत्तर दे चुके हैं। कृपया बैठ जाइए। श्री वी॰एम॰ सुधीरन, कृपया अपना भाषण जारी रखें।

(व्यवधान)

श्री वी॰एम॰ सुधीरन (अलेप्पी) : महोदय, मेरी वाकशक्ति बहुत कमजोर है। मैं दो-तीन वाक्यों में एक बात कहना चाहता हूं... *(व्यवधान)*

अपराह्न 11.49 बजे

(इस समय श्रीमती रमा देवी आई और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़ी हो गई)

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपने स्थान पर जाइए, माननीय प्रधान मंत्री पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। हमें बहुत सारा महत्वपूर्ण कार्य पूरा करना है। माननीय प्रधानमंत्री पहले ही उत्तर दे चुके हैं कि इस मामले को केन्द्रीय जांच ब्यूरों को सौंप दिया गया है। कृपया इस बात को समझें

(व्यवधान)

[हिन्दी]

डा॰ विजय सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : इसकी तो सी॰बी॰आई॰ से जांच करा लीजिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : महोदया, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, एक मिनट इनकी बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी, क्या यह अच्छी बात है? माननीय प्रधानमंत्री पहले ही उत्तर दे चुके हैं।

(व्यवधान)

अपराह्न 11.51 बजे

(इस समय श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : हमने सुन लिया और प्रधानमंत्री जी ने भी रिप्लाई दे दिया। अब आप क्या बोल रहे हैं?

अपराह्न 11.51 बजे

(इस समय श्रीमती रमादेवी, श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी और कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर वापस चले गए)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, पटना हाई कोर्ट के एक सिटिंग जज की अध्यक्षता में कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत लैप्सेज, सिक्योरिटी लैप्सेज, बैकग्राउण्ड सरकम्सटांसेज, इसके लिए एक बैंच कांस्टीट्यूटेड है, वहां संगठन है।...*(व्यवधान)* सुनिये। महोदय, सिटिंग जज, दूसरा है सी॰बी॰आई॰, रमा देवी जी और हम सब उनके कहने पर विरोध करते हैं, चूंकि सी॰बी॰आई॰ एक पार्टी हैं और एक्यूज़ समता-बी॰जे॰पी॰ गठजोड़ का गोविन्दगढ़ का एम॰एल॰ए॰ है, इसलिए सी॰बी॰आई॰ से जांच की बात हम नहीं करते हैं। यह लिखा है... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चेतन चौहान (अमरोहा) : लालू जी के कहने के अनुसार सी॰बी॰आई॰ को ही बर्खास्त कर दो ताकि देश में आतंक ही रहे।... *(व्यवधान)*

श्री उत्तमसिंह पवार (जालना) : सी॰बी॰आई॰ जैसी संस्था पर अविश्वास नहीं करना चाहिए।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम भाषण नहीं कर रहे हैं, हम सुझाव देना चाहते हैं।...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, हम यह सुझाव देना चाहते हैं कि माननीय लालू जी का कहना है कि सी॰बी॰आई॰ से जांच नहीं कराई जाये तो हम यह आग्रह करेंगे कि बिहार पुलिस को छोड़कर किसी भी एजेंसी से जांच करा दीजिए।... *(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, मैंने पहले ही आपको बोलने की अनुमति दे दी थी। अब मैं पुनः आपको अनुमति नहीं दे सकता। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। अब श्री सुधीरन बोलेंगे।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : उसकी जांच लालू प्रसाद यादव जी से करा दीजिए।

श्री लालू प्रसाद : नहीं सर, इनका क्या हुआ?

अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी ने जवाब दिया।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री वी॰एम॰ सुधीरन : महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने पहले इस सदन को आश्वासन दिया था कि वे पूजा स्थलों की सूची में चर्च को हटाए जाने के दिल्ली सरकार के चलाए गए अभियान की जांच करेंगे। चूंकि यह अत्यन्त गम्भीर मामला के इसलिए यह अत्यधिक उचित और आवश्यक है कि माननीय प्रधानमंत्री लोगों के हृदय में उत्पन्न हुई चिन्ता आंशका और भ्रांति को स्वयं दूर करते हुए इस सदन में वक्तव्य दें और यह देखें कि दिल्ली सरकार इस गलत रूप से तैयार की गई इस योजना को लागू न करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : हम लोग नहीं मानते। महोदय, आप बात को सुनें। माननीय प्रधान मंत्री ने जवाब दिया कि कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट के तहत इन्क्वायरी के लिए तीन बिन्दु हैं...*(व्यवधान)* यह अनुसूचित है। एक क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस के मामले में सी॰बी॰आई॰ को उन्होंने पार्टी बनाया है।

रमा देवी ने लिखकर दिया है कि सी॰बी॰आई॰ पर हमको भरोसा नहीं है। इसलिए इनकी बात और आपने जो कुछ कहा है, आप कुछ भी समझ लीजिए...*(व्यवधान)*

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरूक्षेत्र) : अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान हरियाणा प्रदेश में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की ओर दिलाना चाहती हूं...*(व्यवधान)*

पूर्वाह्न 11.56 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गए।

(व्यवधान)

* कार्यवाही वृत्तान्त के सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : फातमी जी आप सीनियर मेम्बर हैं, अपनी सीट पर जाएं। प्रधान मंत्री जी ने जवाब दे दिया है। मैंने कैलाशो देवी जी को पुकारा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : पी॰एम॰ ने बोल दिया है, अब आप अपनी सीट पर जाएं।

पूर्वाह्न 11.58 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद तथा कुछ अन्य माननीय सदस्य अपने-अपने स्थानों पर वापस चले गए।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : अध्यक्ष महोदय, यह सदन की माननीय सदस्या के पति की हत्या से सम्बन्धित प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रधानमंत्री जी क्या आप इसके सम्बन्ध में कुछ कहना चाहेंगे?

(व्यवधान)

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : अध्यक्ष महोदय, मैं तो केवल यह निवेदन करना चाहूंगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रो॰ कुरियन कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : महोदय, वह मानते हैं ...*(व्यवधान)* माननीय प्रधानमंत्री जी इस बात को मानते हैं।

यह प्रश्न इस सदन की एक माननीय सदस्या के पति की हत्या से सम्बन्धित है। माननीय सदस्य ने पिछली बैठक में भी इसके बारे में स्वयं शिकायत की थी। अब उनके पति की हत्या कर दी गई है। कृपदा इस मामले की संगीनता को कम न कीजिए। इसे गंभीरतापूर्वक लीजिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कृपया उनकी बात सुने और कुछ ऐसा कहें जिससे माननीय सदस्या को संतुष्टि हो। हम सभी को उन माननीय सदस्या के साथ हुई दुर्घटना से दुख है। इस प्रकार की घटना किसी भी सदस्य, चाहे वह किसी भी पार्टी का हो, के साथ नहीं होनी चाहिए।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अतः कृपया इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करें और इस संबंध में कुछ कार्यवाही करें।

मध्याह्न 12.00 बजे

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्रीमती रमा देवी : अध्यक्ष महोदय, मेरा सी•बी•आई• पर से भरोसा उठ गया है। आठ तारीख को मैंने इस सदन से मांग की थी और आप लोगों ने जो इंसाफ दिया, यह सब लोग जान रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप कैसे हमको विश्वास दिलाना चाहते हैं। मुझे सी•बी•आई• पर ...*(व्यवधान)* में कागज लेकर आई हूं और मुझे उस दिन का हिसाब चाहिए। ...*(व्यवधान)* मुझे सी•बी•आई• पर भरोसा नहीं रह गया है। ...*(व्यवधान)* आप मुझे बोलने नहीं दीजिएगा? ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप इसे गंभीरतापूर्वक लीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने की अनुमति दी है कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं बाद में आपको अनुमति दूंगा कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती रमा देवी : महोदय, इस सदन में अनुशासन नाम की कोई चीज नहीं है। एक आदमी की बात को दबाने के लिए दूसरा आदमी खड़ा हो जाता है। ...*(व्यवधान)* हमको सीबीआई के काम पर भरोसा नहीं है। श्री आर•के• सिंह ने जो मेरे साथ व्यवहार किया है, मैंने सदन में उसके लिए मांग की थी। मुझे उसका जवाब चाहिए। मेरे साथ जो हुआ है, उसको देखते हुए, मुझे निलम्बन नहीं चाहिए, उसकी फांसी चाहिए। वह अपराधी है। मुझे सी•बी•आई• पर भरोसा नहीं है। अगर आपको भरोसा है, तो आप इंसाफ कीजिए। उस दिन इंसाफ क्यों नहीं किया, मुझे इंसाफ चाहिए। मुझे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक मैं नहीं बैठूंगी। ...*(व्यवधान)* प्रधानमंत्री जी को बोलने दीजिए। ...*(व्यवधान)* मैं प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करती हूं कि मुझे इसका जवाब दें। ...*(व्यवधान)*

श्री सुदीप बंधोपाध्याय (कलकत्ता उत्तर पश्चिम) : हम यहां सी•बी•आई• पर इलजाम लगा रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री सुदीप बंधोपाध्याय : उन्होंने सी•बी•आई अधिकारियों के विरुद्ध कुछ आरोप लगाए हैं।

माननीय महिला सदस्य ने एक सी•बी•आई अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाया है। लेकिन उसके लिए हम पूरे सी•बी•आई, जोकि इस देश की एक प्रतिष्ठित संगठन है को दोषी नहीं ठहरा सकते। हम किस प्रकार कह सकते हैं कि सी•बी•आई पूरी तरह से गलत है और हम किसी भी जांच के कार्य को सी•बी•आई को नहीं सौंप सकते? क्या यह घोषणा करना संभव है कि पूरा सदन पूरी तरह से सी•बी•आई के खिलाफ है? ...*(व्यवधान)* सी•बी•आई एक प्रतिष्ठित संगठन है। हमें कोई ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जिससे इस पूरे देश की जांच व्यवस्था अपनी प्रतिष्ठा खो दें। यदि किसी माननीय सदस्या को किसी विशेष अधिकारी के विरुद्ध आरोप लगाना है तो इसकी निसन्देह जांच पड़ताल की जानी चाहिए लेकिन सी•बी•आई की प्रतिष्ठा को ऐसी चुनौती का सामना नहीं करना चाहिए क्योंकि हम किसी मामले की जांच बाहर के गुप्तचर विभाग से नहीं करा सकते हैं ...*(व्यवधान)* हमें सी•बी•आई को पूर्ण संरक्षण प्रदान करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सवाल पर सदस्यों की उत्तेजना समझी जा सकती है। उस दिन जब यह मामला उठा था तो आपने सारे मामले को प्रिविलेज कमेटी को भेजने का फैसला किया था अब उसके बाद एक और हत्या हो गई, ज्यूडिशियल कस्टडी में हत्या हो गई, कमांडो की उपस्थिति में हत्या हो गई और निर्मम हत्या हुई। हमारे सदन की एक माननीय सदस्या के पति की हत्या हुई, हम सब लोग इससे दुखी हैं। अब प्रश्न यह है कि किस तरह की जांच कराई जाए, इसे सदन तय कर सकता है। जांच का एक तरीका यह है कि विशेषाधिकार समिति को जो मामला सौंपा गया है उसका दायरा बढ़ा दिया जाए, सदन यह फैसला कर सकता है। अगर आप उसके लिए तैयार नहीं हैं तो मैं उसे छोड़ने को तैयार हूं। दूसरा तरीका यह है कि सी•बी•आई• से जांच कराएं। अब क्योंकि सी•बी•आई की जांच का भी विरोध हो रहा है, यह कहा जा रहा है कि सी•बी•आई• एक पार्टी है, अब अगर सी•बी•आई• के किसी आफिसर ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

किया है या उसने जानबूझ कर कोई कार्यवाही की है तो उसके विरुद्ध जांच के बाद कार्यवाही की जा सकती है, यह केन्द्र सरकार कर सकती है, इसका हम आश्वासन देना चाहते हैं। जांच का एक तरीका और भी है कि इस मामले की ज्यूडिशियल इंक्वायरी बिहार की सरकार घोषित कर दे। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : वह तो कर दी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ठीक है, फिर उसकी जांच के परिणामों के लिए रुकना पड़ेगा। ...*(व्यवधान)* जहां तक सी॰बी॰आई॰ के किसी विशेष आफिसर की लापरवाही का सवाल है या इस अपराध में शामिल होने का सवाल है, उसके विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी, यह मैं आश्वासन देना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

पहला प्रतिवेदन

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, मैं आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक, 1998 के बारे में खाद्य, नागरिक पूर्ति और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का पहला प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[हिन्दी]

(व्यवधान)

श्री लालू प्रसाद : महोदय, आप मेरी बात सुन लीजिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है। हमें कार्यसूची को अगली मद अर्थात् श्री आरिफ मोहम्मद खां द्वारा प्रस्तावित सांविधिक संकल्प को लेना है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : महोदय, आप एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आप जब तक हमारी बात नहीं सुनेंगे तब तक हम नहीं बैठेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छी बात नहीं है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : मैं आपकी बात ही कहना चाहता हूं। आप एक मिनट मेरी बात सुनिए। इसके बाद मैं बैठ जाऊंगा। ...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : अध्यक्ष महोदय, सदन किसी के दबाव में नहीं आना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद, मैंने इस विषय पर चर्चा के लिए एक घन्टे का समय नियत किया था। कृपया इस बात को समझें। कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट उत्तर दिया है इसलिए कृपया अब अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : प्रिवलेज का मामला है तो उसके बारे में मीटिंग कर एक्सपेडाइट करवा दीजिए। ...*(व्यवधान)* अध्यक्ष महोदय, आप इन्हें बैठने के लिए कहें क्योंकि मैं बोल रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : आप मेरी बात सुन तो लीजिए। हम कोआपरेट कर रहे हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या आप सदन चलाएंगे?

श्री लालू प्रसाद : प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की, मैं उस विषय में ही कुछ कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* आप सुन तो लीजिए। ..*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अध्यक्षपीठ के साथ सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह : सदन कैसे चलेगा, इसका आज फैसला हो जाना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : ठीक है। इसके लिए मीटिंग बुला ली जाए।

श्री वीरेन्द्र सिंह : सदन कैसे चलेगा, इसका आज फैसला हो जाना चाहिए। यह रोज ऐसी बात कहते हैं। हमें भी इनके समान विशेष अधिकार प्राप्त हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, क्या यह आपकी इजाजत लेकर बोल रहे हैं?

श्री वीरेन्द्र सिंह : आप किसकी इजाजत लेकर बोल रहे हैं? ..*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : आप चाहे खड़े रहिए लेकिन मैं भी नहीं बैठूंगा।...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह इस मामले को उठाकर राजनीतिक लाभ उठाना चाहते हैं। यह रोज सदन में यह कहते हैं कि हमारे हिसाब से सदन चलेगा। आज इस बात का फैसला हो जाना चाहिए कि सदन कैसे चलेगा? ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री लालू प्रसाद कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैडम, कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी का ध्यान हरियाणा प्रदेश में कानून और व्यवस्था तथा मौजूदा सरकार की विफलता के प्रति दिलाना चाहती हूं। हरियाणा प्रदेश में सतनाली और मडियाली जगहों पर निर्दोष किसान अपनी जायज मांगों के प्रति शान्तिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उनकी हत्याएं कर दी गई।

[अनुवाद]

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने उन्हें बोलने के लिए अनुमति दी है कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी : अध्यक्ष महोदय, उन किसानों की हत्याएं कर दी गई लेकिन इन्क्वायरी नहीं की गई। किसानों पर झूठे मुकदमे कर दिये गये। किसानों के परिवार तथा बच्चे भूखे मरने के कगार पर हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्या जो कह रही हैं, वह ठीक नहीं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती कैलाशो देवी की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी : अध्यक्ष महोदय, हरियाणा में कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बहादुरगढ़ में 6-6, 11-11 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हुए और उनकी लाशों के टुकड़े-टुकड़े करके फैंक दिये गये। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सदन से पूछना चाहती हूं कि द्रौपदी चीरहरण के कारण से महाभारत का युद्ध हुआ था। आज हरियाणा में असंख्य द्रौपदियों का चीरहरण हो रहा है। ऐसी घिनौनी घटनाओ को देखकर इस सदन में माननीय सदस्यों का खून क्यों नहीं खौल पड़ता? आज असंख्य द्रौपदियों का मान मर्दन किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय, नर्सों का आन्दोलन पिछले डेढ़ महीने से चल रहा है। नर्सें अपनी जायज मांगों को मनवाना चाहती हैं। ... *(व्यवधान)*

---

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। मैंने उन्हें अनुमति दी है। मैडम, कृपया अब आप समाप्त कीजिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी : अध्यक्ष महोदय, नर्सों का आन्दोलन डेढ़ माह से चल रहा है लेकिन केन्द्र सरकार राज्य सरकार को बाध्य नहीं कर रही है कि वह नर्सों की बात सुने। जो एक मरीज को मां और बहन का प्यार देकर जीवनदान दे सकती है, वह अपनी जायज मांगे मनवाने के लिए रणचंडी का रूप धारण करके दुर्योधन और राणा जैसे शासकों को सत्ता से मिटा भी सकती है तो केन्द्र सरकार को राज्य सरकार को बाध्य करना चाहिए कि वह नर्सों की जायज मांगों को मान ले ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री एन भास्कर राव।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री भास्कर राव की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती कैलाशो देवी (कुरुक्षेत्र) : अध्यक्ष महोदय, कुरुक्षेत्र मेरी पार्लियामेंटरी कांस्टीटुवंसी है, जहां पुलिस बदले की भावना से काम कर रही है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम) : महोदय, आपकी अनुमति में मैं यहां एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं।

एरनाकुलम के एक प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट ने केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु के खिलाफ गैर जमानती वारन्ट जारी किये हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी यहां उपस्थित हैं। मैं यह जानना चाहता हूं क्या वह कैबिनेट में मंत्री बने रहेंगे अथवा उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। ...*(व्यवधान)* अथवा उन्होंने उस प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्म-समर्पण कर दिया है? तीन बातों पर मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से उत्तर चाहूंगा। महोदय, क्या उन्होंने इन्हें केबिनेट में अपने पद पर बने रहने की अनुमति दी है? यह अत्यन्त गम्भीर मामला है। एक केन्द्रीय मंत्री के खिलाफ गैर जमानती वारन्ट जारी किये गए हैं। क्या प्रधानमंत्री जी ने उन्हें पदच्युत कर दिया है या केबिनेट में अपने पद पर बने रहने दिया है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री चमन लाल गुप्त की बात के अलावा कुछ भी कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री राव, आपने पहले ही अपनी बात कह दी है। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त (ऊधमपुर) : अध्यक्ष जी, मैं अपने क्षेत्र की परिस्थिति के बारे में बताना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री नादेन्दला भास्कर राव : क्या वह मंत्री के रूप में कार्य करते रहेंगे? अथवा क्या उन्होंने प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैंने श्री चमन लाल गुप्त को अनुमति दी है। श्री जोस, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए। श्री नादेन्दला भास्कर राव ने इसके बारे में पहले ही बता दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री चमन लाल गुप्त आप क्या कहना चाहते हैं?

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं अपने माध्यम से इस सदन को यह बताना चाहता हूं कि हमारे डोडा जिले में उग्रवादियों द्वारा एक नरसंहार का सिलसिला चलाया जा रहा है। पिछले दो महीनों में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री भास्कर राव, कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। अपने अपनी बात पहले ही कह दी है।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री ए-सी- जोस (मुकुन्दपुरम) : क्या वह अभी भी मंत्री पद पर कार्य कर रहे हैं?...(*व्यवधान*)

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष जी, पिछले दो महीनों में डोडा जिले में सौ से ज्यादा लोगों की हत्या की गई। सबसे पहले रनकोट में 20 लोग मारे गए थे...(*व्यवधान*)

श्री ए-सी- जोस : उन्हें दो अथवा तीन बार अदालत में पेश होने के लिए बुलाया गया है...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? वह पहले ही इसका उल्लेख कर चुके हैं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष जी, डोडा जिले में पिछले दो महीनों में सौ से ज्यादा लोगों की हत्याएं उग्रवादियों ने कर दी हैं। रनकोट में 20 लोगों का नरसंहार हुआ था उसके बार देसा में 103 लोग मार दिये गए थे। उसके बाद चपनारी में 26 लोगों की जिस तरह से हत्या हुई है, उसको ध्यान में रखते हुए...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। प्रो- कुरियन इसकी एक प्रक्रिया है।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है? एक माननीय सदस्य पहले से ही अपनी बात कह रहे हैं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री चमन लाल गुप्त कहेंगे उसके अलावा कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष जी, चपनारी गांव में 26 लोगों की हत्या उग्रवादियों ने कर दी और जिस तरीके से वे वहां पर हत्याएं कर रहे हैं, उसमें एक बात का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से वहां पर पूरी की पूरी दो बारातें उन्होंने समाप्त की हैं और उन उग्रवादियों का जो नेता था, उसने यह कहकर कि यहां पर जितने मुसलमान हैं, वह अलग हो जाएं और हिन्दू अलग हो जाएं, इस तरह से वे उस इलाके में कम्यूनल टेनशन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।...(*व्यवधान*)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : प्रो- कुरियन, यह ठीक नहीं है।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या है। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

अपराह्न 12.24 बजे

इस समय प्रो- पी-जे- कुरियन और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट फर्श पर खड़े हो गये।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, यह ठीक नहीं है।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : महोदय प्रो- कुरियन एक वरिष्ठ सदस्य है।...(*व्यवधान*) यह क्या है?

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर-दक्षिण) : महोदय, उन्हें प्रक्रिया के बारे में पता होना चाहिए।...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : प्रो- कुरियन, एक माननीय सदस्य इस मुद्दे को पहले ही उठा चुके हैं।

अपराह्न 12.24 बजे

इस समय प्रो- पी-जे- कुरियन अपने स्थान पर वापस चले गए

अध्यक्ष महोदय : केवल श्री चमन लाल गुप्त का भाषण कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

श्री मधुकर सरपोतदार : उन्हें इस बारे में सूचना देनी चाहिए...(*व्यवधान*)

श्री ए-सी- जोस (मुकुन्दपुरम) : क्या आपको इसकी जानकारी है?...(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : आपकी ही पार्टी के माननीय सदस्य यह मुद्दा पहले ही उठा चुके हैं।

(*व्यवधान*)

अध्यक्ष महोदय : श्री चमन लाल गुप्त के भाषण के अतिरिक्त कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(*व्यवधान*)*

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

श्री कुरियन कृपया मेरी बात समझिए। आपकी पार्टी के सदस्य श्री एन भास्कर राव ने यह मुद्दा उठाने का नोटिस दिया था और उन्होंने इसे उठाया है। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए आप उन पर दबाव नहीं डाल सकते।

(व्यवधान)

श्री मधुकर सरपोतदार : क्या इस सभा में आचरण का यही तरीका है?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कार्य सूची में मद संख्या 21 सांविधिक संकल्प पर विचार करेगी।

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात तो पूरी हो जाने दीजिए।...*(व्यवधान)* यह लगभग सौ लोगों की हत्या का सवाल है। इसलिए मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मैंने सदस्यों को नाम से भी पुकारा है। कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग कीजिए।

(व्यवधान)

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है...*(व्यवधान)* आप कृपया श्री गुप्त की बात सुनिए... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री चमन लाल गुप्त : अध्यक्ष महोदय, डोडा जिले में कम्युनिकेशन गैप आया हुआ है। वहां जो हत्याएं हो रही हैं मैं समझता हूं यह विषय सरकार के ध्यान में...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था संबंधी प्रश्न क्या है?

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : महोदय, जब भी व्यवस्था का प्रश्न उठाया जाता है आपको पहले हमें अनुमति देनी होती है और तत्पश्चात् अपना निर्णय देना होता है।

महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि आपने श्री चमनलाल गुप्त को बोलने की अनुमति दी है और जब तक वह अपना वक्तव्य पूरा नहीं कर लेते अन्य मुद्दा नहीं उठाया जाना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : यह जीरो ऑवर है।

श्री चमन लाल गुप्त : केन्द्र सरकार ने पिछले डेढ़ वर्ष में वहा से करीब बीस हजार सैनिकों को विदड्रा कर लिया है। मेरा निवेदन हैं कि आप तुरंत वहां सेना भेजें। वहां जो विलेज डिफेंस कमेटियां बनी हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूत करें, उनको आधुनिक हथियार दें, उनकी आर्थिक दृष्टि से सहायता करें। क्योंकि जब तक वहां के लोगों को तैयार नहीं किया जायेगा, पाकिस्तान या अफगानिस्तान से आये हुए लोगों का मुकाबला सेना ही कर सकती है, वहां की सिक्युरिटी फोर्सेज नहीं कर सकती है। इसलिए वहां के लोगों को तैयार किया जाए और विलेज डिफेंस कमेटीज को मजबूत किया जाए, मेरा इतना ही अनुरोध है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामानन्द सिंह (सतना) : अध्यक्ष महोदय, मैंने शून्य काल में बोलने हेतु नोटिस दिया है। मेरा नाम आपके पास सूची में है। मुझे एक मिनट का समय दिया जाए।...*(व्यवधान)* मैं बहुत महत्वपूर्ण विषय को सदन के माध्यम से देश के ध्यान में लाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, म॰प्र॰ में भारी वर्षा के कारण गोदामों में रखा सोयाबीन का बीज अंकुरित हो गया और किसानों को बोने के लिए सोयाबीन का बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है। जो भी बीज उपलब्ध है वह बहुत महंगी कीमत पर 2300 रुपए प्रति क्विंटल मिल रहा है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि म॰प्र॰ के किसानों को सोयाबीन का बीज सस्ती दर पर उपलब्ध कराने के लिए वहां पर वितरण केन्द्र खोले जाएं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया अपनी सीट पर बैठिए। मैंने केवल श्री रेड्डी जी को बोलने की अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी अब आप अपनी बात जारी रख सकते हैं, अन्यथा मैं अगले सदस्य का नाम पुकारूंगा।

(व्यवधान)

---

* कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : *कृपया अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करें।*

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : मैं कुछ संशोधन रखना चाहता हूं और यदि सदस्यगण मेरी बात नहीं सुनेंगे तो मेरा प्रस्ताव निरर्थक हो जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : आपको सदस्यों को सम्बोधित नहीं करना है। आपको अध्यक्षपीठ को सम्बोधित करना है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि अब इस समय आप अपनी बात नहीं कहना चाहते तो मैं अगले सदस्य का नाम पुकारूंगा।

अपराह्न 12.31 बजे

उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प

और

उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन विधेयक*

[अनुवाद]

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापतनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा 24 अप्रैल, 1998 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 11) का निरनुमोदन करती है।"

इस विधेयक में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन और अन्य लाभों में वृद्धि का प्रावधान है। यह एक सराहनीय कदम है। हम इस बात से सहमत हैं कि हमें न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् उनका आरामदेह जीवन सुनिश्चित करना चाहिए तथा वित्तीय संकट के कारण उन्हें किसी भी लाभ से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। सेवानिवृत्ति के पश्चात् उन्हें और अधिक आरामदेह और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। मैं इस संबंध में कुछ अत्यन्त महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहूंगा।

श्री ए॰सी॰ जोस (मुकुन्दपुरम) : इस विधेयक का प्रभारी कौन है?

अध्यक्ष महोदय : श्री जोस, कृपया आप अपने स्थान पर बैठिए। इसके लिए श्री कुमारमंगलम हैं।

---

* भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-दो, खंड-2 दिनांक 4.7.98 में प्रकाशित।

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : इस विधेयक संबंधी कार्य करने के लिए लिखित रूप से मुझे प्राधिकृत किया गया है।

डा. टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : उच्च न्यायालय (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954, धारा 13 क(1) के संशोधन में यह प्रावधान है :

> "उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को वेतन के रूप में तीस हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।"

मैं इस राशि को बढ़ाकर चालीस हज़ार रुपए प्रतिमाह करने के लिए संशोधन का प्रस्ताव करता हूं।

धारा 13 क (2) में प्रावधान है :

> "उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को वेतन के रूप में छब्बीस हजार रुपए प्रतिमाह दिए जाएंगे।"

मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस राशि को बढ़ाकर छत्तीस हजार रुपए प्रति माह किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958, धारा 12क (1) में प्रावधान है :

> "भारत के मुख्य न्यायाधीश को वेतन के रूप में तैंतीस हजार रुपए प्रतिमाह प्रदान किए जाएंगे।"

मैं इस राशि को बढ़ाकर तैंतालीस हजार रुपए प्रति माह करने के लिए संशोधन करने का प्रस्ताव करता हूं।

धारा 12क (2) में प्रावधान है :

> "उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को तीस हजार रुपए प्रति माह दिए जाएंगे।"

यह राशि चालीस हजार रुपए प्रतिमाह की जानी चाहिए।

मेरा विचार है कि न्यायिक अधिकारी वर्ग के लिए 10,000 रु॰ की वृद्धि करने से सरकार को कोई घाटा नहीं हो जाएगा, बल्कि इससे इस संस्था को और अधिक शक्ति मिलेगी। इसके साथ-साथ इस अवसर पर मैं यह उल्लेख करना चाहूंगा कि न्यायिक अधिकारी वर्ग को भी यह याद रखना चाहिए कि भारत के संविधान में कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका तीनों अंगों के लिए प्रावधान हैं। यदि ये तीन स्वतन्त्र प्राधिकरण एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप किए बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करें, तभी सरकार लोकतंत्र के मूल्यों का संरक्षण कर सकती है।

परन्तु आज हम क्या देखते हैं? कुछ समय पूर्व न्यायिक-प्राधिकारी सचेत, सतर्क और विवेकतापूर्ण कार्य करते थे, परन्तु आजकल लोग पक्षपात और पूर्वाग्रहों के साथ कार्य करते हैं, यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है जिसकी तरफ मैं यहां पर उपस्थित सभी सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहूंगा। एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि पूर्व में, यदि किसी नौकरशाह अथवा किसी राजनैतिक नेता के विरुद्ध भ्रष्टाचार का कोई आरोप लगाया जाता था तो एक स्वतंत्र जांच आयोग गठित किया जाता था।

अपराह्न 12.35 बजे

(श्री पी॰एम॰ सईद *पीठासीन हुए)*

इसके लिए एक प्रथम दृष्ट्या मामला होना चाहिए। कार्यकारी अधिकारियों द्वारा सरकार को अवश्य सूचित किया जाना चाहिए। उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या किसी अन्य न्यायिक अधिकारी की अध्यक्षता में एक जांच आयोग अवश्य नियुक्त किया जाना चाहिए। यदि किसी ऐसे अधिकारी इस प्रकार की जांच के पश्चात् किसी राजनैतिक नेता या नौकरशाह के विरुद्ध कोई दोष पाता है तो उसकी जांच जारी रखी जानी चाहिए। इस समय न्यायालय कई मामलों में सीधे हस्तक्षेप कर रहे हैं और राजनैतिक नेताओं अथवा नौकरशाहों के विरुद्ध जांच के आदेश दे रहे हैं। लोकतंत्र के लिए यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति पर तुरन्त अंकुश लगाया जाना चाहिए। सभी नागरिकों को केवल न्यायिक हस्तक्षेप से ही नहीं, बल्कि सरकार में कार्यरत प्रत्येक अधिकारी के कार्य और संप्रेषण के द्वारा भी पूरा संरक्षण दिया जाना चाहिए। न्यायालयों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करना चाहिए, जिनमें लोगों के वास्तविक हित प्रभावित होते हैं और उनके साथ अन्याय किया जाता है। ऐसी घटनाएं हो सकती हैं जिनमें नौकरशाह अथवा राजनैतिक नेता ऐसे आदेश दें जिनके परिणाम खतरनाक हों, जिनके परिणामस्वरूप देश के नागरिकों के साथ अन्याय हो। न्यायपालिका को केवल ऐसे मामलों में ही हस्तक्षेप करना चाहिए।

आज स्थिति यह है कि एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, एक पुलिस अधिकारी को एक नौकरशाह या राजनैतिक नेता के मामलों की जांच करने के लिए कहता है। ऐसी घटनाएं भारत की स्वतंत्रता के पचास वर्षों में पहले कभी नहीं घटी। न्यायाधीशों का इस प्रकार का प्रभुत्व जारी नहीं रहना चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि सभी न्यायाधीश बुरे होते हैं। इस क्षेत्र में भी अच्छे लोग हैं जिनमें कार्य के प्रति प्रतिबद्धता और दृढ़ विश्वास तथा उच्च नैतिक मूल्यों के गुण विद्यमान हैं। तथापि कुछ अपवाद हो सकते हैं। ऐसे लोगों द्वारा अपनी शक्तियों का दुरूपयोग करने से उन्हें रोका जाना चाहिए। न्यायाधीशों को चाहिए कि महात्मा गांधी के उच्च मूल्यों में विश्वास रखते हुए और भगवान में, उस अलौकिक शक्ति में आस्था रखते हुए अपने देश की प्रभुसत्ता और लोकतांत्रिक सिद्धान्तों को संरक्षित करें।

हम यह आकांक्षा करते है कि न्यायाधीश कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करें। परन्तु इसके साथ-साथ कार्यपालिका को मुख्य न्यायाधीश के साथ विचार-विमर्श करके जजों की नियुक्ति में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। यदि न्यायपालिका को ही सारा कार्यभार सौंप दिया जाएगा, तो अनेक समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना रहेगी। सरकार को भारत की जनता के हित की बात प्रमुख रखनी चाहिए।

सभापति महोदय : डा. रेड्डी आपको अभी संबद्ध प्रश्न का उत्तर भी देना है। उसके लिए भी कुछ जानकारी बचाकर रखें।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैं लम्बे भाषण देने में विश्वास नहीं रखता। मैं इस उपाय का मुख्य गंतव्य बता रहा हूं जो समूचे देश के लिए महत्वपूर्ण है।

मैं अपने द्वारा प्रस्तावित संशोधनों सहित विधेयक का समर्थन करता हूं। श्री यशवन्त सिन्हा न्यायाधीशों को कुछ और धन देने की सामर्थ्य रखते हैं। इतने बड़े देश के बजट में एक न्यायाधीश के लिए 10,000 रु॰ की राशि की वृद्धि से कदाचित, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इस प्रकार हम उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं। हम उनका आदर करते हैं। हम न्यायाधीशों के सम्मान में अपना सिर झुकाते हैं। वे हमारे कानून के संरक्षक हैं; हमारे भारत के संविधान के संरक्षक हैं; भारतीय गणराज्य के संरक्षक हैं। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। परन्तु इसके साथ-साथ उनके कार्यकरण की एक उचित प्रक्रिया होनी चाहिए। निर्णय देने में मानवीय भूल होने की संभावना रहती है। व्यक्तियों द्वारा भ्रष्टाचार भी किया जा सकता है।

आज की स्थिति के अनुसार, यदि उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो उसे हटाने का एकमात्र उपाय संसद में उसके विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित करना है। मैं इस अवसर पर यह सुझाव देना चाहूंगा कि संविधान में संशोधन करके यह प्रावधान किया जाना चाहिए कि यदि कोई न्यायाधीश भ्रष्टाचार का दोषी पाया जाता है तो उसे तत्काल त्यागपत्र दे देना चाहिए। किसी दूसरे न्यायाधीश द्वारा उस पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोप की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की जानी चाहिए। यदि न्यायाधीश दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिए। केवल ऐसा करने पर ही न्यायाधीश अपने कार्यकरण में सतर्कता बरतेंगे तथा अपनी रुचियों और अरुचियों के अनुसार कार्य नहीं करेंगे।

अंत में, मैं पुनः यह कहना चाहूंगा कि हमें न्यायिक प्राधिकारियों को प्रोत्साहित करना चाहिए और हमें उनका सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही मैं उन्हें यह भी स्मरण करना चाहूंगा कि संविधान में यह उपबंध किया गया है कि इस देश के प्रशासन और राष्ट्र निर्माण कि क्षेत्र में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी। न्यायपालिका को इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

मेरा माननीय मंत्री श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम जिनकी न केवल विद्युत मंत्रालय में बल्कि न्यायपालिका में भी सक्रिय भूमिका है — से अनुरोध है कि वे न्यायिक अधिकारियों को प्रोत्साहित करने के लिए उनके वेतन में संशोधन करके उन्हें अधिक वेतन दें।

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम) : वेतन से संबंधित कतिपय मुद्दों को स्पष्ट नहीं किया गया था।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : उन्होंने अपना सांविधिक संकल्प प्रस्तुत किया है और मैंने माननीय मंत्री से विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कहा है।

(व्यवधान)

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : श्री तम्बी दुरई शहर में हैं परन्तु वे यहां अनुपस्थित हैं। क्या उन्होंने अपने अनुपस्थित रहने का कोई कारण बताया है?...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : आपको यहां बोलना है। आपका नाम इस सूची में है और मैं आपका नाम पुकारूंगा। श्री कुमारमंगलम।

(*व्यवधान*)

श्री सुरेश कुरूप : क्या यह अनुरोध है? ...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : श्री सुरेश कुरूप, अध्यक्षपीठ ने उन्हें इसकी अनुमति दी है।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : वह इस बारे में केवल स्पष्टीकरण चाहते हैं।

सभापति महोदय : वह पहले ही इस बारे में पूछ चुके हैं और मैंने उत्तर भी दे दिया है।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : श्री सुरेश कुरूप, अध्यक्ष पीठ पहले ही उन्हें अनुमति दे चुके हैं।

श्री सुरेश कुरूप : हम इस मुद्दे की वैधता अथवा प्राविधिक बारीकियों की बात नहीं कर रहे हैं। प्रश्न यह है कि श्री तम्बी दुरई इस शहर में हैं तो वह विधेयक प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित क्यों नहीं हैं? मेरा प्रश्न सभा पटल पर पत्र रखने के बारे में नहीं है।

सभापति महोदय : हम यहां उनके अनुपस्थित रहने के कारणों को पता लगाने नहीं आए हैं। उन्हें यह कार्यवाही करने का विधिवत् अधिकार दिया गया है।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इंदौर) : सभापति जी, एक सैकिंड, मैं कुछ पूछना चाहूंगी। मैं इतना ही पूछना चाहूंगी कि गत कई दिनों से सम्पूर्ण हिन्दुस्तान की महिलाएं बहुत उत्सुक हैं। आज भी मंत्री महोदय ने अगला पूरा कार्यक्रम बता दिया, लेकिन उसमें महिला आरक्षण बिल कहीं भी नहीं है। मैं इतना ही पूछना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसी फिक्स डेट ये दे रहे हैं? आप बिल आने दें, जिसको विरोध करना है, वह भी करें, बात सामने आ जाये। मगर एक बार सब के लिए यह तो बता दें कि महिला आरक्षण बिल कब आ रहा है, मैं इतना ही पूछना चाहूंगी?

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : अध्यक्ष जी, अगर सदन चाहे तो हम इस बिल को सोमवार को लाने को तैयार हैं।...(*व्यवधान*)

सभापति महोदय : यह क्या हो रहा है? यह तो जीरो ऑवर दोबारा ला रहे हैं। हमने स्टेचुटरी रैजोल्यूशन लिया, इनको मैंने परमीशन दी, लेकिन यह तो आपने जीरो ऑवर शुरू कर दिया।

श्रीमती सुमित्रा महाजन : जीरो ऑवर नहीं, इन्होंने बताया ही नहीं था।

सभापति महोदय : आप सीनियर मैम्बर हैं, आप बैठिये।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : यह महिलाओं को न्याय देने का बिल है, उसके लिए आप न्याय मांग रही हैं। इसके लिए हमारा पूरा समर्थन है।

सभापति महोदय : इसमें कोई हर्ज नहीं है।

[अनुवाद]

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से अपने सहयोगी माननीय विधि मंत्री श्री तम्बी दुरई की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं* :

> "कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

महोदय, जैसा कि जानते हैं, कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में इससे पहले 1 अप्रैल, 1986 को संशोधन किया गया था जब चौथे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतनमानों में संशोधन किया गया था। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग ने अखिल भारतीय सेवाओं के सदस्यों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन और अन्य भत्तों में संशोधन करने की सिफारिश की है सरकार ने अधिकांश सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन नियमों में संशोधन संबंधी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। संशोधित वेतन नियम 1 जनवरी, 1996 से लागू हुए माने गये हैं। इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद न्यायाधीशों के वेतन में 1 जनवरी, 1996 से वृद्धि करना अनिवार्य हो गया है।

चूंकि, संसद का सत्र नहीं चल रहा था, अतः राष्ट्रपति ने न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने संबंधी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को 24 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित किया।

मैं आशा करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश का स्थान लेगा। मुझे विश्वास है कि सभा के सभी सदस्य इस विधेयक का भारी समर्थन करेंगे।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि यह सभा 24 अप्रैल, 1998 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) संशोधन अध्यादेश 1998 (1998 का संख्याक 11) का निरनुमोदन करती है।"

---

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत

"कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री नादेन्दला भास्कर राव : महोदय, चर्चा शुरू होने से पहले मैं केवल एक मुद्दा उठाना चाहूंगा। एक न्यायाधीश का वेतन केबिनेट सचिव के वेतन से अधिक होना चाहिए। संविधान के अस्तित्व में आने से पूर्व केबिनेट सचिव का वेतन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की तुलना में अधिक होता था। पहले केबिनेट सचिव को 3,500 रु॰ प्रतिमाह वेतन मिलता था और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 3,000 रु॰ प्रतिमाह वेतन मिलता था। अब पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट आ जाने के बाद केबिनेट सचिव का वेतन 30,000 रु॰ प्रतिमाह है और इस विधेयक में न्यायाधीश का वेतन 26,000 रु॰ प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। यह उचित नहीं है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केबिनेट सचिव से ऊंचा दर्जा दिया जाना चाहिए और उन्हें केबिनेट सचिव से अधिक वेतन मिलना चाहिए। इस विसंगति को दूर किया जाए। महोदय, यही मेरा अनुरोध है।

सभापति महोदय : माननीय मंत्री इसका उत्तर देते समय इस बारे में स्पष्टीकरण देंगे।

माननीय सदस्यों, हमने इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए एक घंटे का समय आवंटित किया है। इस विधेयक पर बोलने के लिए बड़ी संख्या में सदस्यों ने अपने नाम दिए हैं। अतः आप संक्षेप में बोलें।

मेरी सूची में पहला नाम प्रो॰ कुरियन का है।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : महोदय, मैं केवल थोड़ा सा ही समय लूंगा। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे आशा है कि विपक्ष में बैठे मेरे मित्र को यह जानकर प्रसन्नता होगी।

निःसंदेह, न्यायपालिका को स्वतंत्र होना चाहिए और यह सुनिश्चित करना इस सभा का दायित्व है कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र हो इसलिए, न्यायाधीशों को सभी प्रकार की सुविधाएं दी जानी चाहिए और इस संबंध में कोई बाधा अथवा सीमा नहीं होनी चाहिए।

ऐसा कहते हुए, मैं न्यायिक सक्रियता के बारे में भी कुछ कहना चाहूंगा। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि इस प्रकार की न्यायिक सक्रियता अच्छी नहीं है। इसमें कुछ अच्छे कार्य हैं। परन्तु इसके साथ-साथ न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के बीच संतुलन होना चाहिए। यह नाजुक संतुलन बनाए रखना चाहिए। हमारी प्रणाली के इन महत्वपूर्ण आधार स्तम्भों में प्रत्येक का यह दायित्व है कि वे एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करें। संसद का भी यह दायित्व है। किसी भी लोकतंत्र के समुचित कार्यकरण हेतु इस नाजुक संतुलन को बनाए रखा जाना चाहिए।

तीसरे, मेरा अनुरोध है कि इस तथ्य के बावजूद भी कि आज हमारी न्यायिक प्रणाली विश्व में सबसे उत्तम है और हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र है और स्वतंत्र रूप से कार्य कर रही है, हमें न्याय नहीं मिल रहा है। इसका कारण इस कहावत में है कि "न्याय करने में विलम्ब करना न्याय नहीं करने के समान है।" हमारे न्यायालयों में कितने मामले लंबित पड़े हुए हैं? मैं जानता हूं कि हमारे न्यायालयों में लाखों मामले पिछले कई वर्षों से लंबित हैं। अतः मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह उन लोगों की मनोव्यथा पर विचार करें जिन्हें अपने मामलों के संबंध में प्रतिदिन न्यायालय जाना पड़ता है।

मैं कोई अधिवक्ता नहीं हूं परन्तु यदि हम निचले न्यायालयों से शुरू करते हैं तो अधिकांश मामले अंततः उच्चतम न्यायालय में पहुंच कर समाप्त होते हैं। अतः मैं सरकार से इस संबंध में कुछ करने का अनुरोध करता हूं ताकि लम्बे समय से बकाया पड़े मामलों को निपटाया जा सके। तथा न्याय मिलने में हो रहे विलम्ब को दूर किया जा सके। इस समस्या का कोई समाधान निकाला जाना चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध हैं कि वह इस मुद्दे पर अत्यधिक गंभीरतापूर्वक विचार करे।

महोदय, दिल्ली हमारी राजधानी है। उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है। जरा सोचिए कि केरल, तमिलनाडु, पूर्वोतर, पश्चिम बंगाल अथवा नागालैंड में रहने वाला कोई आम आदमी यदि उच्चतम न्यायालय में अपील करना चाहे तो उसे कितनी कठिनाई होगी, उसे दिल्ली आने के लिए कितना किराया खर्च करना पड़ेगा। महोदय, मुझे पता है कि आप दूर-दराज के इलाके लक्षद्वीप तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह से चुन कर आए हैं। वहां रहने वाले लोगों के लिए उच्चतम न्यायालय से न्याय प्राप्त करने हेतु दिल्ली आकर अपील करना संभव नहीं है। अतः मैरा सरकार से निवेदन है कि इस पहलू पर विचार करे। यह प्रश्न सदन में पहली बार नहीं बल्कि कई बार उठाया जा चुका है, मेरा सुझाव है कि उच्चतम न्यायालय की और पीठ स्थापित करने पर विचार किया जाए। दक्षिण की पीठ बंगलौर, चेन्नई त्रिवेन्द्रम अथवा हैदराबाद में स्थापित की जा सकती है। हैदराबाद के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे हैदराबाद बहुत पंसद है। जैसा कि हमारे माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है। पूर्वोतर की पीठ गुवाहाटी में स्थापित की जा सकती है। एक पीठ पश्चिम में हो। अतः मेरा सरकार से निवेदन है कि भारत के उच्चतम न्यायालय से परामर्श करके वह उच्चतम न्यायालय की यह तीन पीठे-एक दक्षिण में, एक पूर्वोतर में और एक पश्चिम में स्थापित करने पर विचार करे। इससे आम आदमी को न्याय दिलाने में बहुत सहायता मिलेगी।

इसके अतिरिक्त, हमारे कुछ छोटे और कुछ बडे राज्य हैं आजकल कुछ और राज्य बनाने की बात चली है और कुछ के लिए घोषणा भी की जा चुकी है। गोवा में भी उच्च न्यायालय की पीठ है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में उच्च न्यायालय की और अधिक पीठें स्थापित की जानी चाहिए। आज इस देश के 35 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कभी न्याय नहीं मिलता है। ऐसा इसलिए नहीं है कि न्यायालय उन्हें न्याय नहीं देता है न्यायालय का कोई कसूर नहीं है पर गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाला व्यक्ति न्यायालय कैसे जाए, वकील कैसे करें। वकील ऊंची फीस लेगा। हमारी प्रणाली के चलते गरीबी

[प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन]

की रेखा से नीचे रहने वाले 35 या 40 प्रतिशत लोगों को निचले न्यायालय से शुरू होकर ऊपर तक न्याय नहीं मिल पाता है।

मेरे मित्र श्री कुमारमंगलम किसी और के लिए ऐसा कर रहे हैं और मैं जानता हूं कि वह ऐसा क्यों कर रहे है। हां, एक सांझी जिम्मेदारी है। पर उनके मित्र श्री तम्बीदुरई शहर में ही हैं। वह यहां नहीं आते है। यह उनकी उत्पति है, खैर मुझे कोई आपत्ति नहीं है यदि आप किसी और के दिमाग की उपज को कार्य रूप दें। पर कृपया मेरे सुझाव पर विचार करके माननीय विधि मंत्री, श्री तम्बीदुरई से यह सुनिश्चित करने का आग्रह करें कि बड़ें राज्यों में उच्च न्यायालय की और अधिक पीठें स्थापित की जाएं। इसलिए मेरा सुझाव है कि देश के न्यायाधीशों को उच्चतम वेतनमान दिए जाएं, क्योंकि यद्यपि हम कानून बनाते हैं तो वे कानून की व्याख्या करते हैं। आजकल तो वे कानून की व्याख्या करने के साथ-साथ कानून बनाते भी है निःसन्देह, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि मैं न्यायाधीशों की बेहतर सुविधाएं और वेतनमान देने वाले और उनकी गरिमा व सम्मान बनाए रखने वाले इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय : चूकिं सभा में कई महत्वपूर्ण विधेयक लिए जाने हैं, यदि सभा सहमत हो तो हम भोजनावकाश न करें। क्या सभा इस बात से सहमत है?

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : जी हां।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : नहीं

प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन : हम इस विधेयक को पारित करके भोजन के लिए जा सकते हैं।

सभापति महोदय : हम विधेयक पारित करके भोजन करेंगे। अतः सभा की बैठक विधेयक का निपटान होने तक जारी रहेगी। इससे हमारा उद्देश्य पूरा होगा।

श्री सत्यपाल जैन कृपया संक्षेप में बोलिए।

श्री सत्यपाल जैन : वकील होने के नाते में मुख्य बात पर ही बल दूंगा।

सभापति महोदय : वकील लोग तो लम्बे भाषण देते हैं।

श्री सत्यपाल जैन : मैं इस अध्यादेश का समर्थन करता हूं। वास्तव में यह अध्यादेश गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था और आज सुबह मैंने स्थायी समिति का प्रतिवेदन सभा पटल पर रखा।

वर्ष 1950 के पश्चात् 35 वर्ष की अवधि व्यतीत होने के बाद 1986 में पहली बार न्यायाधीशों के वेतनमान संशोधित किए गए।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : यदि आप स्थायी समिति के सदस्य थे तो आप इस विषय पर नहीं बोल सकते। यही प्रथा है।

श्री सत्यपाल जैन : क्यों? मैंने आज प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : यही सदन की प्रथा है। किसी स्थायी समिति के सदस्य को समिति संबंधी विषय पर बोलने का प्रधिकार नहीं है क्योंकि उसने पहले ही समिति की कार्यवाही में भाग लिया होता है।

श्री सत्यपाल जैन : ऐसा किस नियम के अतंर्गत है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, ससंदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा योजना और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम नाईक) : ऐसा कोई दिशानिर्देश नहीं है।

श्री मधुकर सरपोतदार (मुम्बई उत्तर पश्चिम) : आप उन दिशा-निदेशों को उद्धृत करें।

सभापति महोदय : इस मामले से मुझे निपटने दीजिए।

श्री राम नाईक : मैं इस समय विस्तार में नहीं जाऊंगा। यह मामला स्थायी समिति के विचारार्थ नहीं आया है।

श्री सुशील कुमार शिंदे : उन्होंने ही उल्लेख किया। वरना मुझे कोई आपत्ति नहीं थी।

सभापति महोदय : मुझे स्पष्ट करने दीजिए। परिपारी यह है कि स्थायी समिति का सदस्य होने के नाते सामान्यतः वह इस चर्चा मे भाग नहीं ले सकते पर सदन के सदस्य के रूप में वह भाग ले सकते हैं।

श्री सत्यपाल जैन : वर्ष 1950 के बाद, 1986 में पहली बार न्यायाधीशों के वेतनमानों में संशोधन किया गया। जैसा कि मेरे माननीय मित्र ने अभी कहा 1950 में केबिनेट सचिव का वेतनमान न्यायाधीशों से कम था। मैं उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की बात कर रहा हू।

वर्ष 1965 में केबिनेट सचिव के वेतनमान में वृद्धिं की गई परन्तु उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन-मानों में कोई वृद्धि नहीं की गई। न्यायाधीशों ने अभ्यावेदन दिए पर कुछ नहीं हुआ।

वर्ष 1980 में न्यायाधीशों के वेतनमान बढ़ा दिए गए पर वह केबिनेट सचिव के वेतनमान से कम था। अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ ने सरकार और समिति को अभ्यावेदन दिया समिति ने अपने प्रतिवेदन में भारत सरकार से अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदनों की जांच करने की सिफारिश की।

वे दो बातों का उल्लेख पाना चाहते थे। पहली यह कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन केबिनेट सचिव के वेतन से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो उन्होंने ठीक ही बतायी है कि वे आम तौर पर राज्य सरकारों के कर्मचारी भी नहीं है। निःसंदेह उन्हें विधायकों, कार्यपालिका और संसद सदस्यों जो राज्य सरकारों के कर्मचारी नहीं है, की तरह संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इसी तरह न्यायाधीशों को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। वे भी राज्य सरकारों के कर्मचारी नहीं है। अतः तत्कालीन सरकार ने उन्हें भारत सरकार

के अपर सचिव अथवा संयुक्त सचिव अथवा सचिव के समकक्ष दर्जा देने का प्रयास किया था और यह प्रयास अवैध नहीं था तो वांछनीय और उचित भी नहीं था।

मैं केवल दो बातें कहना चाहता हूं। सरकार उनकी जांच स्थायी समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार से अध्यावेदनों की जांच करने और उन पर शीघ्र निर्णय लेने का अनुरोध किया है।

दूसरी बात यह है कि पांचवें वेतन आयोग की रिपोर्ट सितम्बर, 1997 में स्वीकार की गई थी। राज्य सरकारों से यह अपेक्षा की गई थी कि वे शीघ्र ही अध्यादेश जारी करेंगे ताकि उनके वेतन में भी वृद्धि हो सके। परन्तु सरकार ने अध्यादेश जारी करने में 6 महीने से भी अधिक समय लिया है। दूसरे मामलों के संबंध में रिपोर्ट स्वीकार कर ली गई थी। परन्तु वर्तमान सरकार ने उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में इस रिपोर्ट को अप्रैल, 1998 में ही लागू किया था। यदि पिछली सरकार ने इस संबंध में अध्यादेश जारी कर दिया होता तो जो 6 महीने बेकार चले गए उनसे बचा जा सकता था। मैं समझता हूं कि सरकार को भविष्य में सचेत रहना चाहिए।

मैं निचले न्यायालयों के बारे में भी केवल दो बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। इस अध्यादेश में उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन का उल्लेख किया गया है। जिला न्यायाधीशों के बारे में इसमें क्या उल्लेख किया गया है? न्यायिक मजिस्ट्रेटों के बारे में इसमें क्या उल्लेख किया गया है। निचले स्तर के न्यायालयों के बारे में इसमें क्या उल्लेख किया गया है?

अपराह्न 1.00 बजे

वे भी पिछले कई वर्षों से इसके लिए अनुरोध कर रहे हैं। एक आयोग गठित कर दिया गया है और उनके बारे में कोई चिंतित नहीं है। मैं वर्तमान सरकार से और विशेष रूप से विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वे यह मामला संबंधित आधिकारियों के समक्ष उठाए और उनके वेतन में भी संशोधन किया जाए ... *(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया आप अगले प्रश्न पर आइए आप अपने आवंटित समय में ही अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री सत्यपाल जैन : अब मैं स्थानान्तरण नीति और नियुक्तियों के बारे में अपनी बात कहता हूं इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार और जैसा कि मेरे माननीय मित्र बता रहे थे विभिन्न न्यायालयों में इस समय एक करोड़ से भी अधिक मामले लम्बित हैं। उच्चतम न्यायालय में ही लगभग 30,000 मामले लम्बित हैं और इलाहाबाद उच्च न्यायालय में संभवत 6 लाख से भी अधिक मामले लम्बित हैं। न्यायाधीशों की कुल स्वीकृत संख्या लगभग 450 है जिसमें से 100 से भी अधिक पद रिक्त पड़े हैं। उच्चतम न्यायालय में तीन पद रिक्त पड़े हैं। विभिन्न उच्च न्यायालयों में एक तिहाई पद रिक्त पड़े हुए हैं कहीं-कहीं तो 40 प्रतिशत पद रिक्त पड़े हैं मेरा अनुरोध है कि एक ऐसी व्यवस्था बनायी जाये जिसके अंतर्गत न्यायाधीश के सेवानिवृत होने से पहले ही रिक्त पदों को भरा जा सके। जिस दिन एक न्यायाधीश सेवानिवृत्त होता है तो अगले न्यायाधीश को कार्यभार ग्रहण कर लेना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि स्थानान्तरण नीति काफी सफल नहीं रही है। अब बहुत से बार एसोसिएशनो ने इसी नीति के विरुद्ध अभ्यावेदन देना शुरु कर दिया है। अतः कृपया स्थानान्तरण नीति की पुनरीक्षा की जाए और एक सपष्ट और निश्चित स्थानान्तरण नीति बनाई जाए ताकि भेदभाव का कोई प्रश्न ही खड़ा न हो।

अतः मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन मामलों की जांच करें। मैं इस विधेयक का समर्थन भी करता हूं।

सभापति महोदय : जब तक इस विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं हो जाती है तब तक सभा की बैठक जारी रहेगी।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। इस संबंध में कोई दो राय नहीं है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाया जाना चाहिए।

हम चाहते है कि कानूनी व्यवसाय के प्रतिभा सम्पन्न व्यक्ति न्यायपीठ में आएं। कई मामलों में यह देखा गया है कि कुछ व्यक्ति जो सफलता के शिखर पर पहुंच चुके हैं किन्तु उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के न्यायधीशों को मिल रहे कम वेतन को देखते हुए न्यायपीठ में आने के इच्छुक नहीं हैं। चूंकि न्यायपालिका के पास व्यापक शक्तियां है इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि न्यायालयों में अत्यधिक निष्ठावान और योग्य न्यायाधीश हो। वस्तुतः मुझे आशा है कि इस विधेयक के पारित होने से अत्यधिक योग्य व्यक्ति न्यायपीठ में आ सकेंगे। यह कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है कि विशेष योग्यता प्राप्त व्यक्ति ही उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है?

जैसा कि हम सभी जानते है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को यह विशेषाधिकार प्राप्त है कि किस व्यक्ति को न्यायाधीश नियुक्त करे और कौन से न्यायाधीश को एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानान्तरित करे। किसी एक व्यक्ति विशेष के पास इतनी व्यापक शक्तियों का निहित होना लोकतंत्र की भावना के विरुद्ध है। मैं इसी बात पर जोर देना चाहता हूं। जब इस प्रकार की व्यापक शक्तियां एक व्यक्ति में निहित होती हैं तो उन शक्तियों के दुरूपयोग की पूरी-पूरी संभावना रहती है। अतः हमें इसका समाधान ढूंढना चाहिए। न्यायिक आयोग के बारे में पहले ही सुझाव प्राप्त हो चुके हैं। और न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए नामों का सुझाव दे सकता है। इस संबंध में हम दक्षिण कोरिया के उदाहरण का अनुकरण कर सकते हैं जहां पर पहले से ही एक न्यायिक आयोग और राष्टपति इस आयोग के परामर्श से न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। इस देश में भी हमें एक ऐसा कारगर तंत्र बनाना चाहिए जिसमें न्यायपालिका,

[श्री सुरेश कुरूप]

कार्यपालिका और बार का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग भी शामिल हों। न्यायालयों मे न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु नामों का सुझाव देने वाला इसी प्रकार का एक आयोग होना चाहिए।

मेरे मित्र ने यहां जो कुछ भी कहा है मैं उसके बारे में भी यहां कहना चाहूंगा कि हमें अधीनस्थ न्यायपालिका के बारे में भी सोचना चाहिए। चूंकि यह विषय समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। इसलिए संघ सरकार इस संबंध में कानून बनाने में पूरी तरह सक्षम है। न्यायिक प्राधिकारियों को अच्छा वेतन नहीं मिल रहा है। उनमें से अधिकांश के पास आवास की सुविधा नहीं है उनके पास वाहन नहीं है। अतः एक स्थानीय मजिस्ट्रेट जिसके पास व्यापक शक्तियां है, को अच्छा वेतन दिया जाना चाहिए। अधिकतर राज्य सरकारों को निचले न्यायालयों के अधिकारियों की सेवा शर्तों के बारे में कोई चिन्ता नहीं है। इस विसंगति को दूर किया जाना चाहिए। अतः मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार को निचले स्तर के न्यायिक अधिकारियों के वेतन में वृद्धि करने के लिए पहल करनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी भी न्यायिक अधिकारी को सेवानिवृत्ति के बाद किसी भी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीशों को उनकी सेवानिवृत्ति के बाद किसी सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जाना चाहिए। इस संबंध में उपयुक्त कानून बनाया जाना चाहिए। सरकार न्यायाधीशों के वेतन, पेंशन और अन्य भत्तों में वृद्धि कर सकती है परन्तु इस बात का ध्यान रखे कि किसी की न्यायिक प्राधिकारी को उसकी सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी पद पर नियुक्त नहीं किया जाए।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर चर्चा करते समय हमें इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर विचार करना चाहिए।

अतः मैं यही विचार व्यक्त करना चाहता था और मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री अजित कुमार पांजा (कलकत्ता उत्तर पूर्व) : सभापति महोदय, मैं कुछ टिप्पणियों के साथ इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

न्यायपालिका की समूची प्रणाली तभी सफल होगी जब हम ग्रामीण तथा आधारभूत स्तर पर लोगों को न्याय दिलाएंगे। जब तक यह कार्य नहीं किया जाएगा, कुछ न्यायाधीशों का वेतन बढ़ाने मात्र से कुछ नहीं होगा। हमारा अपना अनुभव है। यदि हम किसी मुनसिफ के न्यायालय में जाएं तो वहाँ की स्थिति अत्यन्त शोचनीय होती है। हमारे मुनसिफ धूल और मकड़ी के जालों से भरे अपने सभी प्रकार के दस्तावेजों के साथ वहां बैठे होते है। मुनसिफ को बहुत सा कार्य करना होता है। मैने अपने निजी अनुभव में पाया है कि एक न्यायाधीश, मुनसिफ या दण्डाधिकारी को अपराधी की जमानत की अर्जी पर विचार करते हुए उसी के साथ या उसके किसी रिश्तेदार के साथ सार्वजनिक बस में ही यात्रा करनी पड़ती है। इस दौरान अपराधी उसके साथ ही बैठा होता है। न्यायाधीश के पास न्यायालय जाने के लिए कार की सुविधा नहीं होती। अतः यह एक दयनीय स्थिति है। अपराधी न्यायाधीशों के साथ ही बैठे होते है और न्यायाधीश स्वयं को नितान्त असहाय महसूस करते हैं। जब मैं न्यायालय जाता हूं तो केवल मेरे सामने की ओर ही लाल कपड़ा होता है। उसके अतिरिक्त हर वस्तु पर मकड़ी के जाले के कारण कालिख छाई दिखाई देती है। आधारभूत स्तर पर मुनसिफ होता है, उससे ऊपर उप न्यायाधीश फिर जिला न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश और फिर उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश होता है। यदि हम उच्चतम स्तर पर न्याय प्रदान करेंगे तो इसका प्रभाव निम्नतम स्तर तक धीरे-धीरे पड़ेगा। एक मुनसिफ कार्यकुशल मुनसिफ नहीं होगा। यदि उसे अच्छा वेतन नहीं मिलता उसके पास बैठने का स्थान नहीं है, उसे किराए का मकान लेने के लिए इधर-उधर भाग दौड़ करनी पड़ती है और फिर भी मकान नहीं मिलता, उसके पास कार नहीं है यदि। अतः आदि मामलों का निपटान इसी स्तर जिसे कानून की भाषा में प्रथम बार का न्यायालय कहते हैं, निपटा लिया जाए तो न्याय शीघ्रता से प्रदान किया जा सकेगा, मामलों का भलीभांति निपटान होगा, हम कम आयु के अच्छे सुशिक्षित लड़के और लडकियों को इन पदों पर नियुक्त कर सकेंगे और फिर इसके परिणामस्वरूप उच्च न्यायालयों में स्वतः ही परेशानी भी कम होगी और कार्यभार भी कम होगा। इसलिए मेरे मुद्दे हैं : (क) नियुक्त किए जाने वाले न्यायाधीशों को आवास सुविधा प्रदान की जाए; और (ख) कम से कम आपराधिक मामलों में और दीवानी मामलों का भी कार्य करने वाले न्यायाधीशों को भी किसी प्रकार की पूल सुविधा द्वारा कार उपलब्ध कराई जानी चाहिए ताकि उन्हें कुछ एकान्त मिले।

जब न्यायालय में आधार भूत स्तर पर ही न्यायपालिका को कोई आदर सम्मान प्राप्त नहीं है तो न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग-अलग करने की बात करने का कोई फायदा नहीं है।

इसी प्रकार उप-न्यायाधीशों की स्थिति भी अत्यन्त दयनीय है। यदि हम उपन्यायाधीशों के न्यायालयों में जाएं तो हमें पता चलता है कि वहां बहुत गंदगी है। उन्हें बैठने और पढ़ने के लिए कोई कक्ष नहीं मिलता। उनके न्यायालयों में कोई पुस्तकालय नहीं होता।

महोदय, जिला न्यायाधीश की स्थिति भी उतनी ही शोचनीय है। उच्च न्यायालयों की स्थिति भी खराब है। कुछ उच्च न्यायालयों ने अपनी स्थिति में सुधार किया है परन्तु कुछ उच्च न्यायालयों जैसे कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थिति अत्यन्त दयनीय है।

महोदय न्यायाधीशों के परिलाभ बढाए जाने चाहिए। इस संबंध में मैं सरकार से दण्डाधिकारी और मुनसिफ के वेतन और भत्तों का मूल्यांकन करने का आग्रह करूंगा। अन्यथा इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उस स्थिति में वे पूर्णतः हतोत्साहित हो जाएंगे और न्यायाधीशों के बीच ही विषमता पैदा हो जाएगी।

महोदय, मैं यहां पर जिस अन्य मुद्दे का उल्लेख करना चाहता हूं वह विभिन्न उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थानों के बारे में है। हमारे देश में उच्च न्यायालयों में हजारों रिक्त स्थान पड़े है। सरकार को इस मामले की जांच करनी चाहिए। यदि मंत्री महोदय अधिक समय चाहते

है तो वह इस सत्र के दौरान सभा को रिक्त स्थानों के बारे में सूचना दे सकते है। इन रिक्त स्थानों को भरा नहीं जा रहा है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में गत तीन वर्षों से न्यायाधीशों के 20 स्थान रिक्त पड़े हैं परन्तु इन पर अभी तक किसी को नियुक्त नहीं किया गया है। न्यायाधीशों से सभी लंबित मामलों का निपटान करने की आशा कैसे की जाती है? यदि हम कलकत्ता उच्च न्यायालय के किसी भी कमरे में चले जाएं तो हमें एक तरफ हजारों पक्षसार और दूसरी तरफ हजारों दस्तावेजों से घिरे न्यायाधीश दिखाई देंगे। पर्याप्त संख्या में क्लर्क और चपड़ासी भी नहीं हैं और न्यायाधीशों के पास कोई सुविधा नहीं है। उनके आस पास हजारों धूल भरे पक्षसार पड़े रहते है। कलकत्ता उच्च न्यायालय में यह स्थिति है। 20 न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्य लंबित है और कुछ भी नहीं किया गया। यह कार्य काफी समय से लंबित है।

अतः मेरा निवेदन है कि सरकार इसी प्रकार अन्य सभी उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों और मुनसिफों की रिक्तियों के मामले की भी तत्काल जांच करे। मैं समझ नहीं पा रहा कि सरकार नियुक्तियां क्यों नहीं कर रही है। अब मुख्य न्यायाधीश को शक्तियां देकर न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया आसान बनाई गई है। मुख्य न्यायाधीश नामों की सूची भेजता है और सरकार उसमें कोई फेरबदल नहीं कर सकती। यदि सरकार कोई फेरबदल करती है तो यह संविधान के विरुद्ध है क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण हमारे संविधान में निहित है जिसे भारत में लागू किया जाना चाहिए। अतः न्यायाधीशों की रिक्तियां शीघ्रातिशीघ्र भरी जानी चाहिए।

महोदय, 1986 के पश्चात् अब इस विधेयक के माध्यम से न्यायाधीशों के वेतनमानों में वृद्धि की जा रही है। आप कल्पना कीजिए कि उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश मात्र 30,000 रु॰ प्रति माह वेतन पायेगा? अन्य अवर न्यायाधीश मात्र 26,000 रु॰ प्रति माह वेतन पायेंगे। अब 1998 में, इतने लम्बे समय तक विलम्ब करने के पश्चात् क्या उन्हें यही वेतन दिया जाना चाहिए? आज एक उच्च कार्यकारी अधिकारी का वेतन क्या है? उन्हें गरिमा प्रदान करना एक अलग बात है पर आर्थिक गरिमा का भी अपना एक महत्व है। अतः मेरा प्रस्ताव है कि सरकार मान ले, क्योंकि वृद्धि करने में विलम्ब हुआ है। उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों को 40,000 रु॰ प्रति माह और अवर न्यायाधीशों को 30,000 रु॰ प्रति माह, न कि 26,000 रु॰ प्रति माह जैसा कि विधेयक में प्रस्तावित है, वेतन दिया जाना चाहिए यह वृद्धि 1 जनवरी, 1996 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू होना चाहिए।

हमारे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को सर्वोच्च गौरव प्रदान किया जाना चाहिए हम वृद्धि के पश्चात् उन्हें मात्र 33,000 रु॰ प्रति माह का वेतन दे रहे हैं। क्या वे 50,000 रु॰ प्रति माह नहीं पा सकते हैं? क्या हमारा देश इतना गरीब है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को 50,000 रु॰ प्रति माह का वेतनमान देकर उनकी गरिमा बढ़ाई जा सकती है। निःसन्देह, उन्हें कुछ परिश्रमिक, एक कार और एक अच्छा आवास मिलता है क्योंकि यह हमारी राजधानी है। न्यायाधीशों का दर्जा सभी कार्यकारी अधिकारियों से ऊपर होना चाहिए।

महोदय, राज्यों में न्यायाधीशों के आवास की हालत अभावग्रस्त है। कलकत्ता में वे दर-दर भटकते हैं और आवास प्राप्त करने के लिए मकान मालिकों से अनुनय विनय करते रहते हैं क्योंकि वहां वे स्थानान्तरित होते रहते हैं। सबसे बुरी बात यह है कि उन्हें आवास सुविधा प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार के समक्ष हाथ फैलाने पड़ते हैं। तो फिर न्यायपालिका और कार्यपालिका के पृथक्करण का क्या लाभ है? एक न्यायाधीश को किसी अन्य राज्य से कलकत्ता स्थानान्तरण होने पर आवास प्राप्त करने हेतु राज्य के लोक निर्माण विभाग मंत्री को हजारों फोन करने पड़े क्या इसी प्रकार यह देश चलेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरा आपसे और आपके माध्यम से मंत्री जी से सादर निवेदन है कि इस पर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानान्तरण करते समय मुख्य न्यायाधीश के सचिव अथवा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को स्थानान्तरित न्यायाधीश के लिए आवास की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों को तत्काल फोन करना चाहिए और न्यायाधीशों को लोक निर्माण विभाग मंत्री अथवा राज्य के किसी मंत्री को फोन नहीं करना चाहिए। उन्हें इस प्रयोजनार्थ मुख्य मंत्री को फोन करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में यही सब हो रहा है और मैं नही कहना चाहता कि वहां न्यायपालिका किस प्रकार प्रभावित हो रही है। इसलिए, उन्हें वास्तविक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

पारिश्रमिक के बारे में मेरा प्रस्ताव है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 33,000 रु॰ के बदले 50,000 रु॰ दिए जाने चाहिए और उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों को 30,000 रु॰ के बदले 40,000 रु॰ दिए जायें।

महोदय, कृपया परिवर्ती उपबंधों से संबंधित खंड देखें। क्या हम इतने गरीब हो गये है कि न्यायाधीशों के वेतन की बकाया राशि का भुगतान किस्तों में किया जाए? यदि किसी अन्य देश को पता चल गया तो वे क्या सोचेंगे मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय एक अच्छा पेशेवर वकील होने के नाते समस्या को भली-भांति समझ सकेंगे।

अतः इस किश्तों वाले खंड को लोप किया जाना चाहिए। न्यायाधीशों का वेतन किश्तों में न देकर सीधे-सीधे दिया जाना चाहिए।

अब लम्बित मामलों की बात करें। आजकल हर जगह कम्प्यूटरों का प्रयोग हो रहा है। मुझे विश्वास है कि मंत्री महोदय इसकी जांच करेंगे एक केन्द्रीय कम्प्यूटर में लम्बित मामलों की संख्या दर्ज हो और मामला क्यों लम्बित है यह कारण भी दिया हो। हम वकील लोग भी कभी कभार गलती करते है। हम महीनों ही नही अपितु वर्षों तक के स्थगन प्राप्त करने के लिए न्यायाधीशों के समक्ष तर्क वितर्क करते है। इसलिए कम्प्यूटरों में लम्बित मामलों की संख्या और लम्बन के कारण दर्शाने वाला फीड बैंक भी होना चाहिए ताकि माननीय मुख्य न्यायाधीश शीघ्रातिशीघ्र उनकी छटनी कर सकें।

अब मैं उच्चतम न्यायालय की सर्किट पीठों की ब..ा करता हूं। वास्तव में, जिलों में उच्च न्यायालय की सर्किट पीठें भी अत्यावश्यक

[श्री अजीत कुमार पांजा]

है। मान लीजिए में लक्षद्वीप में कावारत्ती का निवासी हूं और उच्चतम न्यायालय में कोई मामला दर्ज करना चाहता हूं तो मुझे जलमार्ग से कोचीन जाना पड़ेगा और वहा एक रेल टिकट खरीदकर एक माह की प्रतीक्षा करके यहां वकील से मिलना पड़ेगा। किन्तु मैं गरीब हूं। उच्चतम न्यायालय में किसी को नहीं जानता। वहा आवारा घूमता हूं। फिर सुनवाई की तिथि को एक महीने बाद की तारीख मिल जाती है। पर मैं दिल्ली में कहा ठहरूंगा? क्या हम अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह की कल्पना कर सकते है? न्याय मांगने वाले को न्याय नहीं दिया जा रहा है। एक पेशेवर वकील के नाते मुझे इस बात का बहुत अफसोस है सशक्त राज्य द्वारा किसानों की भूमि अवैध रूप से हथियाई जाती है। पर गरीब किसान क्या लड़ाई लड़ेगा। वह मुनसिफ न्यायालय में जाएगा। गरीब मुनसिफ के पास न तो किताबें है और न ही पुस्तकालय। उसे नवीनतम निर्णयों का ज्ञान नहीं है। उसे वकील के कहे अनुसार चलना पडता है। फिर वह उपन्यायाधीश के पास जाएगा। बेचारे उपन्यायाधीश को भी अच्छी सहायता उपलब्ध नहीं है और वह सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रति भी नहीं खरीद सकता है और अपना निर्णय देता है, फिर वह बेचारा किसान जिला न्यायाधीश के पास अपील करता है। परन्तु उसे भी बार से कोई सहायता नहीं मिलती न तो उसके पास किताबे उपलब्ध हैं और न पुस्तकालय, उसका कोई दोष नहीं है। परिस्थितियों ने उसकी कुशाग्र बुद्धि को क्षीण कर दिया है। फिर गरीब किसान उच्च न्यायालय और फिर उच्चतम न्यायालय के चक्कर लगाता है। तब तक उसका उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है क्योंकि न्याय में विलम्ब का अर्थ है न्याय से वंचित होना। कुछ सदस्यों ने कहा है कि तीन सर्किट पीठ होनी चाहिएं पर मेरा सुझाव है कि यह पीठ एक जगह स्थापित न करके जगह-जगह घूमनी चाहिए, प्रत्येक राज्य में जानी चाहिए। उच्चतम न्यायालय में लगभग छः रिक्तियां है उन्हें क्यों न भरा जाए? एक वर्ष पूर्व हमारे राज्य में दो न्यायाधीश सेवामुक्त हुए। किन्तु उनकी रिक्तियां भरी नहीं गई। उन्हें भरा जाना चाहिए क्योंकि वह न्याय प्राप्ति की अन्तिम सीढ़ी है। हम गरीब किसानों के लिए बरगाडा की भांति 226 आवेदन दे सकते हैं जिसे पश्चिम बंगाल राज्य के उत्पीडनों के चलते अपनी भूमि से हाथ धोना पड़ा। अब में अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सीधे कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय की सर्किट पीठ में मुकदमा दायर करके अंततः न्याय प्राप्त कर सकता हूं। अब मुझे प्रत्येक न्यायालय के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है। जब सर्किट पीठ के बारे में हमारे पास एक प्रश्नावली आई तो हमने दो वर्ष पूर्व इसका उत्तर दिया। परन्तु सरकार इस बारे में कुछ नहीं कर रही है। राज्य सरकार कई बहाने बना रही है। परन्तु केन्द्रीय सरकार को दृढ संकल्प होना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के कई कक्ष है। द्वितीय पीठ के न्यायाधीश एक महीने वहां ठहरकर मामलों का निपटान कर सकते हैं। वह अंतिम निर्णय होगा और यही वास्तविक न्याय होगा।

इसके बाद उच्चतम न्यायालय को छोडकर और कहीं अपील नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार उच्च न्यायालयों की सर्किट पीठें होनी चाहिए। कलकत्ता में उच्च न्यायालय ने उत्तरी बंगाल में सर्किट पीठ स्थापित करने का निर्णय लिया क्योंकि वहां के लोगों को डेढ़ दिन की यात्रा करके आना पड़ता था और रेल का टिकट भी नहीं मिलता था। इसलिए, सभी राज्यों में सर्किट पीठों का गठन किया जाना चाहिए ताकि ये सभी लोगों को उचित और वास्तविक न्याय दे सकें।

अतंतः इस सरकार ने अपने दल के घोषणा पत्र में कहा है कि यह गरीब लोगों को सबसे निचले स्तर पर भी अनुपाती न्याय उपलब्ध करायेगी। इस प्रयोजनार्थ से सरकार शीघ्र एक संशोधन लाकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से लेकर मुनसिफ मजिस्ट्रेटों तक के वेतन मानों में वृद्धि करे और उनके आवास की व्यवसथा करके उन्हें कारे उपलब्ध कराए। मंत्रियो अधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों तथा मण्डल निरीक्षकों और पुलिस थानों के अधिकारियों को कारें उपलब्ध हैं जब कि न्यायाधीशों को कारें उपलब्ध नहीं हैं। क्या आप यह अनुमान लगा सकते है कि एक उप न्यायाधीश को न्यायालय जाने के लिए कार सुविधा प्राप्त करने हेतु पुलिस अधीक्षक को टेलीफोन करना पड़ा, क्योंकि पश्चिम बंगाल के एक जिले में तेहरे कत्ल का मामला चल रहा था। इसलिए, कृपया इन मामलों पर ध्यान दीजिए।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक का समर्थन करता हूं और मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री मेरे द्वारा उठाए गए इन कुछेक मुद्दों से सहमत होंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, इस विधेयक का समर्थन करना, हमारी मजबूरी है। हम इसका स्वागत करते है क्योंकि इस देश के बड़े अधिकारी और इस देश के जजेज को 25,000, 26,000 और 30,000 रुपये जब तक वेतन नहीं मिलेगा तब तक वे अपने काम को ईमानदारी से अंजाम नहीं दे सकते। केवल इस देश में मैम्बर आफ पार्लियामेंट है जो रु॰ 1500/- में अपने काम को ईमानदारी से अंजाम देते है। बाकी किसी कैटेगरी के लोग यदि उनको 30,000 रुपए से कम वेतन मिले, तो वे ईमानदारी से अपना काम नहीं कर सकते है। इसलिए मैं इसका स्वागत और समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, इस बहाने से सरकार को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। चूकि न्यायिक सक्रियता के नाम पर हमारे संविधान निर्माताओं ने जो इंतजाम बनाया था, उसमें हस्तक्षेप के नए-नए आयाम खुल रहे हैं। इस देश में 1964 में एक बहुत बड़ा केस हुआ था जिसको हम केशव सिंह के नाम से जानते है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय की बड़ी बैंच ने न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र क्या होंगे और कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र क्या होंगे, इसकी समीक्षा की थी। उसके बावजूद अब न्यायपालिका की ओर से निर्देश जाने लगे हैं कि सदन की कार्यवाही को विधान सभा के स्पीकर किस तरह संचालित करें, किस तरह से अपने कर्मचारियों के चयन, नियुक्ति और प्रोन्नति में लोक सभा के स्पीकर कार्रवाई करे। इस तरह के हस्तक्षेप और इस तरह के इंतजाम को खत्म करने की जो नई पद्धति चल रही है, इस पर बहुत गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय, दूसरी बात में कहना चाहता हूं कि जजों को प्रलोभन देकर बेईमान बनाने की जो प्रथा थी, वह दुनिया में प्रचलित थी, लेकिन अपना देश उससे अछूता था और इसीलिए दुनिया के लोक तंत्र में भारत की न्यायपालिका इस मामले में प्रसिद्ध थी कि हमारे देश के जज किसी प्रलोभन में नहीं आते, लेकिन अब धीरे-धीरे नई पद्धति की शुरूआत हो रही है। हमने हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट के जजेज के लिए उम्र इसीलिए अधिक रखी ताकि वे अपने जीवन के सबसे सुंदर अवसर का उपयोग न्यायपालिका के लिए कर सकें। इसलिए जो आम कर्मचारी या उसके मुकाबले उनकी उम्र चार-पांच साल अधिक रखी गई, लेकिन अब सेवानिवृत्ति के बाद वे राज्यपाल बनाए जा रहे है। राज्य सभा में पहुंचाए जा रहे हैं। किस तरह उनको प्रलोभन दिया जाए इसकी एक नई कोशिश की जा रही है। इसलिए हम कानून बनाकर इस पद्धति को रोकने के लिए एक नई व्यवस्था करें।

सभापति महोदय मैं ईमानदारी से, निजी जानकारी के आधार पर कह सकता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय के बहुत से सेवानिवृत मुख्य न्यायाधीश आज भारत की बहुत बड़ी कंपनियों के नौकर बन रहे हैं और उन कंपनियों की ओर से उन्हें कंसल्टेंट के नाम पर एक और सवा लाख रुपया महीना वेतन दिया जा रहा है।

सभापति महोदय, आज सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा कंसल्टेट के नाम पर नौकर रखा जा रहा है और उन्हें एक-एक, सवा-सवा लाख रुपया महीना वेतन दिया जा रहा है। इस प्रकार से एक नए सिरे से भारत की न्यायपालिका को भ्रष्ट बनाने की कोशिश हो रही है।

जो निम्नस्तर की न्यायपालिका है उसके नियंत्रण की पद्धति, है लेकिन जो उच्च स्तर की न्यायपालिका है, उसके भ्रष्टाचार से निपटने के लिए जो हमारा संवैधानिक इंतजाम है वह इतना टेढ़ा है कि पिछले 50 वर्ष में केवल एक अनुभव है जिसमें संसद के सामने न्यायपालिका ने अपनी जांच के उपरान्त इस सदन के सामने विशेष महाभियोग लगाने का एक प्रस्ताव पेश किया था और वे जज साहब भी किन्ही कारणों से छूट गए। इसके चलते, निर्भय और उन्मुक्त भ्रष्टाचार के वातावरण में विचरण करने की जो नई पद्धति तैयार हो रही है, इस पर हमें विचार करने की आवश्यकता है और उसके साथ-साथ जज महाशय की नियुक्ति की जो पद्धति है उसके बारे में भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। मैंने कल एक प्रस्ताव यहां रखा था, लेकिन कल सदन की बैठक नहीं हो सकी इसलिए वह प्रस्ताव नहीं आ सका। वह प्रस्ताव इस प्रकार था कि भारत में जो सामाजिक परिवर्तन का कानून है वह कानून भारत के संविधान को एप्लाई करने का देखरेख करने का सबसे बड़ा दायित्व न्यायपालिका पर है, लेकिन भारत के समाज परिवर्तन का जो सबसे बड़ा कानून है, दलितों के लिए आरक्षण का कानून, वह हायर जुडीशियल सर्विस में आज की तारीख तक लागू नहीं है और उसके लिए मैंने एक प्रस्ताव पेश किया था जो किन्ही कारणों से नहीं आ सकता क्योंकि कल सदन की कार्यवाही स्थगित हो गई थी। जो नीचे से लेकर जुडीशियल सर्विस है उसमें दलित आदमी डिस्ट्रिक्ट जज तक पहुंचता है, लेकिन दलित परिवार के व्यक्ति का नाम किन्ही कारणों से हाइकोर्ट के जज बनने की योग्यता रखता है, लेकिन उसका नाम रिकमेंड नहीं होता। ऐसा क्यों इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। हम बहुत फख्र के साथ कहते है कि हमने लोक सभा का स्पीकर दलित परिवार से बनाने का काम किया। इस देश के दलित का सीना गर्व से फूलना चाहिए। उसका मस्तक सम्मान से ऊंचा होना चाहिए। भारत की जो सबसे बड़ी कुर्सी हैं, राष्ट्रपति का पद, उस पर हमने उस परिवार के व्यक्ति को बैठाया है, हमारा सीना गर्व से फूलना चाहिए, हमारा मस्तक इज्जत से ऊंचा होना चाहिए। हमने इस संविधान को जो आजाद भारत ने संविधान बनाया उसको बनाने में जिस आदमी का सबसे बड़ा योगदान था, जिसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वह दलित परिवार का था, लेकिन उस परिवार से लोग सुप्रीम कोई और हाइकोर्ट के जज नहीं हो सकते। ऐसा आज 50 साल की भारत की आजादी के बाद भी इस देश में क्यों है? इसके लिए हमारे देश की जो सामाजिक व्यवस्था है क्या वह जिम्मेदार नहीं है? हमें कानून बनाकर जजों की नियुक्ति के मामले में इस तरह के लोगों को लाने के इंतजाम के बारे में सोचना चाहिए। इसी सुझाव के साथ में इस विधेयक का समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : मान्यवर में संक्षिप्त में ही बोलने का प्रयास करूंगा। आल इंडिया जजेज एसोसिएशन की ओर से यह प्रस्ताव मूल रूप से आया था। सरकार की ओर से 1.4.1996 से जजेज के वेतन संशोधित करने का जो प्रस्ताव हमारी सरकार की ओर से आया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। यहां पर 30 हजार रुपए करने की जो बात कही है, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जजेज के रहने की सुविधा, उनके बैठने के लिए चैम्बर की सुविधा, उनको एक कंप्यूटर मिल सके इस बात की सुविधा, उनके फर्नीचर की सुविधा, उनकी लाइब्रेरी की सुविधा, ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए।

मान्यवर, पहले ऐसा माना जाता था कि भगवान से मिलना आसान है, लेकिन जजेज से मिलना मुश्किल है। यह इसलिए था क्योंकि पहले जजेज सोशयली अपने आपको रिस्ट्रिक्ट रखते थे। सामाजिक फंक्शन जैसे शादी, विवाह आदि में नहीं जाते थे। आजकल जब वे जाते हैं, मिलते हैं तो लगता है कि वकील साहब अच्छे हैं, इनका असर जजों पर बहुत अच्छा होगा, ये तारीख बदलवा लेंगे, मैं समझता हूं कि इस संबंध में पहले जो रुकावट थी वह अब नहीं है। कार्यपालिका, विधायिका और ऐग्जीक्यूटिव, इन तीनों में इस समय समन्वय नहीं है। इनमें समन्वय होना जरूरी है। मैं जयपुर शहर के बारे में बताना चाहता हूं कि वहां जजों ने फैसला दे दिया है कि सारे जयपुर शहर के बरामदे खाली हो जाएं लेकिन बरामदे के आगे जो बरामदा बना है, वह खाली नहीं हो सकता—ऐसा इम्प्रैक्टिकल जजमैंट दे दिया है। राज्य सरकार, नगर निगम थिंतित है कि बरामदे किस प्रकार खाली कराए जाए। जजों को इस बारे में विचार करना चाहिए कि कौन से मुकदमें में क्या निर्णय दे रहे हैं।

इसी प्रकार जयपुर शहर में हनुमान जी का एक मंदिर बना हुआ है। सारा समाज उद्वेलित है। जजों ने फैसला दे दिया कि हनुमान जी

[श्री गिरधारी लाल भार्गव]

के मंदिर को तोड़ दिया जाए, क्या जजों को लोगों की धार्मिक भावना का पता नही है। जयपुर शहर में केवल एक राम बाग है जिसमें आना-जाना बंद करवा दिया गया है। यह हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों का काम नहीं है। इसलिए कार्यपालिका, न्यायपालिका और ऐग्जीक्यूटिव में समन्वय होना बहुत जरूरी है।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन और पैंशन बढ़ाने के बारे में जो बात कही गई है, उसका मैं समर्थन करता हूं लेकिन जो जिले के जज या मुंसिफ मैजिस्ट्रेट हैं, उनके संबंध में भी विचार करना बहुत जरूरी है।

इसी प्रकार से सर्किट बैंक खुलने चाहिए। हमारी सरकार ने कहा है कि हम गरीबों को न्याय देगे। गरीबों को सस्ता न्याय देने के संबंध में भी विचार हो।

वर्षों से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में मुकदमें पड़े हुए हैं। पीढ़ी-दर-पीढ़ी, बेटा मर गया, पोता मर गया लेकिन उनका फैसला नहीं हो पाता। इसलिए तारीख देते समय जजों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि इस मुकदमें का निर्णय एक साल या डेढ़ साल के अंदर होना बहुत जरूरी है। इस संबंध में भी आप विचार करें।

जजों के वेतन बढ़ाने की बात तो हो रही है लेकिन जो माननीय सदस्य यहां बैठे हुए है, उनका वेतन शायद केवल दस हजार रुपये है और चार हजार रुपये पी॰ए॰ का वेतन है। ...*(व्यवधान)* मूल वेतन डेढ़ हजार है लेकिन मैं टोटल की बता कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)* मेरा निवेदन है कि माननीय सदस्यों का वेतन बढ़ना भी बहुत जरूरी है। माननीय सदस्यों को कुल मिलाकर दस हजार रुपये मिलते हैं, उससे ठीक प्रकार से वे अपना पालन नहीं कर सकते। इस संबंध में भी विचार करना चाहिए।

हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जजों सहित कई स्थान रिक्त पड़े हुए हैं। सरकार को चाहिए कि जल्दी ही उन रिक्त स्थानों को भरा जाए। जहां पन्द्रह जजों की आवश्यकता है, मैं समझता हूं कि वहां पांच जज ठीक प्रकार से न्याय नहीं कर सकते। इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जितने जज होने आवश्यक हैं, उनकी पूर्ति हो।

अंत में निवेदन है कि जजों की ट्रांसफर मुख्य न्यायधीश से पूछकर की जानी चाहिए। यदि जयपुर के जज को इलाहाबाद या और कहीं ट्रांसफर कर दिया गया तो उससे जजों में असंतोष पैदा होता है। बिना पक्षपात के, एक पॉलिसी के तहत यदि ट्रांसफर किया जाए तो मुनासिब होगा। इसलिए हाई कोर्ट के जजों के वेतन को 30,000 रुपये करने की जो बात की गई है, मैं एक बार फिर उसका समर्थन करता हूं और पैंशन बढ़ाने का भी समर्थन करता हूं। लेकिन एक किश्त के बाद दूसरी किश्त मिलने के बारे में, मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस संबंध में विचार करें। मैं समझता हूं कि उनको वेतन देना चाहिए और किश्त वाली पद्धति को हटाना चाहिए।

आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए यहां खड़ा हुआ हूं। बहुत सालों के बाद न्यायिक संस्था के लिए अच्छे विचार का बिल आया है। यदि हम समर्थ न्याय चाहते हैं, सच्चा न्याय चाहते हैं और वे किसी प्रलोभन में न जाएं, ऐसा चाहते हैं तो इसी रास्ते से उनको समर्थ बनाना होगा। आज आपने एक शिखर तत्व को स्वीकार किया है। ज्यूडीशियल कमीशन की रिपोर्ट भी आपके पास पड़ी हुई है, उस पर थोड़ा सा काम चला भी है। आप यह कब सोचेगे कि डिस्ट्रिक्ट जज और मजिस्ट्रेट के मामले में भी कुछ करें। जहां असली प्रलोभन की बात चलती है, जब तक आप उसका बेस नहीं सुधारेंगे, मूल नहीं सुधारेंगे, तब तक एक अच्छी तरह का न्याय गरीबों को नहीं मिल सकता। न्याय सस्ता जरूर मिलेगा, लेकिन वह न्याय बिकने वाला न्याय मिल सकता है, वह न्याय सेल हो सकता है।

आप तो सुप्रीम कोई में प्रैक्टिस करते हैं, इसलिए आपको पूरा पता है और भाभीजी भी प्रैक्टिस करती हैं, इसलिए आपको पूरा पता है। माननीय मंत्री महोदय कभी लेबर मिनिस्ट्री का अधिकार स्वीकार करत हैं, कभी इनर्जी का स्वीकार करते हैं। और आज न्यायिक संस्था का स्वीकार करने आये है, अच्छा है, आप सब जगह हैं। आप ओम्नीपोटेंट हैं, आलें राउण्डर हैं।

आज बहुत महत्वपूर्ण बात हमारे साथी श्री मोहन सिंह जी ने कही, क्या यह सरकार ध्यान देगी कि सुप्रीम कोर्ट में शैड्यूल्ड कास्ट्स के दो-दो जजेज हुआ करते थे, आज एक जज हैं, वे भी रिटायर हो रहे है। जिस देश में आरक्षण का डायरैक्शन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है कि 50 परसेंट के ऊपर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, उसी संस्था में आज एक भी रिजर्व कैटेगरी का सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं आता है तो क्या कारण है? हमें इस बात की खुशी है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेज को स्ट्रेंदन करें, उनको सुविधा दें, और भी सुविधा देनी चाहिए। यहां कंटेम्ट के बारे में एक बार एक जज के बारे में भी सुनवाई हुई थी, यह सब देखते हुए हमें यह सोचना चाहिए कि शैड्यूल्ड कास्ट्स के जजेज क्यों नहीं मिलते है। मंत्री महोदय, मुझे आप यह बताइये कि देश के सब हाई कोर्ट्स में शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के आज कितने जज है। ...*(व्यवधान)* नहीं, है। मुझे यह पता है कि जहां उत्तर प्रदेश में एक या दो हाई कोर्ट के शैडयूल्ड कास्ट्स के जज थे, जिनके बारे में हम कई बार यहां गवर्नमेंट तक वह केस लाये थे कि उनको सुप्रीम कोर्ट का जज बनायें, लेकिन ज्यूडिशियरी और एग्जीक्यूटिव अलग होने के कारण आपके हाथ भी बंधे हुए हैं। जब न्याय मिलता है तो न्यायिक संस्था को भी यह सोचना होगा कि भारतीय संविधान में जो डायरैक्शन दी है, जो फण्डामेंटल राइट्स हैं, जो डायरैक्टिव प्रिंसीपल्स हैं, उसको साथ में रखकर, ध्यान में रखकर क्या आपको इसको इण्टरप्रेट नहीं कर सकोगे। मैं समझता हूं कि जब हम इनके वेतन बढ़ाने की और सुवधिा देने की सोच कर रहे हैं तो ऐसे वक्त उनके कान में यह बात भी जानी चाहिए कि रिजर्वेशन वहां पर प्रापरली मेंटेन नहीं हो रहा है। बहुत बार कहा जाता है कि "उपयुक्त न्यायाधीश उपलब्ध नहीं है।" हाई कोर्ट के जजों का जो

एपाइंटमेंट होता है, वह बार में से होता है और बार में जिसकी प्रैक्टिस अच्छी है, दस साल प्रैक्टिस करते हैं, 15 साल प्रैक्टिस करते हैं, उन लोगों की प्रैक्टिस के मुताबि उनका एपाइंटमेंट होता है। एक बार सरकार हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बार की एक लिस्ट मंगा ले कि कितने शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैड्यूल्ड ट्राइब्स के वकील, एडवोकेट वहां प्रैक्टिस करते हैं, कितने सालों से प्रैक्टिस करते हैं। यह लिस्ट मंगा लें और उसको कम्पाइल करें और उनमें से आप सलैक्ट करें। मैं यह नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री या न्यायमंत्री उसको यहां बुलाएं। इसको हाई कोर्ट करे, सुप्रीम कोर्ट करे, लेकिन इसकी एक लिस्ट कम्पाइल करे और देश में शैड्यूल्ड कास्ट्स, शैड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रैक्टिस करने वाले कितने एडवोकेट्स हैं, जो पांच साल के ऊपर हैं और 15-20 साल तक से प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसकी जरा एक लिस्ट बनाएं और उसको हमारे सामने भी आनें दें। न्यायिक संस्था और हमारा न्याय डिपार्टमेंट तो यह लिस्ट बार एसोसिएशन से कलैक्ट कर सकता है।

इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं सुझाव देना चाहता हूं कि हरेक राज्य की बार एसोसिएशन से और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ... *(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : इनका मतलब वकीलों की कांग्रेस से है।

श्री सुशील कुमार शिंदे (शोलापुर) : लालू जी ठीक कह रहे हैं, जिलों में भी वकीलों की कांग्रेस होती है। मेरी जिंदगी कांग्रेस में गुजर गई तो कांग्रेस ही मुंह से निकलेगा, कोई भारतीय जनता पार्टी या शिव सेना नहीं निकलेगा। कांग्रेस एक पार्टी है, उसको हम इसके बीच में नहीं लाना चाहते। मैं इतना ही कहूंगा कि भारत की न्यायपालिका के सामने जब जजेज के आरक्षण का सवाल है तो उस पर सरकार को अधिक ध्यान देना होगा।

मैं ज्यादा सम्भाषण नहीं करूंगा, केवल एक पाइंट की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहूंगा, जो हमारी पार्टी का भी एक प्रमुख कार्यक्रम है। हम चाहते है कि अछूतों को भी न्याय मिले। अभी उस तरफ बैठे हुए लोग बड़े लोगों की बात कर रहे थे, दिल्ली में क्रिश्चियंस को अलग करने की बात हो रही थी, लेकिन मुझे खुशी है कि प्रधान मंत्री जी ने उस बारे में यही उत्तर दिया। अगर इस प्रकार की नीति चलेगी तो गरीबों को न्याय नहीं मिल पाएगा। इसलिए न्यायिक संस्था पर जिम्मेदारी है कि यदि न्याय देना है तो वह अपने घर में इसकी शुरूआत करे और दलितों तथा अछूतों के साथ जो अन्याय हो रहा है उनको न्याय देने का काम करें। इससे उनको श्रेष्ठता प्रदान होगी, तभी काम पूरा होगा।

इन्ही शब्दों के साथ में सेक्शन 4 और 7 में सरकार जो संशोधन लाई है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : महोदय, जो बिल लाया गया है और जिसे हम कानूनी मान्यता प्रदान करने जा रहे हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिए करता हूं कि यह पूर्व सरकार का बिल है, कोई भारतीय जनता पाटी की सरकार का बिल नहीं है। यह कंटीन्अस प्रोसेस है जिसको कैरीओवर कर रहे हैं। अगर हम समर्थन नहीं करेंगे तो ये लोग हार जाएंगे।

महोदय, मैं चंद बाते आपकी सेवा में रखना चाहता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि आजाद भारत में चटाई पर बैठ कर गरीबों को, सर्वहारा को न्याय दिया जाएगा। लेकिन आज बापू के ये विचार केवल विचार ही रह गए हैं। गरीबों को सही मामले में न्याय नहीं मिल रहा है। इसके कई गहरे कारण हैं। देश में एक तरफ सम्पन्न लोग हैं तो दूसरी तरफ पिछड़े वर्ग के लोग, अल्पसंख्यक और हमारे आदिवासी भाई हैं, जो बहुत बड़ी संख्या में हैं। स्टेटस-को मेनटेन करने वाले लोग नए लोगों को आने नहीं देना चाहते। इसलिए आज जरूरत है कि हम केवल उनकी तनख्वाह बढाने की ही बात न करें, उसमें उन पिछड़े लोगों की भागीदारी की भी बात करें। न्यायपालिका के जजों का वेतन बढ़ाने जा रहे उसमें उनका इनकम टैक्स काट लिया जाए, अन्य कटौतियां कर दी जाएं, तो जो उनके वेतन का आकार सदन में लाया गया है, यह बहुत कम हो जाता है। इसलिए कि न्याय में न्यायधीशों को कोई तकलीफ न हो और निर्विवाद रूप से वे न्याय दें। आप जानते हैं कि हमारे देश भारत की आबादी चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। जनसंख्या के अनुपात में हमारे झगड़े, हमारे लिटीगेशन और हमारे विवाद बढ़ते जा रहे है। मैं सहमत हूं, माननीय सदस्य पांजा जी से, न्यायपालिका के जजों के आवास के मामले में कुव्यवस्था और गन्दगी है। उन्होंने इसका जिक्र किया है, क्योंकि उनको अनुभव है और वे प्रख्यात वकील हैं। मैंने एलएलबी पास किया है और वह भी जेल में पास किया है। मैंने प्रैक्टिस नहीं की है, लेकिन मुझे अनुभव है। बिहार को अपमानित किया जाता है, लेकिन कलकत्ता के कम्पैरिजन में मैं सदन को बताना चाहता हूं। कलकत्ता हाईकोर्ट में हमारे राज्य से भी कुछ जजेज ट्रांसफर हो कर गए है। मैंने उन जजेज से पूछा-आपकी यहां क्या हालत है, आप कैसे रहते हैं? उन्होंने बताया - कलकत्ता में उन लोगों के रहने के लिए जो व्यवस्था है, मैं वहां की सरकार की आलोचना नहीं करना चाहता हूं। वह यह है कि फ्लैट के ऊपर फ्लैट और कबूतरखाने के ऊपर कबूतरखाना। कलकत्ता के बारे में माननीय सदस्य जानते होंगे और सहमत होंगे। मैंने एलएलबी पास की, क्योंकि में जानता था कि स्वतन्त्र भारत में हम पिछड़े लोगों को नौकरी मिलने वाली नहीं है, इसलिए वकील बनने पर विचार किया। इतना सब कुछ होने पर हम वकील लोगों को दोष दें, यह कहां तक उचित है। ऐसा लगता है, माननीय सदस्य जैन साहब लोअर कोर्ट में प्रैक्टिस करते है और लोअर कोर्ट में यह बात सही है कि ज्यादा लोड है। सारा काम वहां से छनकर हाई कोर्ट में आता है और अगर हाई कोर्ट से छना तो फिर सुप्रीम कोर्ट में आता है। यहां चर्चा होती है, सरकार ने जुडिशियरी के लिए कुछ नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट जजेज की कान्फ्रेन्स में तय हुआ कि सरकार पर भरोसा करके मत बैठिए...

श्री सत्य पाल चौन : लालू जी, मैं हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं। सुप्रीम कोर्ट में नहीं।

श्री लालू प्रसाद : हम चाहते है कि आप सुप्रीम कोर्ट में भी करिए। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि सुप्रीम कोर्ट को फैसला लेना पड़ा कि गाड़ी की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था, टेलीफोन और कम्प्यूटर की व्यवस्था होनी चाहिए। देखा जाए, तो सबसे बदत्तर हालत न्यायपालिका के परिवारों की है। जो नए लोग है, उनकी हालत को भी देखना चाहिए। मैं होई कोर्ट के एक चैम्बर में गया, जहां से हमारे वित्त मंत्री जी यशवंत सिन्हा जी, आते हैं। वहां बरामदे में वकील को बैठने के लिए कुर्सी नहीं है और कुर्सी है भी, तो जिस प्रकार हाथी के पैर को सीकल से बांधकर रखा जाता है, उसी प्रकार कुर्सी के पैर को भी बांध कर रखा जाता है कि कही कोई उनकी कुर्सी खिसका न ले। वहां यह हालत है और बहुत ही संभलकर बैठना होता है कि कही एक्सीडेंट न हो जाए। ऐसी स्थिति में एक्सीडेंट होना वाजिब है, लाजमी है। ऐसी स्थिति में न्यायपालिका को काम करना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तनख्वाह 40 हजार से 60 हजार करिए और हाई कोर्ट के जस्टिस की तनख्वाह 50 हजार रुपए कीजिए। इनकी संख्या कम है, इसलिए कोई खर्च ज्यादा नहीं होगा। साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट से लेकर नीचे तक जो व्यक्ति जुडिशियरी में लगे हुए है, उनकी संख्या में बढ़ोतरी कीजिए। लोग ऐसा भी समझते हैं कि उनकी तनख्वाह बहुत बढ़ गई है। इनकम टैक्स काटने के बाद उनको क्या तनख्वाह मिलती है, यह जानकारी तो हमारे जसवन्तजी बता देंगे कि उनको फिर कितना पड़ता है। मैं इस बात को मानता हूं कि हमारे राज्य में 48 लाख केसेज पैंडिग पडे हुए हैं। इतनी संख्या को देखते हुए जजों की संख्या में बढ़ोतरी होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में निश्चित रूप से दलित वर्ग के लोगों को आरक्षण मिलना चाहिए। कैसे मिलेगा, यह केन्द्रीय सरकार को देखना चाहिए। इस बारे में व्यवस्था हमारे भारत के संविधान में हमारे पुरखों, बाबासाहिब अम्बेडकर, ने कर रखी है और वह यह है कि एपांइटमेंट जुडिशियल कमीशन के माध्यम से होना चाहिए। नियुक्ति में अच्छे लोग आयें, मैं कोई जातपात की बात नहीं कहता हूं, लेकिन जुडिशियल कमीशन इस देश में होना चाहिए।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। यह कैसी विडम्बना है, यह विधेयक पास होने जा रहा है और न्यायधीशों को जो तनख्वाह हम निश्चित करने जा रहे हैं, वह कैबिनेट सैक्रेटरी से बहुत कम है। हम आशा करते हैं कि यह सरकार न्यायधीशों को न्याय देगी, लेकिन साथ ही मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं यह बात कोई अपमानित करने की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं। न्यायालयों में निर्णय देने में जो विलम्ब हो रहा है, इसके लिए हम वकील भी दोषी हैं।, होता यह है कि पक्ष और विपक्ष के वकील मिल जाते है और वे नहीं चाहते है कि निर्णय जल्दी से हो और क्लायेंट हमारे हाथ से निकल जाए। इस स्थिति में जजेज भी क्या करेगे और ऊपर से पुलिस की डायरी, पीपी साहब और एसपी साहब तथा जजेज भी अपनी बात कह रहे हैं। अभी सदन में आवास समिति के सभापति, श्री भार्गव जी, ने हनुमान जी से संबंध में, महावीर जी के संबंध में बात कही। हनुमान जी हमारे सबसे बड़े देवता हैं, उनकी पूजा होनी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से उनका अनादर लोगों द्वारा किया जाता है, उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता है। हनुमान जी की मूर्ति लगाकर जमीन पर कब्जा कर लिया जाता है। जमीन पर कब्जा करना है, तो हनुमान जी की मूर्ति लगा दो। उनकी पूजा नहीं होती है और डस्ट तथा गन्दगी पड़ी रहती है, लेकिन शाम को पंडित जी आते है, घन्टा बजाते है और उनकी कुछ कमाई हो जाती है। हम लोग कोशिश करें कि उनकी पूजा जरूर हो, लेकिन साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आजादी के पहले मंदिरों और मस्जिदों का जो स्टेट्स था, वह मेनटेन रहना चाहिए। इनकी संख्या रोज-रोज बढ़ती जा रही है। मैं यह कहना चाहता हूं कि 40 लाख केसेज जो कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, उनका त्वरित गति से निष्पादन हो। जजेज की सुरक्षा और गाड़ी के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जजेज के लिए लाइब्रेरी तक की व्यवस्था नहीं है, रैफ्रेंस बुक्स भी नहीं देख सकते हैं। जब उनको बैठने तक के लिए जगह नहीं है और वे गन्दगी में बैठेंगे, तो मन में तनाव होगा और निर्णय भी उनके वैसे होंगे। मैं एक सुझाव यह भी देना चाहता हूं प्रधान मंत्री जी और विधि मंत्री जी मुख्य न्यायधीश से बात करे, कि पी.आई.एल.- पब्लिक इन्टैरेस्ट लिटिगेशन - के बारे में सरकार को विचार करना होगा। किसी वकील की वकालत नहीं चल रही है, तो वह जनहित याचिका के नाम पर कोर्ट में याचिका दे रहा है। मेरे विचार से यह याचिका जनहित के खिलाफ होती है और जजेज उसमें लगे होते हैं। जनहित याचिका में निर्देश दिए जाते हैं। हम लोग समझते है कि न्यायपालिका का उसमें इन्टरफ्रेंस नहीं होना चाहिए। कोई पोलिटिकल दखल नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के टकराव को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी को सभी संबंधित लोगों को बुला कर बैठक करनी चाहिए। रिलीजन के नाम पर कई तरह के मामलों को हम पोलिटिशियन लोग सेटल नहीं कर पाते। हम प्रोब्लम क्रियेट कर रहे हैं, हमसे जब प्रोब्लम सोल्व नहीं हो पाती तो हम उस मामले को सुप्रीम कोर्ट में भेज देते है कि इसका सुप्रीम कोर्ट फैसला करे। जैसे बाबरी मस्जिद का सवाल है, उसे तोड़ने के लिए आप क्यो गए? अब वह टूट गई है तो कोई रिस्क नहीं ले रहा है। ये बोलते है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी। तो हम उकसो मान लेंगे। अब कम से कम कोई नई प्रोब्लम पैदा करने का काम नहीं होना चाहिए। ये प्रोब्लम हम लोग पैदा करते हैं और हम न्यायपालिका से आशा करते हैं कि वह इसको सोल्व करे। आज हमारी न्याय व्यवस्था क्या दुनिया से कहीं बेहतर है। समाज में हर जगह भले-बुरे लोग होते हैं। हम लोग यहा पब्लिक सर्वेंट बैठे हुए हैं, तमाम एमएलएज, एमपीज पब्लिक सर्वेंट हैं। हमारी तनख्वाह 1500 रुपये है। हमारे घर पर सैंकड़ों लोग आते हैं और कहते हैं कि हमको टिकट दिलवा दीजिए हमें घर जाना है, हमारी किसी ने पॉकेट काट ली है। हम उनको कहां से दिलवाएं। अगर हम नहीं दिलवा पाते हैं तो वे कहते है कि आप चुनाव में आना तब हम आपको बताएंगे। यह हालत एक पब्लिक सर्वेंट की है। आप केबिनेट सैकेट्री, आईएएस, आईपीएस की तनख्वाह और सुविधा देख लीजिए

और हमारी अपनी पेंशन और तनख्वाह देख लीजिए। लोक सभा के हर नये चुनाव में आधे से ज्यादा एमपीज हार जाते है और फिर उनके बदले नये एमपीज आते हैं, उनकी क्या हालत है। हम लोगों के यहां बीसियों तरह की खुशामद पहुंचती है, लेकिन कल जब आप एमपी नही रहेंगे तो आपको कोई चाय पीने के लिए भी नहीं पूंछेगा, नजर से नजर भी नहीं मिलाएगा और फिर ऐसा होता है, वे सोचते है कि यह चंदा वगैरह मांग लेगा इससे दूर रहो। यह सारा दोष राजनेताओं पर आता है, सारी चीज हम लोगों पर आ रही है कि सब बीमारी की जड़ में पोलिटिशयंस है। हम लोग यहां बैठे हुए हैं, हम लॉ मेंकिंग बॉडी हैं, हम संविधान में परिवर्तन करने वाले लोग हैं। हर जगह तमाम तरह की गड़बड़ है। कानून बनाने का अधिकार लोकतंत्र में जनता के प्रतिनिधियों को है। पार्लियामेंट सुप्रीम है, इसके सामने और कोई सुप्रोम नहीं है इसलिए हमको दृढ़ होना चाहिए। हम इस देश में समता मूलक समाज चाहते है और हम चाहते है कि हमारा भारत आगे रहे, इसके लिए हमको निश्चित रूप से कानून और संविधान में संशोधन करना चाहिए।

आपने टेलीफोन की घोषणा की, टेलीफोन एमपीज की अनुशंसा पर जाए। हमारा काम क्या है? हमारे पास कोई आदमी आता है तो वह कहता है कि हमें एक टेलीफोन दिला दो। अगर हम टेलीफोन बेच देते हैं तो यह भी हम गलत काम करते हैं। अब जैसे गैस की सुविधा मिली है। अब कोई एमपी गैस के लिए नहीं लिखेगा। हम लोग कोई अनुशंसा नहीं करना चाहते हैं, अगर किसी के पेटीशन पर अनुशंसा कर दी है और कल को वह गलत निकली तो सीबीआई बोलेगी- "यू पेट्रोनाइज," आपने उसकी मदद की। यहा राजो सिंह जी बैठे हैं। उन्होंने एक आफिसर के बारे में कहा कि आप उसकी बदली रोक दीजिए तो हमने कहा कि कॉलिशन गवर्नमेंट चलानी है। वाजपेयी जी को मालूम है कि नीचे भोजन परोसा हुआ है और ऊपर तलवार लटकी हुई है फिर भोजन का स्वाद कहां से मिलेगा। कॉलिशन गवर्नमेंट चलाना आसान नहीं है, इसका हमको सात साल का अनुभव है। हमने लिखा कि बदली स्थगित कर दो और दूसरी तरफ से परिपत्र चला गया कि इस पर कोई आदेश नहीं होगा। हम लोग फंसे हुए हैं। हम लोगों को फंसा दिया कि आपने उसे स्थगित कर दिया और इन्होंने रिकमेंड कर दिया। इसलिए मेरा कहना है कि आप लोग कोई अनुशंसा मत करिएगा, क्योंकि कल कही गड़बड़ी निकली तो फिर आपके साथ भी वहीं होगा जैसे चिता को जलाया जाता है। जैसे जसंवत बाबू को, आडवाणी जी को चिता की तरह जलाया गया, टॉर्चर किया गया, वैसी हालत आपकी भी होगी।

अपराह्न 2.00 बजे

चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि इलैक्शन का सारा खर्चा एमपीज को दे दीजिए। सरकार सारा चुनाव खर्च वहन करे लेकिन आप उसे 1500 रुपए दे रहे हैं, जो ऊंठ के मुंह में जीरे के समान है। अब आप देखिए सब के परिवार है, लेकिन उसे क्या मिल रहा है और सब मामलों में बोल देते है कि पोलिटिशियन कपट है। यह जो पीसी एक्ट है, वह हम ही लोगों पर लग रहा है। देश में एकरूपता आनी चाहिए। हम चाहते है कि आप उनकी सैलेरी 60,000 रुपए करिए। यह जो आप कर रहे है, इतना तो हम ही लोगों ने किया था। बीजेपी की सरकार है तो आप चीफ जस्टिस को 60,000 रुपए दीजिए और आप हमसे एक पैसा का इंकम टैक्स मत लीजिए। आप स्वतंत्रता दीजिए और कानून बनाने वाली हमारी यह संसद ही है, हम ही यहां कानून बनाते हैं। हमारा यह कहना है कि कानून बनाने वालें आदमी की भी सुविधा बढ़नी चाहिए, इसमें आपको कोई कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अगर आप इस सत्र में नहीं बढाओगे तो हम अलग सत्र में आपको एक झटका देगें और अगर झटके से भी नहीं मानोगे तो पटका देंगे और बिल पास करवा लेंगे। यही सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वी॰ पाटील (लातूर) : मैं इस विधेयक के संबंध में केवल पांच मुददे उठाना चाहता हूं। मैं विधेयक में दिए गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सदस्यों ने सुझाव दिया है कि यदि सरकार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि करने के लिए सहमत है तो वे उसका समर्थन करने के लिए भी तैयार हैं। कुछ माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान उठाए गए एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा न्यायपालिका तथा विधानमण्डल के सदस्यों के वेतन से संबंधित है। मेरा विचार है कि न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के सदस्यों कम से कम स्थायी कार्यपालिका के सदस्यों के वेतन आनुपातिक रूप से एक दूसरे के समान होने चाहिए। यदि न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका के सदस्यों के वेतन में अधिक अन्तर होगा तो एक प्रकार की विषमता पैदा हो जाएगी और यह स्थिति देश के अच्छे शासन के अनुकूल नहीं होगी।

दूसरा मुद्दा जो मैं उठाना चाहता हूं-और जिसे अनेक माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया है यह है कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में बहुत से रिक्त स्थान पड़े हैं। इन रिक्तियों को भरा जाना न्यायपालिका के हित में और अच्छे शासन के अनुरूप होगा। इस मामले की अत्यधिक सावधानीपूर्वक जांच की जानी बहुत महत्वपूर्ण है। हम न्यायधीशों की नियुक्ति उसी समय क्यों नहीं करते जब ऐसा किया जाना चाहिए। रिक्त स्थान क्यों रखे जाते है?

वकीलों की कोई कमी नहीं है; ऐसे व्यक्तियों की कोई कमी नहीं है जिनसे हमन पदों को भरा जा सकता है। हमें यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने पड़ेंगे कि उन पदों को भरा जाए।

तीसरा मुद्दा यह है कि क्या उच्चतम न्यायलय और उच्च न्यायालय में कार्यरत न्यायाधीशों की संख्या न्यायपालिका द्वारा संपादित किए जाने वाले कार्य के अनुरूप है? कानून और व्यवस्था संबंधी मामलों में वृद्धि हो रही है, न्यायालयों में दर्ज होने वाले मामलों की संख्या में वृद्धि हो रही है; वकीलों की संख्या में वृद्धि हो रही है और निर्णय अधिक जटिल होते जा रहे हैं।

जब हम शीघ्रता से न्याय प्रदान किए जाने के इच्छुक हैं तो हम उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या

[श्री शिवराज वी॰ पाटील]

बढ़ाने का निर्णय क्यों नहीं लेते हैं? उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने के संबंध में हमारे सामने क्या बाधा आ रही है?

मैं चौथी और अंतिम बात यह कहना चाहूंगा कि न्यायपालिका का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। हमारे समक्ष आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए न्यायपालिका का आधुनिकीकरण करना आवश्यक है यदि हम अपने देश की स्थिति पर विचार करते हैं तो समाज में निजी उद्योग का क्षेत्र सबसे आधुनिक क्षेत्र है। तत्पश्चात् तुलनात्मक रूप से सरकार में कार्यपालिका का आधुनिकीकरण हुआ है और किसी सीमा तक विधानमंडल का आधुनिकीकरण हुआ है। परन्तु मुझे खेद है कि न्यायपालिका का आधुनिकीकरण नहीं हुआ है। वे कम्प्यूटर लगाना चाहते हैं। वे डुप्लीकेटिंग मशीनें लगाना चाहते हैं; वे संचार प्रणाली शुरू करना चाहते हैं। यदि ये सब चीजे उन्हें उपलब्ध नहीं करायी जाती है तो उनसे यह आशा कैसे की जा सकती है कि मामलों का निपटान शीघ्रता से और बिना समय गंवाये हो। न्यायपालिका का आधुनिकीकरण करने में सहायता करने के रास्ते में क्या बाधा रही है? हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम उच्चतम स्तर पर और उच्च न्यायालयों के स्तर पर न्यायपालिका के आधुनिकीकरण हेतु व्यापक योजना बनाएं। परन्तु जिला स्तर पर और निचले स्तरों पर भी न्यायपालिका का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

लेकिन जहां तक जिला स्तर और निचले स्तर की न्यायपालिका के लिए वेतन, आधुनिकीकरण तथा अन्य प्रावधानों का संबंध है, मेरे विचार से इसका दायित्व केन्द्रीय सरकार पर नहीं है बल्कि राज्य सरकार पर है। परन्तु राज्य सरकारों को यह संदेश भी भेजा जाना चाहिए कि निचले स्तर पर न्यायपालिका का आधुनिकीकरण भी आवश्यक है। न्यायपालिका का आधुनिकीकरण करके, रिक्त पदों को भर कर तथा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करके हम शीघ्र न्याय प्रदान किए जाने की अपेक्षा कर सकते हैं। निचले स्तर पर न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि हुई है। बहुत से जिला न्यायाधीशों अतिरिक्त सत्र न्यायाधीशों, अतिरिक्त जिला न्यायाधीशों सिविल न्यायाधीशों और मजिस्ट्रेटों की संख्या में वृद्धि हुई है। इनकी संख्या में वृद्धि हुई है किन्तु उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है।

इस मामले की बड़ी सावधानी से गहराई से जांच करनी होगी। इस विधेयक पर चर्चा करते समय हमने ये विचार व्यक्त किए है क्योंकि विधि मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के संबंध में संभवतः यहां पर चर्चा नहीं की जाएगी। अतः माननीय सदस्यों ने उच्चतम न्यायातम और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन में वृद्धि के संबंध में चर्चा करते समय इस मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त किए है।

हम आशा करते हैं कि माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सरकार लाभान्वित होगी और माननीय सदस्यों के साथ परामर्श करके तथा उन सबकी सहमति से आवश्यक कार्यवाही करेगी।

श्री एस॰ मल्लिकार्जुनय्या (तुमकुर) : महोदय, मैं सभा के समक्ष प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करता हूं।

अब मुद्दा यह है कि निचले दर्जे के न्यायाधीशों की स्थिति अधिक अच्छी नहीं है; उन्हे जो वेतन दिया जाता है वह बहुत कम है; न्यायालयों में उनके बैठने के स्थान बहुत खराब स्थिति में हैं और उन्हें प्रदान की गई सुविधाएं न के बराबर हैं। बंगलौर में मुख्य न्यायाधीश के अलावा शेष सभी न्यायाधीशों को बसों में यात्रा करनी पड़ती है। यह कितनी दयनीय स्थिति है। इसमें परिवर्तन लाना पड़ेगा। कर्नाटक के लोगों की मांग है कि उच्च न्यायालय की एक न्यायपीठ उत्तरी कर्नाटक में गुलबर्ग अथवा धारवाड़ में स्थापित की जानी चाहिए।

अपराह्न 2.10 बजे

(डा॰ लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए)*

यह कार्य लम्बे समय से लम्बित है। प्रत्येक सरकार इस विषय में आश्वासन देती है। और अन्ततः ठंडे बस्ते में रख देती है। आन्ध्र प्रदेश में भी यह मांग की गई थी कि विभिन्न स्थानों पर न्यायपीठ स्थापित की जाए। इसके लिए उन्होंने काफी लम्बे समय तक आंदोलन किया परन्तु इसे भी ठंडे बस्ते में रख दिया गया। सरकार की नीति द्वार पर न्याय प्रदान करने की है। सरकार की करनी अपने कथन के अनुरूप नहीं है। अब समय आ गया है कि सरकार राज्यों में विभिन्न अनुकूल स्थानों पर उच्च न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करें।

दूसरे उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना दक्षिण में करनी पड़ेगी। केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के लोग दिल्ली क्यों जाएं? दक्षिण में किसी भी स्थान पर, तमिलनाडु, कर्नाटक अथवा किसी अन्य राज्य में उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ क्यों नहीं स्थापित की जाती जिससे वादी लाभान्वित हो सकें।

उच्चतम न्यायालय में बड़ी संख्या में मामले लम्बित हैं। चार, पांच या छः महीनों के लिए मामले स्थगित कर दिए जाते हैं। यदि पिता मुकदमा शुरू करता है तो वह उसके पुत्र और फिर पौत्र तक चलता रहता है। और अन्ततः पिता जिसने मुकदमा शुरू किया था मर जाता है। वह अपने जीवन काल में न्याय प्राप्त नहीं कर पाता यह सचमुच आपत्तिजनक और असहनीय है।

उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में रिक्त स्थान पड़े रहते है। ऐसा नहीं है कि प्रतिभाशाली लोगों की कमी है। प्रतिभाशाली लोग तो होते हैं परन्तु दुर्भाग्यवश वे मुख्यमंत्री या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की जाति के नहीं होते। यदि उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों के यही मूल्य हैं और यही रवैया है यदि वे इस प्रकार की मानसिकता वाले हैं तो क्या हम उनसे न्याय प्राप्त करने की अपेक्षा कर सकते हैं?

महिला वकील भी हैं जिनके अधीन दस से पन्द्रह कर्मचारी कार्य करते हैं और उनकी काफी बड़ी संस्था होती है। वे न्यायाधीशों के रूप में अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं। परन्तु हम लोग यह

कहते रहे हैं कि महिलाएं आगे नहीं आ रहीं हैं तथा उनकी शब्दावली अच्छी नहीं होती। यह बेहूदा बात है। मैं ऐसी महिला न्यायधीशों को जानता हूं जो अन्यों से कही बेहतर हैं। ऐसी महिलाओं का चयन क्यों नहीं किया जाता? इसका एक मात्र कारण यह है कि उन्हें मुख्यमंत्री या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का विश्वास प्राप्त नहीं है। यह वास्तव में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

अन्त में, मैं सरकार से पुनः अपील करता हूं कि राज्य के विभिन्न भागों में उच्च न्यायालय की न्यायपीठों की स्थापना के कार्य को स्थगित न किया जाए। क्योंकि इस सम्बन्ध में काफी असंतोष व्याप्त है। मैं समझता हूं कि पूर्व मुख्यमंत्री श्री भास्कर राव बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि आन्ध्र प्रदेश के दो स्थानों पर न्यायाधीशों और वकीलों ने लम्बे समय तक आन्दोलन किया है। उन्होंने छः महीने से अधिक समय तक आन्दोलन किया है। उसका परिणाम क्या हुआ? न्यायपीठें नहीं खोली जा सकीं। इसी प्रकार, धारवाड़ दक्षिण से निर्वाचित हमारे साथी श्री मेनसिंकाई वकालत करते हैं। इन लोगों ने कई महीनों तक आन्दोलन किया। अन्ततः झूठे वायदे किए गए और एक आयोग स्थापित कर दिया गया; आयोग ने विभिन्न स्थानों का दौरा करके कुछ आंकड़े एकत्र किए। तब तक आन्दोलन शांत हो गया; अन्त में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई और उसे ठंडे बस्ते में रख दिया गया। क्या आज के समय में सरकार का ऐसा रवैया होना चाहिए? मैं जोरदार शब्दों में सरकार से न्यायपीठें स्थापित करने, महिला वकीलों की न्यायाधीशों के रूप में भर्ती करने तथा निचले दर्जे के न्यायालयों के न्यायाधीशों, मुनसिफ न्यायालय, अपर मुनसिफ न्यायालय और सिविल न्यायालय के न्यायाधीशों और अपर सिविल न्यायालय के न्यायाधीशों को पर्याप्त सुविधाएं प्रदान करने का अनुरोध करता हूं। उन्हें उपलब्ध की गई सुविधाएं निराशाजनक हैं। सारी स्थिति अत्यन्त आपत्तिजनक है और सारा वातावरण दूषित है। बार एसोसिएशनों में पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं और अनेक नए वकीलों को पर्याप्त संख्या में पुस्तकालय की पुस्तकें नहीं मिलतीं। इसलिए, निचले दर्जे के न्यायालयों में भी नए वकीलों और न्यायाधीशों को सुविधाएं प्रदान करने के मामले पर पुनर्विचार करना पड़ेगा।

अब मैं न्यायधीशों के कार्य के बंटवारे और स्थानान्तरण के विषय में बात करूंगा। एक न्यायाधीश को एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानान्तरित करने का क्या प्रयोजन है? क्या आपको उसकी सत्यनिष्ठा पर सन्देह है? यदि ऐसा है तो फिर वह लोगों का विश्वास कैसे प्राप्त कर सकता है? उसका स्थानान्तरण करने का क्या प्रयोजन है? आजकल, जब न्यायधीशों का स्थानान्तरण किया जाता है तो वे त्यागपत्र दे देते हैं क्योंकि वे उस स्थान को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते।

धारणा यही है कि वे अपने ही कनिष्ठ अधिकारियों का अपनी जाति के लोगों का पक्ष लेते हैं। एक न्यायाधीश के बारे में यह सोचना कि उसका चरित्र इतना गिर सकता है, उसके प्रति अन्यायपूर्ण है। इसलिए, ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को विचार करना होगा और सभी तथ्यों के बारे में पूरी जानकारी लेने और लोगों को पूरा न्याय दिलाने के लिए एक समिति गठित करनी होगी।

श्री टी॰आर॰ बालू (मद्रास दक्षिण) : महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। इस सभा के लगभग सभी पक्षों के सदस्यों को इस विधेयक के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त है और वे इसका समर्थन करने के लिए तैयार हैं। एक मात्र मुद्दा यह है कि विधेयक विधि मंत्री, श्री एम॰ थम्बी दुरई द्वारा लाया जाना चाहिए था। परन्तु वह यहां उपस्थित नहीं हैं।

वह न तो किसी सरकारी दौरे पर गए हैं और न ही अस्वस्थ हैं। मेरे प्रिय साथी, श्री कुमारमंगलम विधि मंत्री की ओर से यह विधेयक लाए हैं। वह सारी चर्चा सुन रहे हैं और संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे। महोदय, संसदीय लोकतंत्र का निरादर किया गया है। भाजपा सरकार में अ॰भा॰अ॰द्र॰मु॰क॰ के मंत्री इस माननीय सभा का सम्मान नहीं कर रहे हैं। मैं इस प्रकार के गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार की आलोचना करता हूं परन्तु इसके साथ-साथ हमें यह भी मालूम नहीं है कि क्या मंत्री महोदय श्री थम्बी दुरई अ॰द्र॰मु॰क॰ के अन्य सदस्यों के साथ सभा का बायकाट कर रहे हैं या सभा में बिलकुल ही नहीं आएंगे।

चेन्नई उच्च न्यायालय में सुश्री जे॰ जयललिता और अन्य व्यक्तियों द्वारा दायर की गई रिट याचिकाओं की, जिनमें भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष न्यायालय की स्थापना को चुनौती दी गई है, सुनवाई हुई है। ठीक पांच महीने पूर्व दिनांक 4 फरवरी को न्यायपीठ ने अपना निर्णय सुरक्षित रखा। अचानक एक विशेष न्यायाधीश की पदोन्नति कर दी गई और उसे हिमाचल प्रदेश के किसी न्यायालय में नियुक्त कर दिया गया। मैं यहां एक बात पर जोर देना चाहता हूं। यदि किसी विशिष्ट मामले में सरकार किसी प्रकार की भूल करती है तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सरकार और नौकरशाहों की खिंचाई करता है। यदि निचले दर्जे के न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा जिन्होंने या तो निर्णय ही नहीं या निर्णय में विलंब किया है गलती की जाती है तो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश समय पर निर्णय न देने के लिए निचली अदालतों के न्यायाधीशों की खिंचाई करता है। परन्तु इसके साथ-साथ यदि उच्च न्यायालय अथवा उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश किसी प्रकार का विलंब करता है तो उससे पूछताछ करने का अधिकार किसी के पास नहीं है। कोई व्यक्ति उससे यह नहीं पूछ सकता कि उसने समय पर निर्णय क्यों नहीं दिया।

महोदय, अब यह तय करने का समय आ गया है कि ऐसी क्या व्यवस्था की जाए या कोई ऐसा विधेयक सम्माननीय सभा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि मामलों पर सुनवाई हो जाने के बाद किसी विशेष निर्णय को अनिश्चित समय तक स्थगित न रखा जाए। निर्णय घोषित किए जाने के लिए एक समयबद्ध व्यवस्था होनी चाहिए। निःसंदेह अब न्यायाधीश कह सकते हैं कि निर्णय आरक्षित है। चेन्नई में विशेष न्यायालय के गठन के संबंध में दिया गया निर्णय जिसे 4 फरवरी को आरक्षित रखा गया था, आज तक नहीं सुनाया गया, क्योंकि न्यायपीठ के एक न्यायाधीश का स्थानान्तरण हो गया है। क्या ऐसा करना उचित है?

[श्री टी॰आर॰ बालू]

महोदय, मैं विधि मंत्री और अपने मित्र श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम से, चाहे वह वास्तविक विधि मंत्री हों अथवा परोक्ष विधि मंत्री यह मांग करता हूं कि वह यह देखें कि क्या यह सरकार इस सदन के समक्ष ऐसा विधेयक ला सकती थी जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक न्यायाधीश अथवा न्यायाधीशों, जिन्होंने अपना निर्णय सुरक्षित रख दिया है वह निर्धारित समय के भीतर और स्थानान्तरण होने की स्थिति में कार्यमुक्त होने से पूर्व अपना निर्णय सुना दें, अन्यथा ऐसा न कर पाने पर संबंधित विशेष न्यायाधीश ही इसके लिए उत्तरदायी होगा। मैं यही बात कहना चाहता हूं। मैं पूर्ण रूप से इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय इस विधेयक पर असहमति की कोई गुंजाइश नहीं है। इस विधेयक में कैसा भी संशोधन करने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीशों को अपने उच्च पदों की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिए अपेक्षित वेतन और अनुलाभ मिलना चाहिए।

महोदय, मैं इस महान सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछना चाहता हूं। परन्तु उस प्रश्न के पूछने से पूर्व मैं बकाया राशि का किस्तों में भुगतान करने संबंधी मुद्दे पर श्री पांजा द्वारा कही गई बात का समर्थन करता हूं बकाया राशि का किश्तों में भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। यह ठीक नहीं है। जब बकाया राशि बहुत अधिक नहीं होगी, तो इसका किस्तों में भुगतान क्यों किया जाए? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उन्हें (मंत्री जी) इस खंड को वापस लेना चाहिए कि बकाया राशि का किस्तों में भुगतान किया जाएगा। सरकार का विचार है कि पहली किस्त में 5,000 रु॰ का भुगतान किया जाए तत्पश्चात् 10,000 रु॰ का भुगतान किया जाए। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे इस खंड को वापस ले लें।

महोदय, जब लोक सभा के पूर्व अध्यक्ष श्री शिवराज पाटिल सभा में स्वयं पीठासीन थे तब इस सभा में न्यायपालिका में सुधार लाने के बारे में चर्चा हुई थी। मैं भी इस विषय पर बोला था। हो सकता है कि हमारे में से कोई इस मुद्दे को यहां पर उठाएगा और हम फिर से उस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। सम्पूर्ण प्रणाली में सुधार लाने की आवश्यकता है। परन्तु इस समय जब हमने इस विषय पर संक्षिप्त रूप से चर्चा की है परन्तु बार में इस विषय पर व्यापक रूप से चर्चा होगी तो इससे हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

श्री लालू जी भी यही कहना चाहते हैं कि हम ही कानून तय करने वाले हैं और हम ही कानून के निर्माता हैं तथा वे (न्यायाधीश) कानून की व्याख्या करते हैं। उन्होंने वेतन संबंधी मुद्दा उठाया। जबकि यह सभा उनकी बात से सहमत है और मैं भी वस्तुतः इससे असहमत नहीं परन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि क्या आप संसद सदस्यों के वेतन संबंधी मुद्दा, विशेष रूप से जबकि हमें न्यायाधीशों के वेतन पर चर्चा करनी है, इस सभा में उठाएंगे? परन्तु इसमें लालू जी का व्यंग्य छिपा हुआ था। मैट्रिक में गणित शास्त्र में एक "यूनिटर्स मैथड" था, हिन्दी में हम उसे इकाई का कायदा कहते हैं। मुझे नहीं मालूम कि यह अब है या नहीं, जिसमें कहा गया है कि यदि आप उच्चतम न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश को 60,000 रु॰ प्रति माह वेतन देते हैं तो कानून तय करने वाले को आप क्या देंगे? हम यहां पर अपने मिलने वाले अनुलाभों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हमें न्यायपालिका का समुचित आदर और सम्मान करना चाहिए।

महोदय, मैं न्यायपालिका में व्याप्त भारी भ्रष्टाचार के बारे में बोलना चाहता हूं। मेरे सामने न्यायिक निरंकुशता के बहुत से मामले आए हैं। हमें एक न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का मौका मिला, परन्तु एक विशेष दल के राजनैतिक दबाव के कारण हम ऐसा नहीं कर सके। सहमति और असहमति के कई क्षेत्र थे। किन्तु न्यायाधीश द्वारा गलत आचरण करने के पर्याप्त सबूत थे।

महोदय, मैं जो कुछ भी यहां पर कह रहा हूं उसे कार्यवाही वृतान्त में शामिल किया जा रहा है और यहां पर मैं लोक सभा की कार्य प्रणाली पर प्रकाश डाल रहा हूं। कभी-कभी हम यहां छोटे-छोटे मुद्दों पर चर्चा करते हैं, जबकि समाज में मुख्यतः उन मुद्दों पर चर्चा होती है जिनकी वास्तव में प्रासंगिकता है। हमें एक न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने का मौका मिला और हमने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों के प्रति गरिमा दर्शाने के उद्देश्य से इसे सूची में शामिल किया। हमने यह प्रश्न कभी भी नहीं उठाया कि हम कानून तय करते हैं और हम कानून बनाते हैं। न्यायाधीश केवल कानून की व्याख्या करते हैं। यह न्यायपालिका की गरिमा का प्रश्न है।

महोदय, वास्तव में प्रश्न यह है कि जब एक न्यायाधीश गलत आचरण करता है तो क्या उसके लिए किसी दंड का प्रावधान किया गया है? भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री वर्मा ने सेवानिवृत्त होने पर जो कुछ कहा था, मैं उसका भी यहां पर उल्लेख करना चाहता हूं। कलकत्ता उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का उदाहरण भी हमारे सामने है। उन्होंने अपने लिए और अपने बच्चों के लिए 40,000 रु॰ मूल्य के तीन चश्मे खरीदे। इस संबंध में उन्होंने यह तर्क दिया कि उनका दर्जा केन्द्रीय सरकार के केबिनेट मंत्री के समकक्ष है। हम सभी को एक केबिनेट मंत्री को मिलने वाले अनुलाभों को देखकर आश्चर्य हुआ। वास्तव में, संसद सदस्यों को 32 निशुल्क विमान यात्राएं करने की सुविधा प्राप्त है। परन्तु जब मैं केबिनेट मंत्री बना तो मुझे केवल अपनी पत्नी के साथ 6 निशुल्क विमान यात्राएं करने की सुविधा मिली। किसी ने भी उस न्यायाधीश को यह नहीं बताया कि केन्द्रीय सरकार के एक केबिनेट मंत्री को इस तरह से अपने बच्चों के लिए चश्मा खरीदने का कोई अधिकार नहीं था। उस न्यायाधीश ने तीन चश्मों के लिए क्रयादेश दिया—दो चश्में अपने बच्चों के लिए और एक चश्मा स्वयं के लिए। वह ऐसा गलत कार्य करके भी दंड पाने से बच गया। उस न्यायाधीश को दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं थी।

महोदय, मैं उनके क्षेत्रों के नामों का उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु पुनः मैं यह बताना चाहता हूं कि एक न्यायाधीश हर रोज सवेरे

अपने कार्यालय जाया करते थे और प्रत्येक सोमवार को यात्रा भता/दैनिक भत्ता का दावा किया करते थे क्योंकि उनके अनुसार उन्होंने सप्ताहांत अपने घर में व्यतीत किया था। उच्चतम न्यायालय को इस तथ्य की जानकारी थी। एक दूसरे न्यायाधीश ने रिश्वत ली थी और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उन्हें दंड देना चाहते थे, परन्तु वे ऐसा नहीं कर सके। मैं यहां पर जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार व्याप्त है लेकिन उसके लिए दंड की कोई व्यवस्था नहीं है और यह पूरे राष्ट्र के लिए अत्यंत शर्म की बात है।

महोदय, मैं भारत के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री वर्मा का अत्यधिक आदर करता हूं, क्योंकि वह एक योग्य न्यायाधीश होने के अतिरिक्त एक पर्यावरणविद् भी थे। अधिवार्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के बाद न्यायाधीश वर्मा ने अपना पहला व्याख्यान उत्तरदायित्व के मसले पर दिया था। कृपया इस विषय में न्यायाधीश वर्मा द्वारा कही गई बात पर विचार करें। यह रिकार्ड में है और इसका रिकार्ड हमारे ग्रंथालय में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करते हुए उनके लिए स्वतंत्रताजनक पहलू यह था कि एक भ्रष्ट न्यायाधीश को दंड देने की कोई व्यवस्था नहीं हैं दुख की बात यह है कि यहां आत्मानुशासन नहीं है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अपने सेवा काल के दौरान पथभ्रष्ट न्यायाधीशों को लिखित रूप में चेतावनी दिया करते थे और उनसे आत्मानुशासन बनाये रखने का आग्रह किया करते थे। परन्तु उन पथभ्रष्ट न्यायाधीशों ने कभी भी उस ओर ध्यान नहीं दिया था। अतः उच्चतम न्यायालय के निवर्तमान मुख्य न्यायाधीश ने इस विषय में हमे सूचित किया है क्योंकि हम जन समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्होंने बताया कि चूंकि वहां पर आत्मानुशासन नहीं है और न्यायाधीशों द्वारा उन अनुदेशों का सम्मान नहीं किया जा रहा है अतः उन पर नियंत्रण रखने की व्यवस्था होनी चाहिए। अतः हमें न्यायिक जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाना होगा। मैं आपके माध्यम से इस महान सभा में एक प्रश्न उठाना चाहता हूं। न्यायिक जवाबदेही की क्या स्थिति है? इन पथभ्रष्ट न्यायाधीशों को किस प्रकार दंडित किया जाएगा? यह अत्यंत महत्व का विषय है। हमें न्यायिक प्रणाली में, भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहिए।

मौटे तौर पर मुझे कोई शिकायत नहीं है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी गरिमा बनाए रखी है। हम सभी न्यायाधीशों पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। हम यह नहीं कह सकते कि उच्चतम न्यायालय अथवा दिल्ली उच्च न्यायालय अथवा किसी अन्य न्यायालय ने कोई गलती की है। किन्तु न्यायाधीशों को उत्तरदायी बनाने के लिए कोई व्यवस्था करने के प्रश्न पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। धन्यवाद।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : सभापति महोदय, यह विधेयक उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनमान में वृद्धि करने के उद्देश्य से पुरःस्थापित किया गया है हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है क्योकि ये लोग संबद्ध राज्य तथा देश की

न्याय व्यवस्था के उच्चस्थ पदों पर आसीन है। इस विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए मैं इस माननीय सभा का ध्यान इस व्यवस्था में मौजूद कुछ गंभीर समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

न्यायपीठों में रिक्तियां एक प्रमुख समस्या है। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठों में कई रिक्तियां हैं। सरकार को विभिन्न न्यायपीठों की रिक्तियां भरने के लिए समुचित उपाय करने चाहिए।

दूसरी समस्या, जिसपर कई सदस्यों ने रोष व्यक्त किया है, मामलों के निपटान में विलम्ब की है। हम जानते है कि विलम्ब होने से कानून का उद्देश्य ही निष्फल हो जाता है। विलम्ब होने से न्याय नहीं मिलता। देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम-न्यायालय में लाखों मामले लम्बित पड़े हैं। उच्च न्यायालय में शिकायत निवारण हेतु कोई वाद, अपील, रिट याचिका अथवा अन्य कोर्ट आवेदन दर्ज करने वाले वादी को यह पता नहीं होता कि उसके मामले में निर्णय कब लिया जाएगा। सामान्यतः न्यायालय से आदेश प्राप्त करते हुए उसे एक दो पीढियों तक प्रतीक्षा करनी पडती है, हमारे देश की प्रथा है किसी व्यक्ति द्वारा न्यायालय में दर्ज किसी मामले पर अपने जीवन-काल में कोई आदेश नहीं मिल सकता। इस दूसरी गंभीर समस्या के लिए हमें मामलों का शीघ्र निपटान करने वाली कोई प्रणाली विकसित करनी होगी।

मेरे माननीय मित्र, श्री सोज़ ने पहले ही विभिन्न उच्च न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद का उल्लेख किया है। न्यायाधीशों के बेटे, भतीजे अथवा अन्य निकट संबंधी उन्हीं न्यायालयों में वकालत करते है जहां उनका पिता, चाचा या मामा न्यायाधीश है।

न्यायाधीशों के साथ वकीलों की मिलीभगत का हम सब को ज्ञान है। इस मिलीभगत को देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों के गलियारों में देखा जा सकता है। कोई न्यायाधीश विशेष किसी वकील विशेष अथवा वकीलों के समूह के साथ साठ-गांठ करता है जो उसके न्यायालय में पेश होकर न्यादेश अथवा हितकर आदेश प्राप्त करते हैं। यह सुस्थापित तथ्य है कि ऐसा भ्रष्टाचार विभिन्न उच्च न्यायालयों में व्याप्त है।

आम आदमी वकीलों को ऊंची फीस नहीं दे सकता है। यद्यपि विभिन्न न्यायालयों में सरकारी वकीलों के पैनल हैं पर वकील के नाते मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि पैनल के अधिकतर वकील मामलों के बारे में गंभीर नहीं रहते हैं। वे न तो उनमें रुचि लेते हैं और न ही गंभीरता से उनकी पैरवी करते हैं। कुछेक वकीलों के विरुद्ध बेईमानी करने के मामले दर्ज किये गये हैं। सरकार को ऐसे तरीके निकालने चाहिए जिनसे आम गरीब आदमी अपने मामले की पैरवी के लिए एक सक्षम वकील की सेवाएं ले सके।

मैं इस माननीय सभा का ध्यान निचली अदालतों-मुंसिफ न्यायालयों और सत्र न्यायालयों, जो देश की न्यायिक व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, की विकट स्थिति की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। सत्र

[श्री अजय चक्रवती]

न्यायाधीश और अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 304 और 376 के अंतर्गत मामलों पर निर्णय देते हैं जिनमें मृत्यु दंड और आजीवन कारावास का प्रावधान है। ये न्यायाधीश गौशाला के सदृश्य न्यायालय कक्षों में बैठते हैं। वे आरोपित व्यक्तियों के साथ एक ही बस में यात्रा करते हैं। मुंसिफ न्यायालयों और मजिस्ट्रेट न्यायालयों की स्थिति और भी दयनीय है। वे लोग वास्तव में गौशालाओं में सुनवाई करते हैं। विद्युत कटौतियों के दौरान वे गहन अंधकार में सुनवाई करने पर बाध्य होते हैं। उनके लिए जनरेटर, आवास और वाहन की कोई व्यवस्था नहीं है। हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था विशेषकर निचली अदालतों मजिस्ट्रेट न्यायालयों और मुंसिफ न्यायालयों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। सरकार को मामले की जांच करके गंभीरता से उपाय करने चाहिए ताकि लोगों को विभिन्न न्यायालयों से शीघ्र न्याय मिल सके।

मुझे खेद है कि इस महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के समय माननीय विधि मंत्री सभा में अनुपस्थित हैं। उनकी अनुपस्थिति का कारण मैं नहीं जानता। हो सकता है वह किसी अन्य सरकारी कार्य में व्यस्त हों अथवा मजाक के तौर पर भाजपा की मिली जुली सरकार को गिराने में व्यस्त हैं।

अंत में, मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री बी॰एम॰ मेनसिंकाई (धावाड़ दक्षिण) : मैं उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन तथा पेंशन में बढ़ौती सम्बन्धी विधेयक का समर्थन करता हूं।

मैं इस अवसर पर हमारे न्यायालयों में भारी संख्या में लम्बित मामलों पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। मैं चिन्तित हूं कि देश में न्यायपालिका कार्य नहीं कर पा रही है। वह लोगों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है। हमें इसमें बदलाव लाना होगा। यदि हम इसमें बदलाव नहीं लाते हैं तो हम न्यायपालिका से कोई लाभ नहीं उठा पाएंगे।

भारत में न्यायपालिका स्वतंत्र है और विश्व न्यायपालिका के इतिहास में अपना सम्मानजनक स्थान बनाया है। इसके बावजूद भी, मुझे चिन्ता है कि यदि आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाना है, तो इस प्रणाली में परिवर्तन अपेक्षित है।

जहां तक निपटारे के लिए लम्बित लाखों मामलों का प्रश्न है, तो मैं इस संबंध में कर्नाटक के धारवाड के मामले का उल्लेख करना चाहूंगा। पहले नियुक्त की गई समिति ने यह सिफारिश की है कि वहां पर एक उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना की जानी चाहिए। हम अपनी और से पूरा प्रयास कर रहे हैं धारवाड में न्यायपीठ की स्थापना के लिए परन्तु केन्द्र सरकार की सहायता से राज्य सरकार, यह कहते हुए इसके गठन को स्थगित कर रही है कि इसे बेलगाम या गुलबर्गा जैसे किसी अन्य स्थान में स्थापित किया जाना चाहिए। स्थान बदले जाने के इस सुझाव से धारवाड़ उच्च न्यायालय की न्यायपीठ से वंचित हो जाएगा।

पूर्ववर्ती समिति द्वारा की गई सिफारिश पहले ही उपलब्ध है। इसीलिए, मेरा सुझाव है कि उस सिफारिश के आधार पर धारवाड़ में ही कर्नाटक के उच्च न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना की जानी चाहिए।

दूसरे जहां तक, माननीय सदस्य श्री शिवराज जी पाटिल की बात का सम्बन्ध है, मैं सहमत हूं कि न्यायाधीशों और विधायकों के वेतन को समानुपातिक बनाया जाना चाहिए। लघु-पुस्तिका को पढ़ने के पश्चात्, मुझे पता चला कि हमें 1500 रुपए प्रति माह वेतन के रूप में मिलते हैं। एक सांसद का वेतन 1500 रुपए है। मुझे 1500 रुपए वेतन के रूप में लेते हुए शर्म आती है। यदि हम 'वेतन' का नाम बदल दें तो यही बेहतर होगा। यदि माननीय सभा मानती है कि 1500 रुपये पर्याप्त है तो मैं चाहता हूं कि इस नाम को बदला जाना चाहिए। इसे 'वेतन' कहने के बजाय 'मानदेय' कहा जाना चाहिए। इस प्रकार या तो इसे सम्मानजनक रूप से बढ़ाया जाना चाहिए या इसके नाम को बदला जाना चाहिए।

न्यायाधीशों की नियुक्ति के सम्बन्ध में मैं कहना चाहूंगा कि दोनों राज्य और केन्द्र सरकारें उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायधीशों के साथ परामर्श कर न्यायाधीशों की नियुक्ति करती हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की इस विधि को बदला जाना चाहिए। मेरे विचार से राज्य न्यायपालिका के सम्बन्ध में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उपयुक्त प्राधिकारी होने चाहिए। इस प्रकार से नियुक्तियां की जानी चाहिए। अन्यथा न्यायपालिका की शक्ति का दुरूपयोग होता है।

रिक्तियों के सम्बन्ध में, मैं कहना चाहूंगा कि अधिकांश न्यायालयों में अनेक पद रिक्त पड़े हैं। इसीलिए, लम्बित मामलों को निपटाने के लिए रिक्तियों को इस प्रकार भरा जाना चाहिए कि एक पद रिक्त होने के पूर्व ही एक व्यक्ति तैयार रहना चाहिए। जहां कहीं रिक्तियां हो वहां कुछ न्यायाधीशों को अस्थायी आधार पर नियुक्त किया जाना चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री बी॰एम॰ मेनसिंकाई : माननीय सदस्य श्री पांजा के वेतन वृद्धि संबंधी सुझाव का मैं स्वागत करता हूं। यह वृद्धि उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के लिए 50,000 रुपए तक की जानी चाहिए। पूर्व उल्लिखित 33,000 रुपए और 26,000 रुपए के स्थान पर और अधिक वेतन निर्धारित किया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज) : सभापति महोदय, आज जो बिल सदन में आया है, उसके पक्ष में पूरा सदन सहमत है और मैं भी पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, लेकिन मैं अपने कुछ सुझाव देना चाहूंगा। आज जो न्यायपालिका का कार्यकलाप लोअर कोर्ट से

लेकर सुप्रीम कोर्ट तक का चल रहा है वह अजीब लगता है। मैं अजीब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि न्यायपालिका को यह अधिकार है कि वह अपने विवेक से निर्णय करे। उसके किसी भी निर्णय पर किसी को कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं होता। यदि लोअर कोर्ट के खिलाफ उच्च कोर्ट में अपील की जाती है और अगर नीचे के कोर्ट का निर्णय बदल जाता है, तो नीचे के कोर्ट पर कोई कार्रवाई करने का प्रावधान नहीं है। कार्रवाई होती भी नहीं है। यदि कार्यपालिका, विधायिका कभी अपने विवेक से कोई निर्णय कर देती है तो न्यायपालिका इस पर अंकुश लगाती है, 50-50 लाख रुपए तक जुर्माना करती है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या न्यायपालिका का विवेक कोई और होता है और कार्यपालिका तथा विधायिका का विवेक अलग होता है? मैं समझता हूं कि जो निर्णय विवेक से लिए जाते हैं उन पर किसी तरह का जुर्माना या दंड नहीं होना चाहिए। हम यह चाहेंगे कि न्यायपालिका में जो न्याय की प्रक्रिया है, अखबारों में चर्चा होती है, सभी लोग पढ़ते हैं और बोलते हैं कि न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिए, लेकिन जितने सस्ते न्याय की बात चलती है न्याय उतना ही महंगा होता जा रहा है और न्यायपालिका के साथ जांच की जो प्रक्रिया कार्यपालिका से जुड़ी होती है वह चलती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि भारत में कानून की किताबों सी॰आर॰पी॰सी॰ और आई॰पी॰सी॰ में इतनी त्रुटियां हैं जिनका कोई उदाहरण नहीं दिया जा सकता। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्यों में जांच की एजेंसियां पुलिस होती है और जो पुलिस जांच करती है वही विधि व्यवस्था की भी देखभाल करती है। इसलिए जांच प्रक्रिया ठीक प्रकार से नहीं चल पाती है। जो मुकदमा करता है, जो मुद्दई होते हैं, वे मनगढ़ंत गवाह खड़े कर देते हैं, लेकिन न्याय प्रक्रिया में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि झूठे और मनगढ़ंत गवाहों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सके। न्यायालय के आदेश पर लोग दो-दो, चार-चार और पांच-पांच साल जेलों में रहते हैं और मुकदमे में न्यायालय द्वारा बरी कर दिया जाता है, लेकिन झूठा मुकदमा करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की जाती। जब गलत मुकदमा करने वालों और झूठी गवाही देने वालों के खिलाफ कार्रवाई और सजा दिए जाने का प्रावधान नहीं किया जाता है तब तक मैं समझता हूं कि उचित न्याय नहीं मिल पाएगा।

सभापति महोदय, खासकर बिहार में तो न्यायपालिका की अजीब स्थिति हो रही है। न्यायपालिका बिहार में परीक्षा संचालन करती है। न्यायालय का आदेश होता है कि हमारे जज परीक्षाओं का संचालन करेंगे और न्यायाधीश परीक्षा केन्द्रों पर जाते हैं। इससे भी अजीब स्थिति यह है कि अगर बिहार में रोड बनानी है, तो न्यायपालिका कहेगी कि फलां रोड को 15 दिन या एक महीने में बना दिया जाए, नहीं तो इंजीनियर-इन-चीफ जेल में डाल दिए जाएंगे। अगर सड़क पर कोई गंदगी है तो न्यायपालिका गंदगी हटाने का आदेश देती है।

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात संक्षेप में कहें और विषयवस्तु पर बोलें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं आपको बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दूंगा क्योंकि मैं इसका भुगतभोगी हूं।

सभापति महोदय : कृपया प्रस्तुत विषय पर बोलें तो ज्यादा अच्छा है और ज्यादा विस्तार में न जाएं।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, अभी लालू जी ने एक सुझाव दिया था कि आरक्षण के आधार पर न्यायपालिका में बहाली होनी चाहिए। मैं यह बताना चाहता हूं कि लालू जी के ही राज में पटना में डाक्टर ने एक आपरेशन के बाद अपनी कैंची और तौलिया मरीज के पेट में ही छोड़ दिया। इसी प्रकार से आरक्षण के आधार पर न्यायपालिका में भी नियुक्ति होने लगेंगी, तो फिर न्यायपालिका को भगवान ही बचाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि न्यायपालिका में भी कुछ प्रशासनिक और न्यायिक पद हैं जिनमें आरक्षण की बात नहीं होनी चाहिए और खासकर न्यायपालिका में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं आपका यह बताना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय का जज यदि किसी राजनेता के हित में जजमेंट देता है, तो उसे एक हफ्ते के उपरान्त ही राज्य सभा में सदस्य बना दिया जाता है और वह जज उसी पार्टी की तरफ से सदस्य बनकर आता है जिस पार्टी के नेता के पक्ष में उसने जजमेंट दिया होता है। आखिर यह क्या है? यह भ्रष्टाचार नहीं है, तो और क्या है?

सभापति महोदय, हम यह जानना चाहते हैं कि आज न्यायपालिका की यह स्थिति है कि कलकत्ता उच्च न्यायालय का एक जज राष्ट्रपति को लिखता है चूंकि मुझे न्याय नहीं मिल रहा है इसलिए मैं अपने पद से इस्तीफा देने जा रहा हूं और शायद वे इस माह की 15 तारीख से अवकाश ले रहे हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि न्यायपालिका के इतने ऊंचे पद पर रहने वाले लोग यदि अपनी न्यायपालिका में न्याय प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो हम किसको कहां पर न्याय देंगे। आज इस बिंदु पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि न्यायपालिका पर निगरानी रखने के लिए, देखरेख रखने के लिए एक व्यवस्था अलग से होनी चाहिए। अगर न्यायपालिका में कहीं पर कोई गड़बड़ होती है तो वहां से उसे नियंत्रित करने की कार्रवाई की जा सके।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, मैं एक बात पर चर्चा करके समाप्त करूंगा। मैं लालू जी के सुझाव के बारे में कहना चाहता हूं कि उनका सुझाव अच्छा था न्यायपालिका के लोगों का वेतन बढ़ना चाहिए। जब हम लोग संसद सदस्य के रूप में आते हैं, तो हम लोग जानना चाहते हैं कि आखिर हम लोगों का स्टेटस क्या होता है। आप हमें 1500 रुपये वेतन देते हैं जबकि चपरासी का वेतन भी 1500 रुपये से ज्यादा हैं आपने हमें किस स्टेटस में रखा हुआ है। एक सांसद को 8,900 रुपये मिलते हैं और उसी में से आप बिजली, पानी, कुर्सी, कारपेट, पलंग, कूलर आदि का पैसा भी काटते हैं सब चीजों का मिलाकर लगभग ढाई से तीन हजार रुपये तक काट लेते हैं यानी पांच, साढ़े पांच हजार रुपये एक सांसद को देते हैं। आप सांसद को क्या बनाना चाहते हैं। हम किसी सांसद का अपमान नहीं करना चाहते, हम भी सांसद हैं। लेकिन यदि लोग कहें कि सांसद चोरी करके अपना पेट

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

पालते हैं तो इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं हो सकती। इसलिए हम सदन में अनुरोध करना चाहते हैं कि यदि आप अपने सांसदों का चरित्र अच्छा रखना चाहते हैं तो उनके भोजन, पानी की व्यवस्था कीजिए, उन्हें सुख-सुविधा दीजिए ताकि वे अच्छे चरित्र के साथ अपने संसदीय जीवन का निर्वाह कर सकें। आप जजों का पैसा बढ़ाएं, उसे कौन रोकने जाएगा लेकिन उनके भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लगाने का काम इस सदन के माध्यम से कीजिए।

[अनुवाद]

श्री सुरेश कुरूप : सभापति महोदय, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं।

उच्च न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश निःशुल्क आवास का हकदार है और ऐसे न्यायाधीश जो इस सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, वे 2,500/- रुपए प्रति माह प्राप्त करने के हकदार हैं। यह पूर्व संशोधित वेतन, जो 8,000 रुपए का लगभग 30 प्रतिशत है। अब इस वेतन संशोधन के साथ इसे भी बढ़ाया जाना चाहिए।

विद्युत मंत्री (श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम) : सभापति महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया। मैं आभारी हूं कि वेतन संशोधन पर चर्चा करते हुए—यद्यपि सामान्यतः चर्चा होती नहीं है - पूरे विषय अर्थात् सुविधाओं, न्यायपालिका की शर्तें और निबन्धन पर ध्यान दिया गया। मैं वेतन के सम्बन्ध में एक तथ्य का उल्लेख करना चाहूंगा कि कुछ टिप्पणियां की गई थी कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन मूलतः मंत्रिमण्डलीय सचिव के बराबर होता था परन्तु अब यह कम हो गया है। इस संशोधन के साथ भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मंत्रिमण्डलीय सचिव समान स्तर पर हैं। वस्तुतः, उच्चतम न्यायालयों के न्यायधीश और मुख्य न्यायधीश का वेतनमान तो और भी ज्यादा है। परन्तु उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और मंत्रिमण्डलीय सचिव के वेतनमान समान है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 33,000/- रुपए मिलते हैं और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को 26,000/- रुपए मिल रहे हैं। यह वेतनमान वर्तमान संशोधन के अनुसार है। मैं सभा को यह दर्शाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं कि यह पूरी तरह से पर्याप्त है या यह कुछ ऐसा है जो बहुत ज्यादा आकर्षक हो। परन्तु वर्तमान व्यवस्था के अनुसार, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप ये शर्तें और निबन्धन निर्धारित किए गए हैं।

जहां तक परिलब्धियों की बात है मैं आपको बताना चाहूंगा कि सभी परिलब्धियों को बढ़ा दिया गया है। एक अत्यधिक महत्वपूर्ण बात जिस पर हम सभी को ध्यान देना चाहिए वह यह है कि उच्चतम न्यायालय के स्तर पर परिलब्धियां निशुल्क आवास, परिवहन इत्यादि के रूप में उपलब्ध हैं। उच्च न्यायालयों में भी काफी स्थिति में सुधार हुआ है। एक ऐसा भी समय था जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को मेरे विचार से माननीय सदस्य श्री शिव शंकर इस बात से अवगत हैं—उन्हें आबंटित की गई कारें नहीं मिलती थी। कोई 'पूल' कार या ऐसी कोई बात नहीं थी। अब इसमें कुछ सुधार हुआ है। परन्तु मैं कह सकता हूं कि उच्चतम नयायालय ने यह सुनिश्चित करने के लिए विशेष रुचि दर्शाई है इन मामलों में यह सुनिश्चित करने के लिए कि परिश्रमिक, शर्तें वेतन और अभिलेख न्यायालय अर्थात् उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय से सम्बन्धित अन्य बातों को तत्परता से निपटा दिया जाये। परन्तु उन्होंने अधीनस्थ न्यायपालिका के लिए कदम भी उठाए हैं। जैसाकि माननीय सदस्यों में से अधिकांश जानते होंगे कि अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत अधीनस्थ न्यायपालिका और उनकी शर्तों और निबन्धनों से सम्बन्धित नियमों को अंततः राज्य सरकारें ही बनाती हैं। परन्तु इस सम्बन्ध में उच्चतम न्यायालय ने आदेशों को पारित किया है। कई राज्यों ने इस पर कार्रवाई की है और वास्तव में अब शर्तों में सुधार हो रहा है। शर्तें और निबन्धनों से भी ज्यादा, सुविधाओं के सम्बन्ध में कुछ सदस्यों ने बातें उठायी है, मेरे विचार से ऐसी बातें हैं जिन पर ध्यान दिया जाना चाहिए। न्यायालयों द्वारा पारित किए गए कुछ आदेशों और केन्द्र सरकार और विधि मंत्रियों के सम्मेलन द्वारा दिए गए परामर्शों जब भी उस न्यायापालिका को कार्य करने के लिए सुविधाएं प्रदान करने की बात आती है, जिसे श्री पांजा ने न्याय प्रणाली का मूलभूत स्तर अर्थात् सेशन न्यायालय का उप न्यायिक मजिस्ट्रेट कहा है तथ्य यही है कि कुछ सुधार तो हुआ है, और अब सौभाग्यवश, योजना आबन्टन किया जा रहा है और योजना आबंटन किये जाने के परिणामस्वरूप हम देख रहे हैं कि जिला स्तर पर न्यायालय गठित हो रहे हैं जोकि पहले नहीं थे। अब नए न्यायालय बनाए जा रहे हैं, और नई सुविधाएं दी जा रही हैं। माननीय सदस्य हमारे पूर्व अध्यक्ष महोदय ने औचित्यपूर्ण ढंग से न्यायालयों के आधुनिकीकरण का सही ही उल्लेख किया है। मैं उनहें हर्षपूर्वक यह सूचित करना चाहता हूं कि जब वह अध्यक्ष थे वस्तुतः, तभी से न्यायालयों के आधुनिकीकरण के सम्बन्ध में अधिकांश निर्णयों पर कार्य आरम्भ हो गया था। वर्ष 1992 में विधि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ था जहां इसे प्राथमिकता और महत्व प्रदान किया गया जोकि पहले से ही इसे दिया जाना चाहिए था। परन्तु तत्पश्चात् 1994, 1995 इत्यादि वर्षों में प्रत्येक सम्मेलन में न्यायालयों विशेषकर अभिलेख न्यायालयों की सुविधाओं के आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया गया। इस समय मुझे सूचना दी गई है कि उच्चतम न्यायालयों और उच्च न्यायालयों में कम्प्यूटर उपलब्ध कराये गये हैं और उन्हें एन॰आई॰सी॰ के साथ नेटवर्क से जोड़ा गया है। यदि आप एक डाक घर या टेलिकाम प्रिंटर से नेटवर्क से जुड़े हुए हैं, तो आप वास्तव में भारत के किसी भी सुदूर क्षेत्र में शायद आज की सूची और आज लिए जाने वाले मामलों की सूचना प्राप्त कर सकेंगे।

अब उन्हें सभी सुविधाएं उपलब्ध करायी जा रही हैं। जिला न्यायालयों में यह आरंभ हो गया है। फोटोकापियर और फोटोकापी मशीनें उपलब्ध करायी जा रही हैं और राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र शीघ्र ही जिला न्यायालयों के कंप्यूटरीकरण की प्रक्रिया शुरू करेगा

और उन्हें नेटवर्क से जोड़ेगा। आधुनिकीकरण के इस कार्य के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को पर्याप्त धन मुहैया कराया गया है और वह इस कार्य में लगा है।

केन्द्रीय सरकार 50:50 के आधार पर अवसंरचनात्मक सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है अर्थात् राज्य सरकार अपनी योजना निधि में कतिपय राशियां निर्धारित करती हैं और कतिपय राशि हम निर्धारित करते हैं। वर्ष 1997-98 में लगभग 232 करोड़ रुपए का अनुदान था। इस वर्ष यदि बजट सत्र के दूसरे भाग में जो अनुदान संसद के समक्ष रखे गए है, स्वीकृत हो जाते हैं तो ये भी लगभग पिछले वर्ष के बराबर होंगे। मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि हमने एक अच्छी शुरूआत की है हालांकि इसे कुछ और तेजी से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है।

न्यायपीठों के संबंध में मेरा विचार है कि अधिकतर माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि खंडपीठों से संबंधित निर्णय न्यायालयों के साथ परामर्श से किया जाता है और जो अक्सर न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में आता है।

मैं अपने अच्छे मित्र प्रो॰ कुरियन, जो सभा से चले गए हैं, तथा सांविधिक संकल्प के प्रस्तुतकर्ता श्री रेड्डी से पूर्णतः सहमत हूं कि दक्षिण के हम सभी लोग चार स्थानों अर्थात् बंगलौर, हैदराबाद, मद्रास और त्रिवेन्द्रम में से कहीं पर भी उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के पक्षधर है।

अपराह्न 3.00 बजे

किन्तु फिर वास्तविकता यह है...*(व्यवधान)* अब वे चाहते हैं कि उच्चतम न्यायालय की एक न्यायपीठ की स्थापना मेरठ में की जाए। श्री सोमपाल इस मामले को बिगाड़ रहे हैं। सत्य यह है कि यह मामला कई बार लिया गया है। उच्चतम न्यायालय की राजिस्ट्री ने सूचित किया है कि न्यायालय ने इस पर विचार किया था। वस्तुतः 26.4.97 के अपने पत्र में उन्होंने उल्लेख किया है कि दिल्ली से बाहर उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ की स्थापना के बारे में भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में पूरा न्यायालय सहमत नहीं हुआ। उनके पास अनेक मांगे गई हैं। मैं इन मागों को हाल ही में अस्वीकृत किए जाने के बारे में आपको सूचित कर रहा हूं। अनुच्छेद 130 के अधीन मुख्य न्यायाधीश और न्यायालय ही इसका निर्णय कर सकता है, हम या सरकार नहीं।

श्री अजित कुमार पांजा : यह सभा भारत के मुख्य न्यायाधीश को अपनी भावनाओं से अवगत करा सकती है। 26.4.97 को निर्णय किया गया था कि सर्किट न्यायपीठ न हों, कृपया हमारी इस भावना से उन्हें अवगत कराएं कि नए मुख्य न्यायाधीश को एक बैठक बुलानी चाहिए और सर्किट न्यायपीठ की स्थापना करनी चाहिए। हमे बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देता हूं कि मैं निश्चित तौर पर विधि मंत्री से अनुरोध करूंगा कि इस संबंध में वे इस सदन की भावनाओं से भारत के मुख्य न्यायाधीश को अवगत कराएं।

अन्य उच्च नयायालयों की न्यायपीठों की स्थापना के बारे में भी कई अनुरोध प्राप्त हुए है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय आगरा में एक न्यायपीठ की स्थापना के पक्ष में नहीं है। मैं और नामों का उल्लेख कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास उन स्थानों की एक लम्बी सूची है जहां पर न्यायपीठों की स्थापना की मांग की गई हैं चाहे यह मद्रास, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, केरल या कलकत्ता उच्च न्यायालय हों, किन्तु स्थिति यह है कि राज्य सरकारों को उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के साथ परामर्श कर न्यायपीठों की स्थापना हेतु प्रस्ताव भेजने होते हैं अधिकतर मामलों में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के प्रधान स्थान से बाहर न्यायपीठों की स्थापना का विरोध करते हैं। वर्तमान में हमारे पास कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। राज्य सरकारों को ही मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके प्रस्ताव भेजने चाहिए। वे अभी उस स्तर से आगे नहीं बढ़े हैं। यह हमारे पास विचार के लिए भी नहीं आया है। मैं सभा को आश्वासन दे सकता हूं कि जैसे ही ये मामले हमारे पास आएंगे हम उन पर पूरी तत्परता से विचार करेंगे। हम स्थिति और सदस्यों की भावना को समझते हैं। चूंकि एक माननीय सदस्य ने पूछा है कि कर्नाटक सरकार ने हुबली, धारवाड़ में एक न्यायपीठ की स्थापना का प्रस्ताव भेजा है मुझे पूरा यकीन है कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने उस प्रस्ताव का विरोध किया था। उन्होंने मुख्यमंत्री से उपलब्ध करायी जाने वाली कतिपय सुविधाओं आदि के बारे में स्पष्टीकरण मांगा है। मैं माननीय सदस्य श्री मल्लिकाजुनय्या को सूचित कर रहा हूं कि इस प्रस्ताव की स्थिति यह है।

अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में मैं सदस्यों को पहले ही सूचित कर चुका हूं कि उच्चतम न्यायालय ने 1989 में आल इंडिया जजेज एसोसिएशन में कतिपय निर्देश दिए थे। ये निर्देश, आवास, कार्यस्थल, पुस्तकालय, परिवहन सुविधाओं और सेवानिवृत्ति आयु 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष करने के प्रावधानों के बारे में थे। सभी राज्य सरकारों द्वारा इन निर्देशों का कार्यान्वयन और अनुपालन प्रतिवेदन को उच्चतम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना अपेक्षित है। कई राज्य सरकारों ने सेवा शर्तों और उपलब्ध सुविधाओं में सुधार कर दिया है और कुछ राज्य सरकारें उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का कार्यान्वयन करने की प्रक्रिया में हैं। मैं समझता हूं कि सामान्यतः जो बाते यहां उठाई गई हैं मैंने उन पर ध्यान दिया है।

किन्तु मेरा विचार है कि नियुक्तियों और स्थानान्तरण के बारे में स्थिति समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है मेरा मानना है कि सभी सदस्य इस बात से अवगत होंगे इसका प्रावधान अनुच्छेद 124 और 217 में है। इस मामले को नौ न्यायाधीशों की न्यायपीठ की सौंपने के आज हमारे समक्ष एक ऐसी स्थिति है जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश के विचार की प्रधानता है।

श्री अजित कुमार पांजा : हम मंत्री जी के आभारी है कि वे सभा की भावना से भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को अवगत कराएंगे।

मैं उनसे अनुरोध करता हूं कि दो बातों पर विचार करें, बहुत से मामले लम्बित पड़े हैं। अनेक न्यायाधीशों की नियुक्ति करना संभव

[श्री अजित कुमार पांजा]

नहीं है जैसा कि एक सदस्य ने सुझाव दिया है क्या सभी उच्च न्यायालयों में एक वर्ष की विशेष अवधि के लिए तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करना संभव है जो बाद में उसी न्यायालय में वकालत करने के हकदार होंगे? तब सभी बकाया मामलों का धीरे-धीरे और तेजी से निपटान किया जा सकेगा।

अन्यथा सभी लम्बित मामलों का निपटान असंभव है। मामलों के लम्बित पड़ने से लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसलिए प्रत्येक उच्च न्यायालय में 10 न्यायाधीशों की तदर्थ नियुक्ति की जानी चाहिए। वे पुराने मामलों का निपटान करें ओर बाद में उन्हें उसी न्यायलय में वकालत करने की अनुमति दी जाए। अन्यथा प्रत्येक न्यायालय में प्रतिदिन सैकड़ों नए मामलों के दर्ज होने के कारण लम्बित मामलों का कभी भी निपटान नहीं होगा।

मेरी दूसरी बात यह है कि पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है किन्तु कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को यह दर्जा नहीं दिया गया है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या यह इसलिए है कि राज्य हमारे न्यायाधीशों की प्रतिष्ठा कम करना चाहता है? माननीय मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिए। इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। कलकत्ता उच्च न्यायालय के हमारे न्यायाधीशों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया जाना चाहिए, किन्तु केवल पश्चिम बंगाल के महाधिवक्ता को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया गया है न्यायाधीशों को नहीं दिया गया हैं यह व्यवस्था जारी नहीं रह सकती है।

श्री नादेन्दला भास्कर राव : सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक बात कहना चाहता हूं, 1965 तक उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश कैबिनेट सचिव से 500 रुपये अधिक वेतन पा रहे थे किन्तु अब उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश प्रति माह 26000 रुपए वेतन ले रहे हैं और कैबिनेट सचिव प्रतिमाह 30,000 रुपये वेतन ले रहा है, इसलिए अब दोनों के वेतन में भारी अन्तर है।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : महोदय मैं, माननीय सदस्य के साथ किसी विवाद में पड़ना नही चाहता हूं किन्तु मेरे विचार से आपके माध्यम से उन्हें यह सूचित करना महत्वपूर्ण है कि वास्तव में पहले उनकी समानता मुख्य सचिव से की जाती थी और संघीय न्यायालय की कैबिनेट सचिव से समानता की जाती थी। वास्तविक स्थिति वह है। किन्तु उस बात को दर किनार करते हुए मैं इस मंच से बाहर इस मामले पर चर्चा करने का इच्छुक हैं क्योंकि हमने इस पर विचार किया है।

महोदय, माननीय सदस्यों में एक अन्य बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बकाया राशि की किस्तों के बारे में उठाया है, मैं उन्हें सूचित करना चाहता हूं कि इसका प्रावधान विधेयक में है। किन्तु बकाया का भुगतान पहले ही किया जा चुका है क्योंकि इसका प्रावधान अध्यादेश में था और यह विधेयक उस अध्यादेश का स्थान लेने को लिए है। सत्य यह है कि अब तक उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की

बकाया राशि का भुगतान किया जा चुका है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के संबंध में शीघ्र ही हमें राज्यों से अनुपालन रिपोर्ट मिल जाएगी कि उन्होंने भी बकाया राशि का भुगतान कर दिया है। मैं उनके अनुपालन प्रतिवेदनों को व्यस्थित करूंगा और मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दे सकता हूं कि यह बकाया की किश्तों के भुगतान के बारे में प्रावधान है। इसका अर्थ यह नहीं है कि हमें किस्तें चुकानी पड़ेगी। परन्तु हम किस्तें चुकाएंगे।

न्यायाधीशों की नियुक्ति और न्यायिक जवाबदेही के संबंध में मैं समझता हूं कि अधिकांश माननीय सदस्य इस बात से अवगत हैं कि अगर न्यायालयों का रिकार्ड देखा जाए तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायधीशों के लिए कोई औपचारिक आचार संहिता नहीं है। न्यायाधीशों के सम्मेलन में आचार संहिता तैयार करने के लिए एक समिति गठित भी गई थी। परन्तु हमें इसकी प्रगति के बारे कुछ नहीं पता है। हम समझते है कि यह तेजी से कार्य कर रही है। हमें मालूम है कि इस मामले पर उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायधीशों के वार्षिक सम्मेलन में भी चर्चा हुई थी। जिला न्यायाधीशों के संबंध में मेरा कहना है कि अधिकांश राज्यों में उच्च न्यायालयों के परामर्श से राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई आचार संहिता और नियम चल रहे हैं और काफी कम राज्यों में ऐसा नहीं है। स्थिति यही है।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : इस समिति का गठन किसने किया था? क्या इसका गठन भारत के मुख्य न्यायाधीश ने किया था?

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : इस समिति का गठन उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के वार्षिक सम्मेलन में एक संकल्प के आधार पर किया गया था जिसमें उन्होंने इसका गठन करने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश को अधिकार दिया था।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : क्या मंत्री जी इस समिति के सदस्यों के नामों की घोषणा करेंगे?

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : महोदय, सामान्यतः उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन की कार्यवाहियां उन्हीं तक सीमित रखी जाती है। हमें इसकी सूचना नहीं दी जाती; हमें कार्यवाही से अवगत नहीं करवाया जाता।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : महोदय, मैं समिति के बारे पूछ रहा हूं। मैं समिति के गठन के बारे जानना चाहता हूं।

श्री सत्य पाल जैन : मेरी जानकारी के अनुसार इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय के पांच वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : इस सूचना के लिए आपका धन्यवाद।

श्री पी॰ आर॰ कुमारमंगलम : सामान्यतः यह मामला उनके क्षेत्राधिकार के अंदर समझा जाता है और हमारे पास जितनी जानकारी होती है तो हम उतनी ही देते हैं।

महोदय, इसे देखते हुए, मैं इस सांविधिक संकल्प को प्रस्तुत करने वाले से अपना संकल्प वापिस लेने का अनुरोध करता हूं।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापत्तनम) : महोदय, मंत्री जी ने सभी बातों का खुलासा नहीं किया है। जब मैंने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए 10,000 रुपये की वृद्धि का प्रस्ताव किया था तो...(व्यवधान)। मैं इस विधेयक से पूरी तरह सहमत हूं। सभी सदस्यों ने न्यायिक प्रणाली, जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्रणाली है, के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं और प्रत्येक ने एक मत से न्यायिक अधिकारियों के प्रति आदर भाव व्यक्त किया है। इस देश में न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने इस देश के प्रजातंत्र के हित को बचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसलिए, उन्हें अधिक धन देने में कोई समस्या नहीं है। अब हम इसे बदल नहीं सकते क्योंकि इस संबंध में पहले से ही अध्यादेश है। परन्तु मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि भविष्य में सरकार किसी उपयुक्त दिन सरकार को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन संशोधित करे।

महोदय, सभी सदस्यों ने यह कहा है कि लाखों मामले लंबित हैं। एक कारगर प्रणाली बनाने की आवश्यकता है। अगर पीठ होगी तो यह गरीब लोगों के लिए काफी हितकारी होगी और मामलों के निपटान की भी काफी संभावना है। परन्तु मंत्री जी ने काफी चालाकी से उत्तर दिया है कि मुख्य न्यायाधीश सहमत नहीं हो रहे हैं। एक प्रजातांत्रिक देश में मुख्य देश में मुख्य न्यायाधीश ही अंतिम अधिकारी नहीं है। लोगों, सांसदों तथा विधायकों को भी महत्वपूर्ण भूमिका निभानी पड़ती है। मैंने अपना संकल्प प्रस्तुत करते हुए यह कहा था।

इसलिए सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भविष्य में चाहे मुख्य न्यायाधीश को आवश्वस्त करके या इस तरह से नियम को संशोधित करके समस्या का समाधान किया जाना चाहिए कि हम राज्य सरकारों को इन पीठों की स्थापना करने का अधिकार प्रदान करें।

महोदय, हम वर्षों से विशाखापत्तनम में एक पीठ स्थापित करने की सोच रहे है क्योंकि हैदराबाद विशाखापनतम से काफी दूर है। यह आंध्र प्रदेश का एक किनारा है। इसलिए मैं विधि और न्याय मंत्रालय तथा सरकार के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि उन्हें देश में आंध्र प्रदेश तथा अन्य राज्यों का ध्यान रखना चाहिए। इस तरह बहाना बनाने से कि राज्य सरकार सहमत नहीं हो रही है या यह कि राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा है समस्या का समाधान नहीं होगा। वास्तव में यदि श्री कुमारमंगलम को इस मंत्रालय का पूरा कार्य सौप दिया जाता तो वे इस समस्या का समाधान कर देते। मैं उनकी क्षमता जानता हूं। चूंकि आज वे उत्तर दे रहे हैं इसलिए वे इस बात का ध्यान रखे कि माननीय सदस्यों की इच्छानुसार, अधिक बैंचों का गठन किया जाए।

अंत में, मंत्री जी ने रिक्तियों के संबंध में कुछ नहीं कहा है। यह बहुत आवश्यक मामला है। श्री अजीत कुमार पांजा तथा मेरे अलावा कई माननीय सदस्यों ने इसके बारे में बोला है। न्यायाधीशों के कई पद रिक्त हैं। जब मुख्य न्यायाधीश ने दिल्ली में अपना अनुरोध भेजता तो विधि और न्याय मंत्रालय इस पर आपत्ति करता है। कभी-कभी वे कहते हैं कि फाईल उच्चतम न्यायालय में गई हुई है। आंध्रप्रदेश में भी गलतफहमी है। कुछ समय पहले कुछ न्यायाधीशों के नाम दिल्ली भेजे गए थे। परन्तु आज तक वे भरी नहीं गई है। हमे इसका काफी दुख है। मैं सरकार से इसका समाधान करने तथा इन रिक्त पदों को भरने का अनुरोध करता हूं। आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल या किसी अन्य जगह रिक्त पद क्यों हो? इसलिए आप रिक्त पदों को शीघ्र भरने की व्यवस्था करें। दूसरे देश भर में महत्वपूर्ण शहरों में उच्चतम न्यायालय के बैंच होने चाहिए। कम से कम एक बड़े राज्य में एक बैंच की स्थापना की जानी चाहिए। सरकार को इन सभी समस्याओं का जायजा लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। अब मैं इस विधेयक को पूरी तरह से स्वीकार करता हूं और मैं अपने सभी संशोधन और संकल्प वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना सांविधिक संकल्प वापस लेने हेतु सभा की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

सांविधिक संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 और उच्चतम न्यायालय न्यायाधीश (सेवा शर्त) अधिनियम 1958 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब यह सभा इस विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

खंड 2 से 9

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी॰आर॰ कुमारमंगलम : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

कि विधेयक पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : इस समय 3 बजकर 15 मिनट हुए हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री क्या हम अब दोपहर के भोजन के लिए जाएं?

अनेक माननीय सदस्य : महोदय आज दोपहर के भोजनावकाश की जरूरत नहीं है।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति महोदय, इस समय सवा तीन बजे हैं और अभी तीन बिल बाकी हैं। अगर आप डेढ़ घंटा और लेंगे तो भी आठ-नौ बज जाएंगे। पहले जब चार बिलों के लिए बात हुई थी, उस समय आज ही का दिन हमारे पास था, क्योंकि मंगलवार को छुट्टी थी और हमे उनको पास करके राज्य सभा में भेजना था। अब मेरा निवेदन यह है कि एक बिल आप सोमवार को ले लीजिए और तीन बिल आज ले लीजिए, ताकि सोमवार को पास करके हम मंगलबार को राज्य सभा में भेज सके, अन्यथा हमें रात को दस बजे तक बैठना पड़ेगा, बाकी जैसे सदन चाहे वैसे हम कर सकते है।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : महोदय, सरकार को चाहिए कि जितने बिल आज क्लियर हो सकते है उतने आज कराएं।

श्री मदन लाल खुराना : अगर माननीय सदस्य रात तक बैठना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

सभापति महोदय : वे सभी लोग सहयोग दे रहे हैं।

अपराह्न 3.16 बजे

[अनुवाद]

याचिका का प्रस्तुतीकरण

सभापति महोदय : श्री चन्द्रशेखर साहू के पास प्रस्तुत करने के लिए एक याचिका है। श्री साहू, कृपया अपनी याचिका प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्री चन्द्रशेखर साहू (महासुमन्द) : सभापति महोदय, में श्री सुदीप श्रीवास्तव, श्री बेरी खान और बिलासपुर के अन्य व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, जिसमें बिलासपुर रेलवे डिवीजन, मध्य प्रदेश में नया रेलवे जोन बनाये जाने का अनुरोध किया गया है, प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 3.17 बजे

[अनुवाद]

वित्त (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किए जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और वित्त (संशोधन) विधेयक

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापतनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं:

> "कि यह सभा 21 अप्रैल, 1998 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित वित्त (संशोधन) अध्यादेश, (1998 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय, यह सच है कि यह विधेयक बहुत जरूरी हो गया था क्योंकि पांचवें वेतन आयोग के बाद जिस धनराशि की आवश्यकता थी वह 11,000 करोड़ रु॰ से बढ़कर 18,000 करोड़ हो गई है। अतः सरकार को 7,000 करोड़ रु॰ की आवश्यकता थी और तब उन्होंने विशेष सीमा शुल्क को 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक बढ़ाने और विदेश यात्रा कर को 750 रु॰ तक बढ़ाने का विचार किया लेकिन, इसके साथ ही यह सम्माननीय सभा महसूस करती है कि इस अध्यादेश को जारी करना अच्छी बात नहीं है और जहां तक हो सके हमे इससे बचना चाहिए। वास्तव में अध्यादेश को पशुपतास्त्रम की तरह बहुत कम इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश यह बहुत आसान हो गया है और अब तो ऐसा है कि अध्यादेश जारी करो और विधेयक पारित करवाने के लिए इसे फिर संसद में प्रस्तुत करो। हमें भविष्य में इससे बचना चाहिए। अनेक सदस्य चिन्ता व्यक्त कर रहे थे लेकिन भविष्य में हमें अध्यादेश जारी करने से बचना चाहिए।

हालांकि, इस विधेयक में एक बात मुझे स्वीकार करनी होगी। सच्चाई यह है कि भारत की जनता अथवा भारत सरकार का इसमें कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन वेतन आयोग के साथ हुई वार्ता को अन्तिम रूप दिए जाने के कारण कर्मचारियों को भुगतान करने के लिए सरकार को कई करोड़ रुपये की आवश्यकता है। उन्हें इस धनराशि का भुगतान करना है और शायद इसीलिए उन्होंने सोचा होगा कि उन्हें यह धनराशि इस सीमा-शुल्क और कर को बढ़ाकर ही प्राप्त करनी होगी। अतः उन्होंने इसे 7,000 करोड़ रुपये बढ़ा दिया है।

लेकिन इसके साथ ही, मेरा सुझाव यह है कि यद्यपि इस समय वित्त सशोधन विधेयक को स्वीकार करना ससंद के लिए अनिवार्य हो गया है; कम से कम नई सरकार द्वारा प्रस्तावित 500 रु॰ के यात्रा कर को और कम किया जाना चाहिए। क्योंकि हमारे अधिकतर विद्यार्थी पड़ौसी देशों में जाते हैं और इसलिए भी कि पर्यटकों सहित अनेक लोग, मध्यम वर्ग के लोग यात्रा करते रहते हैं। यह सुविधा उनको दी जानी चाहिए। सीमा शुल्क में उस धनराशि को अवश्य बढ़ाना चाहिए। निश्चय ही इस समय हम उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते हैं क्योंकि अध्यादेश पहले से ही लागू है।

दूसरा मुद्दा यह है कि यह 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक सीमा-शुल्क की बात केवल विशेष सीमा शुल्क के लिए प्रस्तावित है। इसे उन मदों के लिए प्रस्तावित नहीं कर रहे है जो वे बिना सीमा शुल्क के आयात कर रहे है। यह भी अनुचित है। मैं श्री यशवन्त सिन्हा को दोषी नहीं समझता हूं लेकिन इससे पहले भी इससे संबंधित प्रत्येक व्यक्ति ने यही गलती की थी क्योंकि जब हम सीमा-शुल्क के बिना उत्पादों का आयात करते हैं तो आप उनसे शुल्क नहीं लेते हैं और जब आप 2 प्रतिशत और 5 प्रतिशत शुल्क लेते है तो यह बढ़ोतरी अनुचित लगती है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस पर विचार करें और उत्तर दे।

वित्त मंत्री (श्री यशवन्त सिन्हा) : मैं प्रस्ताव* करता हूं

> "कि वित्त अधिनियम 1979 और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

बजट, 1997 के बाद किये गये वायदों को ध्यान में रखते हुए और चूंकि मेरे माननीय मित्र श्री लालू प्रसाद यहां बैठे है जैसा कि पूर्व अध्यादेश के रूप में पिछली सरकार द्वारा ऐसा ही किया गया था जिनमें वेतन आयोग का भुगतान सम्बंधी आदेश भी शामिल था, भूतपूर्व सरकार ने अतिरिक्त संसाधन बढ़ाने के लिए सभी आयात होने वाली मदों (पी॰ओ॰एल॰ तथा परियोजना के लिए आयात की जाने वाली मदों को छोड़कर) पर विशेष सीमा शुल्क को 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक मूल्यानुसार बढ़ा दिया था और गैर-पड़ौसी देशों में की जाने वाली यात्राओं के लिए विदेश यात्रा शुल्क को 300 रु॰ से 750 रु॰ प्रति यात्री बढ़ा दिया है। चूंकि ससंद का सत्र नहीं चल रहा था, इसलिए वित्त अधिनियम, 1979 की धारा 35 में और वित्त (संख्याक 2) अधिनियम, 1996 की धारा 68 में उपर्युक्त परिवर्तनों को कार्यान्वित करने के लिए दिनांक 16 सितम्बर, 1997 के वित्त अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 के संख्याक 16) को जारी करके विधाथी संशोधन किये गये थे।

उपर्युक्त अध्यादेश को शीत कालीन सत्र के दौरान, विधेयक से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका क्योंकि ग्यारहवीं लोक सभा भंग हो चुकी थी। सरकार द्वारा विशेष सीमा शुल्क और विदेश यात्रा शुल्क को बढ़ी हुई दरों पर लागू करवाने के लिए एक अन्य अध्यादेश अर्थात् दिनांक 24 दिसम्बर, 1997 का वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का संख्याक 24) लागू किया गया। इसमें यह सशोधन किया गया था कि 1 जनवरी, 1998 से गैर पड़ौसी देशों को की जाने वाली यात्राओं के लिए विदेश यात्रा शुल्क को 750 रु॰ से घटाकर 500 रु॰ प्रति यात्री कर दिया जाएगा।

वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1997 को भी विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित नहीं किया जा सका था क्योंकि आम चुनाव के बाद लोक सभा अल्प काल के लिए समवेत हुई थी।

* राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि सरकार बढ़ी हुई दरों पर सभी आयातित मदों पर विशेष सीमा शुल्क और विदेश यात्रा शुल्क लेना जारी रख सके, जैसा कि वित्त (दूसरा संशोधन) अध्यादेश, 1997 के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट है, दिनांक 21 अप्रैल, 1998 को वित्त (संशोधन) अध्यादेश 1998 (1998 का संख्यांक 5) के नाम से एक अन्य अध्यादेश की प्रख्यापित किया गया।

मैने दिनांक 29 मई, 1998 को सभा में वित्त (संशोधन) अध्यादेश 1998 को प्रतिस्थापित करने के लिए वित्त (संशोधन) विधेयक, 1998 पुरःस्थापित किया था। माननीय अध्यक्ष महोदय यह विधेयक वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया था। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने वित्त (संशोधन) विधेयक, 1998 की पहले ही जांच कर ली है।

अपराह्न 3.26 बजे

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

जब बाद में वित्त विधेयक पर चर्चा की जाएगी तब हमें इस सभा में आम मुद्दों पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा यदि सम्भव हुआ तब मुझे शीघ्र वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1998 को वित्त (संशोधन) विधेयक, 1998 से प्रतिस्थापित करने और पारित करने के लिए इस सम्माननीय सभा की कृपादृष्टि चाहिए होगी ताकि अन्य विधेयकों पर चर्चा की जा सके।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुए :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 21 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित वित्त (संशोधन) अध्यादेश 1998 (1998 का संख्यांक 5) का निरनुमोदन करती है।"

> "कि वित्त अधिनियम, 1979 और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।

अब श्री एन॰ भास्कर राव बोलेगे।

श्री नादेन्दला भास्कर राव (खम्माम) : अध्यक्ष महोदय सबसे पहले, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के बारे में कहने को कुछ अधिक नहीं है। लेकिन हम इस विधेयक का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि यह अध्यादेश इसमें पहली सरकार द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसे कांग्रेस दल का भी समर्थन प्राप्त था मैं इस विधेयक के बारे में एक-दो टिप्पणियां करना चाहता हूं।

पहली बात यह कही गई है कि बढ़े हुए खर्च को पूरा करने के लिए कर में वृद्धि की गई है। दूसरी बात यह कही गई है कि यह वृद्धि बजट प्रशासन की देनदारियों को पूरा करने के लिए की गई है। बजट पश्चात् की देनदारियां कब तक चलती रहेगी? मंत्री जी इसको रोकने के लिए प्रयत्न कब करेंगे? लोग जीवन यापन की बढ़ती लागत के कारण पहले से ही परेशान हैं। मूल्य तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। लोग सब्जी तक खरीदने में असमर्थ हैं। इसलिए माननीय मंत्री जी यदि आप इसी प्रकार करों में वृद्धि करते रहेंगे तो लोगों को भुगतना पड़ेगा।

[श्री नादेन्दला भास्कर राव]

निसन्देह सभी आयातित वस्तुओं के सीमा शुल्क पर विशेष शुल्क 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 5 प्रतिशत और गैर पडौसी देशों की यात्रा पर विदेशी यात्रा कर 300 रु॰ से बढ़ाकर 750 रु॰ कर दिया गया है। प्रश्न यह है कि यदि आपका व्यय बढ़ता है तो आप कर में वृद्धि करना चाहते है। इस बात का निचोड़ यही है। मैंने विधेयक के उद्देश्य और कारणों के कथन को देखा है। यदि यह बात है तो आप सरकार के खर्च में कटौती क्यों नहीं करते हैं? आप हर बार लोगों पर इसका भार क्यों डालना चाहते हैं? क्या यह इसलिए है कि आप व्यय को पूरा करने में असमर्थ हैं और आप कर में वृद्धि कर रहे हैं? यह न्याय संगत नहीं है। अब हमें यह पता चला कि क्योंकि सरकार के खर्च बहुत अधिक हैं इसलिए इसे करों में वृद्धि करनी पड़ती है। वह न्यायसंगत नहीं है यही मेरा विन्रम निवेदन है।

इसके अतिरिक्त नई सुविधाएं भी नहीं दी गई हैं कर में वृद्धि करने का कोई औचित्य अवश्य होना चाहिए। नई सुविधाएं क्या दी गई हैं। यात्रा के सम्बध में वही पुरानी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सीमा शुल्क के सम्बन्ध में भी कुछ नया नहीं जोड़ा गया है। इसलिए मैने यह दो टिप्पणियां की हैं अब मैं इसे आप पर छोडता हूं।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिकिल) : महोदय कुछ विशेष सिद्धांतों के आधार पर मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। मैं न केवल इस विधेयक की विषय वस्तु के कारण बल्कि यह जिस प्रकार से इस सदन के समक्ष लाया गया है उसके कारण इसका विरोध कर रहा हूं।

सरकार तो सदन को विश्वास में लिए बिना कर लगाने की प्रवृति रही है। कार्यपालिका कर लगाने सम्बन्धी प्रस्ताव लाती रही है और नाकि इस के माध्यम से बल्कि अन्य तरीको से इसे कार्यन्वित करती रही है। इनका सूत्रपात विधानमण्डल में न होकर कार्यपालिका में हो रहा है। मेरा दृढ़ मत है कि सभी कर प्रस्ताव इस सदन में लाए जाने चाहिए नहीं तो यह इक तरफा निर्णय होगा। जब कभी भी कोई नया कर लगाया जाना हो तो लोगों की बात भी सुनी जानी चाहिए। जहां तक कर दाताओं का सम्बन्ध है कार्यपालिका की इससे जुड़ी कठिनाइयों से समझना चाहिए। यहां आप कर दाताओं को यह अवश्य प्रदान नहीं कर रहे हैं इस सदन से चुने हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से कर-दाताओं के विचारों का प्रतिनिधित्व होता है। यहां हम न केवल अपने विचारों को व्यक्त करते हैं बल्कि दिन प्रतिदिन हुए अनुभवों के आधार पर प्राप्त हुए विचारों को भी व्यक्त करते है। इसलिए हमें अपने बारे में अपने विचार व्यक्त करने का भी अधिकार प्राप्त होगा।

यह स्वीकार किया गया है और यह विलम्ब स्पष्ट भी है कि कार्यपालिका को स्वयं ही कर 750 रु॰ से घटाकर 500 रु॰ करने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्यों? बाद में कार्यपालिका ने पाया कि यह अनुचित था और पडौसी देशों के अलावा किसी देश की यात्रा करने वाले प्रत्येक यात्री से 750 रु॰ कर वसूल करने को न्याय संगत नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन जैसाकि यह सरकार प्रतियात्री 750 रु॰ वसूलने के पश्चात् भी अपेक्षित राजस्व अथवा प्रत्याशित राजस्व प्राप्त नहीं कर सकी, तो सरकार कर प्रस्ताव को घटाकर 500 रु॰ करने पर बाध्य हुई। यदि इस प्रस्ताव पर इस सदन में चर्चा की जाती तो ऐसी स्थिति से बचा जा सकता था इसमें मेरा पक्ष स्वयं न्यायसंगत हो जाता है कि इस सदन में हमेशा प्रस्ताव पर चर्चा की जानी चाहिए।

मुझे खेद है और मुझे यह कहना पड़ रहा है कि यह गलत परम्परा और सिद्धांत है जो संसदीय लोकतंत्र के सभी सिद्धांतों के विरुद्ध है। अध्यादेश जारी करना निश्चित रूप से एक प्रवृत्ति बन गई है। यह प्रवृत्ति राज्यों में व्याप्त है। एक तरह से यह छूत की बीमारी है। यह सच है कि आपात कालीन स्थिति अथवा असाधारण परिस्थिति से निपटने के लिए संविधान में अध्यादेश जारी करने का प्रावधान है। लेकिन यहां क्या विद्यमान परिस्थिति असाधारण थी। पांचवें वेतन आयोग की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा की गई। सामान्य तौर पर कार्यपालिका को अतिरिक्त व्यय होने की संभावना रखनी चाहिए। इसलिए ऐसे व्यय जिसकी पर्याप्त अपेक्षा थी को पूरा करने के लिए अध्यादेश जारी करने की आवश्यकता क्या थी? मैं समझ सकता हूं कि बाढ़ अथवा किसी भूचाल जैसी प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए कार्यपालिका अध्यादेश जारी कर सकती है क्योंकि यह अभूतपूर्व तथा अचानक होती है। कार्यपालिका इस स्थिति से निपटने के लिए अध्यादेश जारी करने के लिए बाध्य हो सकती है। इस मामले में कार्यपालिका ने जब वेतन आयोग की नियुक्ति की थी उस समय वह इस व्यय की आशा कर सकती थी। वेतन आयोग साक्ष्य ले रहा था और उन्होने सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत की। जब राजस्व व्यय के बारे में प्रश्नावली पर कार्य आरंभ किया गया तो सरकार ने पाया कि वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करते हुए उसके साथ अतिरिक्त व्यय भी उन्हें करना पड़ेगा।

अब मैं वित्त मंत्री जी से अवश्य कहूंगा कि वह मूलतः इसके लिए उत्तरदायी नहीं हैं। यह वर्तमान सरकार का दोष नहीं है। यह पिछली सरकार का दोष हो सकता है। वह दूसरा मामला है। मैं राजनीतिक भावना में इस पर कुछ नहीं कहना चाहता। मैं विशिष्ट संसदीय सिद्धांतों के बारे में कहूंगा। यह राष्ट्र की संसद है। हमें राज्यों के समक्ष उदाहरण पेश करने चाहिए। हमारे संविधान के सिद्धांतों के विरुद्ध अध्यादेश जारी करना गलत कार्य है। लेकिन जब हम स्वयं बार-बार अध्यादेश जारी कर रहे हैं तो यह अलग दुर्भाग्यपूर्ण और खेदजनक है।

इस मामले पर उच्चतम न्यायालय द्वारा भी विचार किया गया था। श्री वाधवा नामक एक प्रोफेसर इस मामले को उच्चतम न्यायालय में ले गए थे ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन और वक्ता भी बोलने वाले हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : अध्यक्ष महोदय आपको भी याद होगा कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में ले जाया गया था उच्चतम न्यायालय ने मसले विचार विमर्श किया पर और अध्यादेश जारी करने के बारे में अन्तिम निर्णय दिया।

उच्चतम न्यायालय ने स्वीकार किया कि आप आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए एक बार अध्यादेश जारी कर सकते हैं। लेकिन यहां मामला यह है कि आप उसी प्रयोजन के लिए एक बार नहीं बल्कि दो तीन बार अध्यादेश जारी कर रहे हैं। यह तो वास्तव में वाधवा मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों का उल्लंघन है।

मैं माननीय विद्वान वित्त मंत्री जी को, जो मेरे सम्मुख बैठे हैं, बताना चाहता हूं कि यह काफी अभूतपर्व और खेदजनक है। इसके अलावा हमें ही अन्य राज्यों के सम्मुख कुछ उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। लेकिन एक के बाद एक अध्यादेश जारी करना आम बात हो गई है जिसने विधान पालिका को कार्यपालिका के हाथ में रबड की मोहर बना दिया है। अध्यादेश के कुछ वचनबंद्धताएं होती हैं। हम उसमें पीछे नहीं हट सकते। ऐसे मुद्दे पर न्यायोचित चर्चा भी नहीं की जा सकती क्योंकि यह उस कार्यपालिका द्वारा जारी किया होता है जो सदन के बहुमत को नियन्त्रित कर रही होती है। अब इस कर के लिए भी पीछे नहीं हट सकते इस लिए कर प्रस्ताव के बारे में स्वतत्र और उचित चर्चा नहीं दी जा सकती। क्या हम पीछे हट सकते हैं? तब तो कार्यपालिका को अत्यन्त लज्जापूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ेगा क्योंकि अदा किये गए करों को करदाताओं के वापस करना पड़ेगा। हम ऐसी स्थिति उत्पन्न करना नहीं चाहते हैं और कार्यपालिका भी यह नहीं करेगी।

इसलिए इन सभी कठिनाइयों से बचने के लिए तथा सुविधाओं की दृष्टि से बेहतर होगा कि हम कर प्रस्तावों को इस सदन में ही प्रस्तुत करें।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन, कृपया समाप्त कीजिए।

श्री पी॰ शिव शंकर : महोदय मेरे मित्र ने बोलते समय गलती से अध्यक्ष महोदय के बारे में कुछ टिप्पणी की थी। मैं आशा करता हूं कि यह अनभिप्रेत और अत्यन्त आकस्मिक है। इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि इसके उस भाग को कार्यवाही सारांश से हटा दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दूंगा।

श्री वारकला राधाकृष्णन : हां, अब में अपने दूसरे मुद्दे पर आता हूं ...*(व्यवधान)* मैंने अभी अपना भाषण समाप्त नहीं किया है।

सरकार को इसे शीघ्रातिशीघ्र पेश करना चाहिए। मेरा अनुरोध यह है कि 12वीं लोक सभा के पहले सत्र में ही इस मामले को सभा में रखा जाना चाहिए था तथा सभा से इसें मंजूर करवा लिया जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं किया गया बारम्बार इसकी अवधि समाप्त होती गयी। 12वीं लोक सभा के गठन के तुरन्त बाद सरकार अपने पहले सत्र में इस विधान को लाने का प्रयास कर सकती थी। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। 6 सप्ताह बाद इसकी अवधि व्ययगत हो गयी। पुनः उन्होंने चौथी बार वहीं अध्यादेश जारी किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री राधाकृष्णन जी हम इस बात की चर्चा नहीं कर रहे हैं कि अध्यादेश किस प्रकार लाया गया। हम तो वित्त विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : इस सिद्धान्त पर मैं वित्त (संशोधन) विधेयक का विरोध करता हूं। पुनः मैं कर प्रस्तावों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। कुल मिलाकर हमारे जीवनयापन पर खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं की कीमते बढ़ती जा रही हैं। हमारे देश के लोग विदेशों में भी जाते हैं। अधिकाशतः लोग रोजगार के लिए खाड़ी के देशों में जाते हैं। वहां जाने के लिए उनसे 500/- अथवा 750 रुपए की अदायगी की मांग करना उन्हें दण्डित करना ही होगा। इस प्रकार सरकार उन लोगों को दण्डित कर रही है जो रोजगार के लिए अन्य देशों में अर्थात् संयुक्त अरब अमीरात या सऊदी अरब या किसी अन्य खाड़ी देश में जा रहे है। महोदय मेरे ही राज्य से रोजगार की उम्मीद में हजारों लोग विदेश अर्थात् इन देशों को जा रहे हैं। अब उनकी यात्रा सुविधा में काफी कटौती कर दी गई है। इस प्रस्ताव का उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। वर्तमान विधेयक का विरोध करने का मेरा यह दूसरा कारण है।

श्री यशवंत सिन्हा : अध्यक्ष महोदय मैं उन माननीय सदस्यों का अत्यन्त आभारी हूं जिन्होंने इस चर्चा में भाग लिया मैं माननीय सदस्य श्री वारकला राधाकृष्णन के इस मत से पूर्णतः सहमत हूं कि यह अध्यादेश करो में वृद्धि करने का एक अत्यन्त अवांछनीय तरीका है। अध्यादेश के माध्यम से करों में वृद्धि करना किसी भी सरकार की नीति नहीं हो सकती। निश्चित रूप से यह वर्तमान सरकार की नीति भी नहीं हे। विगत कुछ महीनों में देश बड़ी अपवादात्मक परिस्थितियों से गुजरा है। मैं यहां अपने पूर्ववर्ती श्री पी॰ चिदम्बरम के लिए बोल रहा हूं जो इस समय सभा में उपस्थित नहीं हैं। सामान्यतया वह इस विधेयक को समर्थन ही करते।

मेरा मुद्दा यह है कि पांचवें वेतन आयोग का निर्णय सब जानते थे जिस बात का पूर्व अनुमान नहीं लगाया गया था वह तत्कालीन संयुक्त मोर्चा सरकार द्वारा लिया गया उक्त निर्णय था जिससे राजकोष पर लगभग 7000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ा और इसी वजह से तत्कालीन वित्त मंत्री के लिए लक्ष्य की पूर्ति करना असम्भव हो गया और उन्होंने सरकार के समक्ष यह प्रस्ताव रखा कि इस संशोधन के माध्यम से 2 प्रतिशत के अतिरिक्त सीमा शुल्क जो 1996 के बजट में लगाया गया था को बढ़ाकर 5 प्रतिशत कर दिया जाए तब आम तौर पर उन्होंने इसे गत वर्ष ही संसद के शीतकालीन सत्र से प्रस्तुत कर दिया होता। लेकिन देश में क्या राजनीतिक घटनाएं हुई उससे हम सब अवगत हैं शीतकालीन सत्र नहीं बुलाया गया या फिर कहें कि शीतकालीन सत्र बहुत थोड़े समय के लिए बुलाया गया और इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष नहीं रखा जा सका। उसके पश्चात् आम चुनाव हुए। नई सरकार का गठन हुआ। सभा को इस तथ्य की जानकारी है कि इस वर्ष मार्च के अन्त में हमने बहुत अल्पकालीन सत्र बुलाया था। सरकार को विश्वास मत हासिल करना था और अन्तरिम बजट भी पारित किया जाना था। ऐसी बात नहीं थी कि हम अध्यादेश लाने का प्रयास नहीं कर रहे थे। मुझे याद है कि मेरे मंत्रालय से ही दो अध्यादेश लाए जाने थे एक यही अध्यादेश और दूसरा आय कर (संशोधन) अध्यादेश। मैने आय कर (संशोधन) अध्यादेश सदन के समक्ष रखा और सभा ने मार्च के सत्र में ही इसे पारित कर दिया था। इस प्रकार हमने पूरा प्रयास किया कि हमें इस पर चर्चा करने का

[श्री यशवंत सिन्हा]

समय मिले। हमारा इसे सभा में लाने से बचने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन हमें समय ही नहीं मिल पाया। और तब तक इस अध्यादेश की अवधि अप्रैल में समाप्त हो रही थी। हमें इसे पुनः प्रख्यापित करना पड़ा। इसमें काफी राजस्व अन्तर्गस्त है इसीलिए इसमें विलम्ब हुआ। इसे इस वर्ष के बजट सत्र के प्रथम भाग में पेश किया गया और आपने इस स्थायी समिति को भेजने का निर्णय लिया। स्थायी समिति ने इस पर विचार किया और स्थायी समिति की रिपोर्ट सभा के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है और अब अध्यादेश विधेयक के रूप में पारित किए जाने के लिए सभा के समक्ष है अतः राजकोष पर वेतन आयोग के निर्णय से उत्पन्न बोझ का पूर्वानुमान नहीं लगाया जा सका था।

यह मुद्दा भी उठाया गया था कि इसे कब समाप्त किया जाएगा। मैं सभा को विश्वास में लेकर यह कहना चाहूंगा कि मेरे पूर्ववर्ती मंत्री ने 1996 के वित्त विधेयक में 2 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाया था और उन्होंने यह कहा था कि यह अतिरिक्त 2 प्रतिशत शुल्क 31 मार्च, 1999 को स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। 1996 के विधेयक में उन्होंने यही बात कही थी जिसे लोक सभा ने वित्त अधिनियम, 1996 के रूप में स्वीकार किया था। जब 1997 में यह संशोधन पेश किया गया तो उक्त उपबन्ध में कोई परिवर्तन नहीं किया गया था मैं सभा को विश्वास में लेकर आज यह घोषणा करना चाहता हूं कि जहां तक 5 प्रतिशत अतिरिक्त सीमा शुल्क का सम्बन्ध है मेरा इस उपबन्ध में परिवर्तन करने का कोई इरादा नहीं है जिसकी अवधि 31 मार्च, 1999 को स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। वर्ष 1999 कि यह अब कुछ ही महीनों की बात है। हमने वेतन आयोग के निर्णय और पिछले बजट में पिछली सरकार के निर्णय के बोझ को भी वहन कर लिया है। हम इसका समायोजन इस वर्ष के बजट में कर रहे हैं। और मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हमारा इरादा आयात पर कराधान लगाकर देश पर बोझ डालने तथा इसे 31 मार्च, 1999 के बाद भी जारी रखने का नहीं है।

अलगे वर्ष का बजट पेश किए जाने के समय इस शुल्क की अवधि 31 मार्च 1999 को समाप्त मानी जाएगी। नये वित्त विधेयक में अन्य उपबन्ध किए जाएगें और वह इस पर निर्भर नहीं करेगा।

जहां तक व्यय में कटौती करने का सवाल है मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने यथासम्भव सभी कदम उठाए हैं। मैं इस बात का श्रेय पिछली सरकार को देना चाहूंगा कि लगभग 14000 करोड़ रुपए से 18000 करोड़ रुपए के भारी बोझ के बावजूद जो पिछली सरकारों के निर्णय के परिणामस्वरूप पड़ा था, बजट के आंकड़ों में व्यय में वृद्धि केवल 3000 करोड़ रुपए के आसपास ही थी। इस उपलब्धि का श्रेय उन्हें जाता है मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहूंगा कि हम सरकारी खर्च पर यथासम्भव कड़ी निगरानी रखेंगे। हम सरकारी व्यय को बजट के आंकड़ों के पार नहीं जाने देंगे मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस वर्ष व्यय में किफायत करके और बेहतर कार्य करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक को पारित किए जाने की सिफारिश करता हूं।

श्री टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : इस विधेयक पर सहमति देने से पहले में माननीय मंत्री महोदय से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। उन्होंने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया कि विधेयक सीमा शुल्क के रूप में 2 प्रतिशत से 5 प्रतिशत तक कर लगाने के बजाए, इस कराधान को अन्य सभी मदों पर वितरित क्यों न कर दिया जाए ताकि इसका बोझ कतिपय मदों पर ही न पड़े।

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, एक मुद्दा यहां मूल्यों में वृद्धि के बारे में उठाया गया था। मैंने इस बारे में चर्चा नहीं की क्योंकि हम इस बारे में चर्चा किसी अन्य अवसर पर करेंगे। मैं केवल एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि फल और सब्जियों का आयात नहीं किया जा रहा है। इसलिए सीमा शुल्क के कारण इनके मूल्यों में वृद्धि नहीं हुई है। कतिपय मदों को इससे अलग रखा गया है। पिछली सरकार की यह भावना थी और हमारी भी यही भावना है कि यदि हम कच्चे तेल जैसी कतिपय मदों पर पूरा शुल्क लगा दें तो इसका व्यापक प्रभाव पड़ेगा।

सामान्य तथा जिन वस्तुओं पर शुल्क नहीं लगता वे अत्यावश्यक मदें होती है और इनकी देश में कमी है। इसलिए मेरा माननीय सदस्य से यह निवेदन है कि यदि हम सभी मदों पर इस शुल्क को लगा दे तो जहां तक हमारी अर्थव्यवस्था का सम्बन्ध है कुछ समय बाद इसके घातक प्रभाव होंगे। यही कारण है कि इसमें वृद्धि नहीं की गई है। मेरा माननीय सदस्य से अनुरोध है कि वे अपना प्रस्ताव वापस लेंगे और इस विधेयक को पारित किया जाए?

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : मुझे पुनः स्थिति स्पष्ट करने दें। मैं पूर्णतः सहमत हूं कि यह कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में नहीं किया जा सकता है। अन्य मदों जैसे चीनी जिन पर शून्य कर था हाल ही में सरकार ने कुछ कर और अन्य शुल्क लगाए हैं मैं अपना संकल्प वापस लेने से पूर्व एक अनुरोध कर रहा हूं कि इन वस्तुओं पर कम कर लगाया जाए और माननीय वित्त मंत्री उन मदों पर विचार कर सकते हैं जो भविष्य में स्वदेशी उत्पादन के मार्ग में आते हैं।

इसके साथ अब मैं अपना संकल्प वापस लेता हूं और विधेयक का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या सभा डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी द्वारा पेश किया गया सांविधिक संकल्प वापस लेने की अनुमति देती है।

संकल्प, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है:

> "कि वित्त अधिनियम, 1979 और वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 1996 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अध्यक्ष महोदय : अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 से 4 विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 2 से 4 विधेयक में जोड़ दिए गए

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1 अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री यशवंत सिन्हा : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

अपराह्न 3.53 बजे

आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश का निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और आवश्यक वस्तु (संशोधन) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मद संख्या 25 और 26 लेगी।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापतनम) : महोदय, क्या मैं जान सकता हूं कि इस विषय से संबंधित मंत्री कौन है ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : महोदय, पहले उन्हें अपना भाषण शुरू करने दे...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : अध्यक्ष महोदय, विभाग के मंत्री तो उपस्थित नहीं हैं, वे कैसे अपने विधेयक को पेश करेंगे?

[अनुवाद]

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या मैं पूछ सकता हूं इस विषय से संबंधित मंत्री कौन है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी को बुलाया जाए

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : वे आ रहे हैं, इस बीच आप अपना भाषण शुरू कर सकते हैं।

(व्यवधान)

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : यह एक व्यवस्था का प्रश्न बन जाएगा। जब तक मंत्री यहां नहीं आ जाते, मैं अपना भाषण शुरू नहीं कर सकता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, इस विधेयक का संचालन कौन कर रहा है? यदि कोई अन्य मंत्री इस विधेयक का प्रभारी है तो वे अपना भाषण शुरू कर सकते हैं संबंधित मंत्री के यहां उपस्थिति न होने पर भाषण शुरू करने का क्या तुक है?

[हिन्दी]

श्री पी॰ शिव शंकर (तेनाली) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय की अनुपस्थिति में माननीय सदस्य क्या बोलेंगे और कैसे अपने विधेयक को प्रस्तुत करेंगे।

[अनुवाद]

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : मंत्री महोदय के सभा में उपस्थित न होने के कारण कार्यवाही रूक गई है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : मंत्री महोदय आ रहे है। आप प्रारंभ तो कीजिए।

अध्यक्ष महोदय : वे आ रहे हैं।

(व्यवधान)

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : मंत्री महोदय यहां आएं या श्री नीतीश कुमार इस मंत्रालय का भी अतिरिक्त कार्यभार संभाले ... *(व्यवधान)*

श्री नीतीश कुमार : महोदय पहले वे अपना संकल्प तो पेश करें। यह सामूहिक उत्तरदायित्व का मामला है। ...*(व्यवधान)*

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : क्या वे अतिरिक्त कार्यभार संभाल रहे हैं? ...*(व्यवधान)* यह एक महत्वपूर्ण विधेयक है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री रेड्डी अब आप प्रारंभ कर सकते हैं। वे आ रहे हैं। उन्हें पहले ही संदेश भेजा जा चुका है।

(व्यवधान)

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : उन्हें आने दो फिर हम प्रारंभ करेंगे ...*(व्यवधान)* हमें इस पर गंभीर आपत्ति है। यदि मंत्री जी यहां उपस्थित न हुए तो मैं अपना संकल्प पेश नही करूंगा।

श्री पी॰ शिवशंकर : यह सभा का अनादर है कि मंत्री जी यहां उपस्थित नहीं हैं। सामूहिक उत्तरदायित्व एक अलग बात है हम यह कह रहे हैं कि इस विधेयक का प्रभारी मंत्री यहां अवश्य उपस्थित हो ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा) : मेरे साथी खाद्य मंत्री श्री बरनाला जी यहां उपस्थित थे। चूंकि पहले विधेयक को पारित करने में अधिक समय लगा उन्होंने मुझे कहा कि वे कोई सभा के लिए बाहर जा रहे हैं। किंतु हम बहुत कार्यकुशल निकले कि हमने वित्त विधेयक को बहुत शीघ्रता से पारित कर दिया। अब हमने उन्हें संदेश भेजा कि वे किसी भी क्षण यहां आ जाएंगे। मेरा सुझाव है कि इस बीच हमें इस विषय पर आगे बढना चाहिए ...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ शिवशंकर : वित्त मंत्री जी आपका स्पष्टीकरण कितना भी वैद्य क्यों न हो किंतु उनकी अनुपस्थित अक्षम्य है ...*(व्यवधान)* उन्हें विलम्ब से आने के लिए सभा से क्षमायाचना करनी चाहिए। ..*(व्यवधान)* अन्य कोई रास्ता नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय को निर्देश दिए जाए कि वे समय पर आया करें।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा खाद्य तथा उपभोक्ता मामलों के मंत्री (सरदार सुरजीत सिंह बरनाला) : महोदय, मुझे खेद है ..*(व्यवधान)*

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

> "कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 25 अप्रैल, 1998 को प्रख्यापित आवश्यक वस्तु (संशोधन) अध्यादेश 1998 (1998 का संख्याक 13) का निरनुमोदन करती है।"

श्री बरनाला ने इस सर्वाधिक महत्वपूर्ण विधेयक को नया जीवन देने के लिए जो दर्शन प्रयोजन और विचार अपनाया है वह निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। वस्तुतः यह अधिनियम मूलतः 1939 में बनाया और 1946 और 1955 में इसमें संशोधन किए गए। और 1981 के अधिनियम ने देश के व्यापारी समुदाय के लिए अनेक समस्याएं पैदा की। मैं यह कहूंगा कि ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें देश के कई राज्यों में अनेक सरकारी अधिकारियों और राजनीतिक नेताओं ने इस अधिनियम का दुरूपयोग किया है।

यदि कोई विशेष अधिकारी किसी विशेष व्यापारी के प्रति पूर्वाग्रह ग्रस्त था या कोई राजनीतिक नेता किसी व्यापारी को दंडित करना चाहता था तो वे तत्काल उस व्यापारी के प्रतिष्ठान पर छापा मरवाते थे और उसे जेल भिजवा देते थे तथा वे उसे भारी कठिनाई में डाल देते थे।

इस विधेयक में एक दोष है जो सबसे महत्वपूर्ण है तथा माननीय मंत्री को इसे ध्यान में रखना होगा। इस विधेयक में इस दोष को दूर नहीं किया गया है हालांकि विधेयक में आधुनिक विचारों के अनुसार संशोधन किया जा रहा है। दोष यह है कि यदि सरकारी एजेंसियां या अधिकारी किसी व्यापारी के पास कुछ आवश्यक वस्तुएं पाते हैं तो वे सीधे उसके विरुद्ध अभियोग चलाते है। उसे जेल भेजते है और उसके विरुद्ध मामला दर्ज करते है तथा वे व्यापारी को न्यायालय में अपनी निर्दोषता सिद्ध करने के लिए कहते हैं। दूसरे शब्दों में यदि 'क' 'ख' को नापसन्द करता है तो 'क' उसके विरुद्ध शिकायत लिखेगा और यह कहते हुए अभियोजन चलाएगा कि 'ख' के घर में कुछ आवश्यक वस्तुए पाई गई हैं। उसे जेल भेंजेगा और उसके विरुद्ध मामला दर्ज करेगा।

उस 'ख' को अपने निर्दोषी होने को प्रमाणित करना होगा कि वह इन वस्तुओं को अवैधानिक ढ़ंग से नहीं रखे हुए है। इन असहनीय कपजोरियों और त्रुटियों के कारण भारत के इतिहास में अनेक मामले हैं जिनमें देश के नागरिकों के लोकतांत्रिक संरक्षण को बहुत बड़ा झटका लगा है और बहुत से बईमान राजनैतिक नेताओं और सरकारी नौकरशाहों को निर्दोष लोगों के लिए गम्भीर समस्याएं पैदा करने का मौका दिया है। मैं इस बात की प्रशंसा करता हूं कि इस विधेयक मे यह प्रावधान है कि विशेष न्यायालयों और विशेष आदेशों के जरिए इन लम्बित मामलों का तत्काल निपटान किया जाना चाहिए और इन्हें लटकाए नहीं रखा जाना चाहिए।

इस विधेयक में लोगों द्वारा शक्तियों के दुरूपयोग के प्रति भी प्रावधान किया गया है इसमें आवश्यक वस्तुओं को आसानी से उपलब्ध कराए जाने की भी व्यवस्था है इसमें विभिन्न व्यापारियों की कठिनाईयों को भी दूर करने की भी बात कही गई है। लेकिन इस विधेयक से अधिनियम में वास्तविक सुधार करने की बात नहीं की गई है जो कि 1981 से अप्रभावी रहे इस आवश्यक वस्तु अधिनियम की सबसे बड़ी त्रुटि रही है अब लगभग 27 वर्ष हो गए हैं। अनेक निर्दोश व्यक्तियों को जो कि वास्तव में भले लोग हैं उन्हें विभिन्न राज्यों में विभिन्न नौकरशाहों और राजनैतिक नेताओं द्वारा परेशान किया जाता रहा है। इस मुददे का बाद में स्पष्टीकरण दिया जाना चाहिए। आज संभव नही है क्योंकि अध्यादेश जारी कर दिया गया है। मंत्री महोदय और सरकार को इसे नोट कर लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इस प्रकार का संशोधन लाया जाए। इसमें ऐसा प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि निर्दोष व्यक्तियों पर अभिभोग न चलाया जाए और वे कह सकें कि अमुक सम्पति उनकी नहीं है, वे बेकसूर है कि वे आवश्यक वस्तुएं इनके पास हैं और उन्होंने उन्हें वैद्यानिक रूप से प्राप्त किया है आदि। हमारे एक बडे न्याय के जानकार श्री शिव शंकर जी भी यह सब जानते हैं। लोगों ने अनेक बार इसका दुरूपयोग किया है।

मुझे पुन कुछ सदस्यों के बोलने के बाद अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। मेरा विचार है कि इस विधेयक को स्वीकृति दी जा सकती है बशर्ते कि बरनालाजी चौकस होकर अत्यधिक व्यवहारिक

और स्वीकारात्मक ढंग से हम सभी को बताएं कि वे किस प्रकार उन त्रुटियों को दूर करने के लिए संशोधन करने जा रहे हैं जिनसे निर्दोष व्यक्तियों को दंड मिलने की संभावना हो।

सरदार सुरजीत सिंह बरनाला : महोदय मैं इस विधेयक को सोमवार को प्रस्तुत करने के लिए आपकी सहमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस विधेयक को सोमवार को प्रस्तुत करने के संबंध में सभा की क्या राय है? क्या इसे सोमवार को प्रस्तुत किया जा सकता है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

अध्यक्ष महोदय : तब इसे सोमवार को प्रस्तुत किया जा सकता है।

अपराह्न 4.00 बजे

लाटरी (विनियमन) अध्यादेश के निरनुमोदन किये जाने के बारे में सांविधिक संकल्प और लाटरी (विनियमन) विधेयक

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा में अब मद संख्या 27 और 28 को लिया जाएगा जो कि इस प्रकार है लाटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1998 के निरनुमोदन संबंधी सांविधिक संकल्प और लाटरी (विनियमन) विधेयक, 1998 के बारे में है।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी (विशाखापट्टनम) : मैं प्रस्ताव करता हूं।

> "कि यह सभा 23 अप्रैल, 1998 को राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित लाटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1998 (1998 का संख्यांक 6) का निरनुमोदन करती है।"

महोदय देश में कुछ लाटरियों के संचालन, उनकी बुराईयां और इनसे पड़ने वाले समाज के कमजोर वर्गों पर प्रभावों के बारे में सरकार काफी समय से संवीक्षा कर रही है। जानी मानी एक अंक की और तत्काल निकलने वाली लॉटरियों के निरन्तर चलन और उनसे पैदा किए जाने वाले प्रलोभनों के परिणाम स्वरूप अनेक परिवार विशेषकर गरीबों, दैनिक मजदूरों और कम आय वर्गों के परिवार तबाह हुए हैं। वास्तव में यह एक बहस का मुद्दा हो सकता है कि एक तरफ हम लॉटरी प्रणाली को सही ठहराते हुए वैद्यानिक रूप से इसकी अनुमति दे जिसमें निजी लोगों को शामिल न किया जाए ऐसे में यदि सरकार पूरी रुचि लेती है और पूरी सावधानी बरतती है और निजी व्यक्तियों को इससे अलग रखकर व्यवस्थित ढंग से इनका संचालन करती है तो निश्चित रूप से सरकार से राजकोष में राजस्व बढ़ेगा। निश्चित रूप से इसका प्रयोग गरीबी उन्मूलन और बहुत से समाज के कल्याण के कार्यों के लिए किया जाएगा। यह एक तर्क है।

दूसरा तर्क यह है कि बहुत से लोग महसूस करते है कि यह जुआ है। यदि इस प्रकार की लाटरी प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाता है तो यह बहुत से गरीब लोगों को गलत रास्ता अपनाने को अग्रसर कर सकती है और उन्हें अपनी कड़ी मेहनत की कमाई से हाथ धोना पड़ सकता है। वह अपना धन लगाने को लालायित रहते है। वे इन लाटरियों पर दाव लगा देते हैं। परिणामस्वरूप बहुत से गरीब परिवार हैं जो कि बिल्कुल बरबाद हो गए है। अतः दोनों तरह से तर्क दिए जाते है।

लेकिन केवल उच्चतम न्यायालय के निर्णय और अनेक त्रुटियों के ध्यान में आने के बाद ही सरकार ने अनेक वर्षों के बाद महसूस किया कि एक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए। जब स्वर्गीय श्री गुलजारी लाल नंदा गृह मंत्री थे तब उन्होंने इसे समाप्त करने के लिए विधेयक पेश किया था विभिन्न औपचारिकताओं के बाद अनेक वर्षों के बाद सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए तैयार हुई है। इससे पहले विभिन्न विचार, टिप्पणियां और सुझाव उच्चतम न्यायालय के सम्मुख रखे गए। अब सरकार इन विचारों को कार्यान्वित करने को तैयार है। इस संबंध में केन्द्रीय सरकार के निर्देशों के जारी किए जाने और हाल ही में माननीय उच्चतम न्यायालय के निदेशों के जारी किए जाने के बाद भी इस बुराई का पूर्णता अंत नहीं हुआ है। यह महसूस किया जा रहा है कि गरीब जनता के हितों की रक्षा के लिए लाटरी संचालन को नियमित बनाने के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाना आवश्यक है।

जैसा कि मैने कहा है कि निम्नलिखित तर्क दोनों हालात में दिए जा सकते है:

> मामले में तात्कालिक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए और चूंकि संसद का सत्र नहीं था एक अध्यादेश अर्थात् लाटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1997 (1997 का अध्यादेश 20) 1 अक्टूबर, 1997 को भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रख्यापित किया गया था। उक्त अध्यादेश के उपबंधों को निरंतर प्रभावी बनाने के लिए लाटरी...

लेकिन जैसा कि मेरे सम्माननीय मित्र श्री राधाकृष्णन ने कहा कि इसकी क्या आवश्यकता थी? जैसा कि मैने पहले भी कहा है महाभारत में अर्जुन ने अपने अस्त्रों का प्रयोग बहुत ही किफायत से किया था, आप भी अध्यादेश का प्रयोग बहुत ही सावधानीपूर्वक किया करें। अक्तूबर 1997 में अध्यादेश जारी करने की क्या आवश्यकता थी यह स्वागत योग्य कदम नहीं था भविष्य में सरकार को यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि अध्यादेश तभी लाया जाना चाहिए जबकि इनकी अत्यधिक आवश्यकता हो।

अन्यथा उन्हें इस प्रकार का प्रयास नहीं करना चाहिए कि मध्याह्न भोजन किए बिना 24 घंटे लगातार बैठ कर और सबको विश्वास में लेकर और सबकी राय लेकर सभी विधेयक इस तरह पारित करवा

[डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी]

दिए जाएं यह हमेशा संभव है। पिछले दिनों उन्होंने क्या किया? इस समय कोई प्रयास किए बिना यह संभव नहीं है। पहले आप अध्यादेश लाते हैं और फिर बाद में सदन मे विचार-विमर्श और पारित कराने के लिए विधेयक लाते हैं।

अब मैं प्रस्तुत विधेयक में संशोधन संख्या 4 पेश करता हूं। मेरे संशोधन का मुख्य उद्देश्य यह है कि लाटरियों का ड्रा सप्ताह में एक बार के बजाय महीने में एक बार किया जाना चाहिए। यह सप्ताह में एक बार होता है। पहले ही एक तर्क दिया जा चुका है कि यदि लाटरियों को प्रोत्साहन दिया जाता है तो गरीब व्यक्तियों के परिवारों की आय में कमी आयेगी। यदि लाटरियों का ड्रा दैनिक रूप से निकलता है तो यह और भी ज्यादा नुकसानदेह होगा। इसीलिए महीने में एक बार ड्रा निकालने के लिए मैं एक संशोधन पेश कर रहा हूं। अन्यथा पूर्ववर्ती स्थिति बनी रहेगी क्योंकि गरीब आदमी एक महीने में चार बार धन खर्च करते हैं तो इसका परिणाम यह होगा कि अनेक परिवार पहले की तरह प्रभावित होते रहेंगे।

इसके पश्चात् संशोधन संख्या 5 है। बम्पर ड्रा की संख्या भी एक वर्ष में छह के बजाय तीन की जानी चाहिए। यदि कई बम्पर ड्रा होंगे और लाटरी टिकट अत्यधिक मंहगें और ज्यादा आकर्षक होंगे तो इसके परिणामस्वरूप बम्बर ड्रा के लिए अधिक संख्या में लोग लाटरी टिकट खरीदेंगे। लाटरी का टिकट खरीदते समय लोग यह नहीं समझते है कि वे अपने परिवार को ताक पर रखकर पैसों को बेकार खर्च कर रहे है। यह एक प्रकार की बीमारी है। प्रकृति के विधान अर्थात् भगवान की सृष्टि में मानव जीवन में ऐसी कई बुराईयां होती है जिसके प्रति व्यक्ति का रूझान या आकर्षण होता है। जिसका परिणाम अन्ततः कुण्ठा ही होता है। उसका रूझान हमेशा कठिनाई से कमाई गई धनराशि को लाटरी में लगाने का रहता है।

यद्यपि मैं इस मुद्दे पर बहस कर रहा हूं परन्तु मेरे दृष्टिकोण से कल्याणकारी गतिविधियों पर खर्च करने हेतु और अधिक धनराशियों को इकट्ठा करने की अभिप्रेरणा से हमें इस बात पर सहमत होगा परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह वांछनीय नहीं है कि बम्पर लाटरी अत्यधिक संख्या में हो। इसीलिए में इसे घटाकर एक वर्ष में तीन बार करने के लिए एक संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

मैं एक और संशोधन भी प्रस्तुत करना चाहता हूं जोकि दो वर्ष की दण्ड अवधि के सम्बन्ध में है। यह पर्याप्त नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि हम दोषी को सजा देने के पक्ष में नहीं हैं परन्तु ऐसे लोग जो अवैध तरीके अपनाकर सांविधिक नियमों का उल्लंघन करते हुए गरीब और भोले भाले लोगों को धोखा देते है ऐसे लोगों के मस्तिष्क में भय उत्पन्न किया जाना चाहिए। इसीलिए दण्ड की अवधि को दो वर्षों से बढ़ाकर पांच वर्ष किया जाना चाहिए।

अध्यादेश पहले जारी किया जा चुका है और उसके पीछे सरकार का विचार प्रणाली को संशोधित और तर्कसंगत बनाना है जिससे वर्तमान प्रणाली में व्याप्त गलत प्रथाओं से प्रणाली को बचाया जा सके और इसे पूरे देश में सभी राज्यों में लागू किया जा सके। प्रस्तावित विधेयक में इन तीन संशोधनों को प्रस्तुत करने के साथ ही मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री इस विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करें।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। आपको याद होगा कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में आपने इस बिल के सम्बन्ध में सभी दलों के नेताओं से राय जाननी चाही थी और यह राय बनी थी कि हम लाटरी के सख्त खिलाफ हैं, लेकिन फिर इस बिल को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। क्या हम लोग जुआ खिलाने के लिए यहां बैठे हैं? जब एक राय बनी थी कि लाटरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए तब एकाएक कैसे यह बात आ गई? युनैनीमस राय थी, यह बहुत दुखद है कि संसद कुछ और चाहती है, देश की जनता कुछ और चाहती है और जबर्दस्ती लाटरी की टिकट हमारी छाती पर थोपी जा रही है। आपको इसके लिए सारे मुख्यमंत्रियों की मीटिंग बुलानी चाहिए थी, सारे दलों के नेताओं को बुलाकर राय ली जानी चाहिए थी।

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक) : गृह मंत्रालय की स्थाई समिति ने प्रस्ताव भेजा है, वह युनैनीमस भेजा है, उसमें लालू प्रसाद जी की भावनाएं भी हैं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : उसमें यह है कि पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। कुछ लोगों का इंटरैस्ट है कि तीन अंको वाली चले।

श्री विजय गोयल : उन्होंने कहा कि पूरी समिति की राय है कि सभी प्रकार की लाटरियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया दिया जाए, किंतु इस बीच यह आर्डिनेस लैप्स न हो जाए और लाटरियां दुबारा न खुल जाएं इसलिए इसको यहां लाया गया है।

श्री दिग्विजय सिंह (बांका) : स्टेडिंग कमेंटी की बैठक पर यहां बहस नहीं हो सकती वहां क्या फैसला हुआ, उसके बारे में सदन में चर्चा नहीं हो सकती।

श्री विजय गोयल : सिंगल डिजिट लाटरी जो कि महामारी है, यह उसके लिए है। हम भी चाहते है कि सभी प्रकार की लाटरियां बंद होनी चाहिए।

श्री दिग्विजय सिंह : यह बीमारी है, हर प्रकार की लाटरी बंद होनी चाहिए। इस पर हाउस युनैनीमस है कि किसी भी डिजिट की लाटरी हो, उस पर प्रतिबंध होना चाहिए।

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री लालकृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष महोदय यद्यपि सभा के सभी वर्गों द्वारा संयुक्त रूप से पीड़ा एवं क्रोध के रूप में प्रतिक्रिया व्यक्त की गई थी, मैं इस बात को समझता हूं और इसका स्वागत करता हूं। मुझे ज्ञात है कि अध्यादेश और विधेयक पर विचार करने वाली स्थायी समिति में और तत्पश्चात् आपके द्वारा बुलाई गई बैठक में जिसमें एक निर्णय लिया गया था, सरकार ने इस तरफ ध्यान

दिलाया था कि यदि एक तत्काल निर्णय नहीं किया गया तो यह अध्यादेश व्याप्त हो जाएगा। इसीलिए उपस्थित सभी सदस्य इस बात से सहमत थे कि वे यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि इसके व्यपगत होने के पहले स्थायी समिति इस पर विचार-विमर्श कर एक निर्णय पर पहुंचे। इस कार्य को अत्यधिक शीघ्रतापूर्वक निपटाने के लिए मैं स्थायी समिति को बधाई देता हूं। अभी आप सब लोगों द्वारा प्रतिवेदन के अन्तिम अनुच्छेद को व्यक्त किया गया। मैं इसे पढ़ना चाहूंगा। इस प्रतिवेदन को आज सुबह सभापटल पर रखा गया। इसमें उल्लिखित है :

> "इस मामले के सभी पहलुओं पर विचार करने के पश्चात् समिति सिफारिश करती है कि पहले कदम के रूप में वर्तमान विधेयक को आगे के अनुच्छेदों में सुझाए गए कुछ संशोधन के साथ पारित किया जाना चाहिए। इसके साथ-साथ समिति में पूरे देश में सभी प्रकार की लाटरियों को बन्द किए जाने पर व्यक्त किए गए सकारात्मक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए समिति सरकार से पुरजोर सिफारिश करती है कि वह सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से परामर्श कर शीघ्रातिशीघ्र देश में लाटरी के व्यवसाय पर पूर्णतः निषेध को आरोपित करने के लिए सिफारिश किए गए विधान के प्रभावी कार्यान्वयन की संभाव्यता को ध्यान में रखकर एक व्यापक विधेयक लायें।"

मैं कहना चाहूंगा कि यह एक महत्वपूर्ण सिफारिश है जिसे सरकार स्वीकार करना चाहती है। इसके साथ ही, पहले कदम के रूप में इसमें विधेयक को कतिपय संशोधनों के साथ न कि वर्तमान स्वरूप में पारित करने के लिए कहा गया है। आपकी अनुमति से मैं पहले ही स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को समाहित कर चुका हूं जिससे कि हम स्थायी समिति की सर्वसम्मत सिफारिश पूरी तरह स्वीकार कर सकें। सरकार ने उन्हें स्वीकार किया और उस आधार पर मैं इस दिशा में कदम उठा रहा हूं जिसका स्थायी समिति ने इस सामाजिक बुराई की समाप्त करने की दिशा में पहला कदम के रूप में उल्लेख किया है।

श्री दिग्विजय सिंह (बांका) : क्या आप कोई समय सीमा बताएंगे जिसके भीतर यह व्यापक विधेयक लाया जाएगा?

श्री लालकृष्ण आडवाणी : जैसाकि समिति ने सिफारिश की है हमें राज्य सरकारों से परामर्श करना होगा और फिर इस दिशा में आगे बढना होगा।

लाटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1998 का स्थान लेने के लिए 27 मई, 1998 को सरकार द्वारा लाटरी (विनियमन) विधेयक, 1998 को पेश किया गया था। विधेयक को पेश किए जाने के बाद इसे गृह मंत्रालय की विभागीय संसदीय समिति को विचार करने और प्रतिवेदन देने के लिए सौंप दिया गया था। समिति का प्रतिवेदन सभापटल पर रख दिया गया है और अभी मैंने उसका एक अनुच्छेद पढ़ा था।

इस विधेयक का भी एक इतिहास है और यह अनुठा और खास भी है। 17 मई, 1997 को अर्थात् पिछले वर्ष तत्कालीन प्रधान मंत्री श्री आई॰के॰गुजराल को 124 संसद सदस्यों द्वारा दलगत भावना से ऊपर उठकर एक ज्ञापन दिया गया था जिसमें यह मांग की गई थी कि केन्द्र सरकार द्वारा लाटरी के व्यवसाय पर रोक लगायी जाए क्योंकि लाटरी भी जुएं का ही एक प्रकार है। यह भी मांग की गई थी कि पहले कदम के रूप में एक अंक वाली लाटरी को एक कार्यकारी आदेश के द्वारा तत्काल बन्द किया जाए। व्यक्तिगत रूप से मैं विश्वास करता हूं कि उसी समय यदि एक विधान रहा होता तो यह और भी बढ़िया बात होती। जैसाकि डा॰ रेड्डी ने सही कहा कि विधायिका में विधेयक को लाकर विधि का अधिनियमन किया जाना चाहिए न कि अध्यादेश के द्वारा। मैं इस बात से पूरी तरह सहमत हूं इस मामले में यदि हम अध्यादेश का अधिनियमन कहीं करते तो व्यवसाय जो कि काफी समय से बन्द है वह फिर से शुरू हो जाता और इस अल्पावधि में जबकि रोक नहीं लगी हो तो समाज के गरीब लोगों पर अत्यधिक बुरा प्रभाव पड़ता जिन्हें इससे सर्वाधिक हानि होती है मामले की तात्कालिक आवश्यकता को देखते हुए और संसद का सत्र नहीं होने के कारण पहली अक्तूबर, 1997 को लाटरी (विनियमन) अध्यादेश प्रख्यापित किया गया था और 30 दिसम्बर, 1997 को पुनः प्रख्यापित किया गया था।

जैसाकि लाटरी (द्वितीय) अध्यादेश, 1997, 5 मई, 1998 को व्यपगत हो जाएगा इसीलिए 23 अप्रैल, 1998 को राष्ट्रपति ने लाटरी (विनियमन) अध्यादेश, 1998 को प्रख्यापित किया जिसे हम विधिवत विधेयक द्वारा बदलने जा रहे हैं।

जैसाकि अधिकांश सदस्य जानते हैं, इस विधेयक की मुख्य बातें हैं।

(1) इस देश में एकल अंक की तत्काल लाटरियों के संचालन और विक्रय का प्रतिबंध करता है;

(2) यह विहित कतिपय शर्तों द्वारा अन्य प्रकार की लाटरियों के संचालन और विक्रय को विनियमित करता है;

(3) यह राज्य सरकारों को अपने अधिकार क्षेत्र में अन्य राज्यों की लाटरियों की बिक्री पर प्रतिषेध लगाने में समर्थ बनाता है।

कुछ राज्य इस मुद्दे को लेकर न्यायालय में गए है। मैं उनसे अपील करूंगा वह देश में जनता के दृष्टिकोण पर विचार करें, जो लाटरियों को जुए का एक प्रकार मानती है, और सभी से सहयोग करे जिससे कि मामलों को निपटाया जा सके।

(4) यह केन्द्र सरकार को लाटरी व्यवसाय को चलाने के लिए आवश्यक समझे गए निर्देशों को जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। मेरे प्रस्तावित संशोधन हैं :

(i) विधेयक के खण्ड 4 में एक स्पष्ट प्रावधान कि खुदरा या थोक में बेचे गए टिकटों से होने वाली आय सरकारी विधियों में जमा की जाएगी;

[श्री लालकृष्ण आडवाणी]

(ii) बम्पर ड्रा शब्द को वांछनीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त ढंग से परिभाषित किया गया है;

(iii) विधेयक का खण्ड 5 जोकि किसी राज्य में लाटरी टिकटों की बिक्री पर प्रतिबंध से सम्बन्धित है, को उपयुक्त रूप से परिवर्द्धित किया जा रहा है। जिससे सभी राज्यों द्वारा इसका एक समान प्रयोग सुनिश्चित किये जा सकें, और

(iv) विधेयक के खण्ड 7 को जोकि जुर्माने से सम्बन्धित है को उपयुक्त ढंग से परिवद्वित किया जा रहा है जिससे कि राज्य प्राधिकारियों को शामिल किया जा सके।

इन सबके अतिरिक्त विभागों से संबंधित स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और अलग-अलग प्रस्तुत किया है।

इसके साथ ही, मैं यह अनुरोध करता हूं कि लाटरी व्यापार को विनियमित करने वाले विधेयक पर यह सभा संसदीय स्थायी समिति द्वारा सुझाए गए संशोधनों के साथ विचार करे और पारित करे।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लाटरियों को विनियमित करने वाला और उससे संबंधित तथा उनके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 23 अप्रैल 1998 को प्रख्यापित लॉटरी (विनियमन) अध्यादेश 1998 का निरनुमोदन करती है।"

"कि लाटरियों को विनियमित करने और उससे संबंधित तथा अनेक आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाएं।"

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद : माननीय गृह मंत्री जी, ऑल पार्टीज तथा सभी लोग इस बात को मानते है कि लाटरी खिलाना बुरी बात है, खराब बात है। स्कूली बच्चे और बच्चियां इन कामों में लगे हुए हैं। चारों तरफ गरीब लूटे जा रहे है। गृह मंत्री जी बता रहे है, यह बात सही है कि हम सब लोग इस मामले में एकमत हैं।...*(व्यवधान)* जब यह चीज बुरी है और आर्डीनेस मर रहा है तो आप उसे जीवित क्यों करना चाहतें है? ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : अब जो बीच का पीरियड है उसमें फिर यह बिल नहीं आएगा।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद : मेरा यह कहना है कि आप इसको डेफर कीजिए। आप सब पार्टियों से राय लीजिए, इसको बढ़ावा मत दीजिए, इसके कारण से लोगों को बहुत नुकसान हो रहा है। ...*(व्यवधान)* मेरा एक सुझाव है कि अगर लाटरी खिलाना है तो आप 50,000 रुपए का टिकट शुरू करिए, फिर जो लोग इतने रुपए का टिकट खरीद सकते हैं उनके लिए आप लाटरी खोल दीजिए। इस देश में गरीब आदमी को क्यों लूटा जा रहा है? जब हम यहां से जाएंगे तो हमसे गरीब पूछेगा कि आपने हमारे लिए क्या किया, इसलिए आप उनका भी ध्यान रखिए।

श्री वासवराज पाटिल सेडाम (गुलबर्गा) : आप उनकी बात समझ नहीं पाए। यह ऑडिनैन्स लैप्स होने से लॉटरी चालू हो जाएगी। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी॰ शिव शंकर (तेनाली) : मैं माननीय गृह मंत्री जी का यह अभिमत देने के लिए धन्यवाद करता हूं कि आखिरकार वे लाटरियों पर प्रतिबंध लगाना चाहते है।

परन्तु वे स्थायी समिति की सिफारिशों के उसी आखिरी पैराग्राफ पर निर्भर है जो उन्होंने पढ़ा है। यह दुख की बात है कि स्थायी समिति को केवल इसीलिए ऐसी सिफारिश करनी पड़े क्योंकि वे ऐसा महसूस करते हैं कि इस समय जहां तक अध्यादेश का संबंध है इसे कानून में बदल दिया जाए तथा बाद में मुख्य मंत्रियों के परामर्श से इन मामले पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया जाए। यह उन्होंने पढ़कर सुनाया था। ...*(व्यवधान)*

मैं उल्लेख की गई विवादस्पद तथा अनावश्यक बारीकियों की बात नहीं करना चाहता। मैं माननीय गृह मंत्री के ध्यान में केवल यही बात लाना चाहता हूं कि लाटरियों के संबंध में कानून चाहे भारत सरकार बनाए या राज्य सरकार यह पूरी तरह केन्द्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। यह संघ सूची में क्रय संख्या 40 पर दिया गया है जिसके अंतर्गत संसद कानून बना सकती है। राज्य का कही जिक्र ही नहीं है। यह समवर्ती सूची का भी मामला नही हैं जिसमें राज्य का भी उल्लेख किया गया हो।

इसलिए, मुख्य मंत्रियों की सलाह लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आप पर निर्भर करता है कि केन्द्र मंत्री के रूप में आप कानून बनाएं या न बनाएं। मैं मानता हूं कि शिष्टाचार के नाते आप परामर्श ले सकते हैं परन्तु यह केवल शिष्टाचार ही है कोई बाध्यता नहीं। यही पर स्थायी समिति की सिफारिशों से मेरा मतान्तर है कि उन्हें ऐसी सिफारिश नहीं करनी चाहिए। जो कानून के अनुरूप न हो। इसलिए मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप इस स्तर पर भी इन मामलों पर आगे चर्चा करने की बजाय आप उस आखिरी हिस्से पर ही सीधे पहुंचकर, जिससे आप सहमत हैं, पूरे मामले को ही क्यों नहीं छोड़ देते। ...*(व्यवधान)*

श्री विजय गोयल : यह संघ सूची में शामिल है। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन (चंडीगढ) : कृपया अनुच्छेद 302 का अध्ययन करें। ...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ शिव शंकर : मैं 40 पर की गई प्रविष्टि पढ़ता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : कृपया अनुच्छेद 302 और 303 पढ़िए। जबतक हम सभी राज्यों से परामर्श नहीं करते, हम कुछ नहीं कर सकते। यह जरूरी है। यह आवश्यक है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी॰ शिव शंकर : लाटरियां भारत सरकार राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत की गई है। ...*(व्यवधान)* समवर्ती सूची में कोई प्रविष्टि नहीं की गई है। ...*(व्यवधान)*

श्री सत्य पाल जैन : सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला दिया है। इस संबंध में हम कुछ नहीं कर सकते। राज्यों से परामर्श करना पड़ेगा यह आवश्यक है। अनुच्छेद 302 में ऐसा कहा गया है। संविधान की प्रविष्टि संख्या 34 पढ़िए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी के साथ-साथ पूरे सदन को बधाई देना चाहता हूं। यह बिल्कुल ठीक बात है कि अगर पूरे सदन के लोग एकमत नहीं होते तो आज लॉटरी का विधेयक हमारे बीच नहीं आता। मैं लालू जी की बात पर पूरा समर्थन करता हूं। पूरे देश में हर प्रकार की लॉटरी पर प्रतिबंध लगना चाहिए। आपको इसकी हिस्ट्री पता है या नहीं, मुझे नहीं मालूम। जब कमेटी की मीटिंग हो रही थी तो मैंने विभिन्न लोगों से यह पूछा कि क्या आपको पता है कि यह लॉटरी क्यों चल रही है? उन्होंने कहा कि लॉटरी चलने का एक कारण यह है कि इससे सरकार को आमदनी होती है और लोगों को रोजगार मिलता है। मैंने उन लोगों से पूछा कि क्या आपको इस तथ्य का पता है कि सरकार को इससे कितनी आमदनी होती है? अगर आप इस तथ्य को देख लें कि इससे सरकार को कितनी आमदनी होती है तो आप कहेंगे कि सारी की सारी एक्सरसाइज फिजूल की है। मैं आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। अरूणाचल प्रदेश में 304 करोड़ रुपए की लॉटरी बिकती है जबकि आमदनी एक करोड़ रुपए की है। गोआ में 312 करोड़ रुपए की लॉटरी बिकती है, आमदनी सिर्फ दो करोड़ रुपए है। हिमाचल प्रदेश में 240 करोड़ रुपए की लॉटरी बिकती है, आमदनी केवल दो करोड़ रुपए है। केरल में 11 करोड़ रुपए है। महाराष्ट्र में तीन हजार करोड़ रुपए की लॉटरी बिकती है, आमदनी सिफ 50 करोड़ रुपए और दिल्ली में 1353 करोड़ रुपए की लॉटरी बिकती थी और आमदनी सिर्फ 50 करोड़ थी, यानी आमदनी इतनी सी और बरबादी इतनी ज्यादा। मैं चुरहट लाटरी कांड, सिक्कम या भूटान लॉटरी कांड की चर्चा नहीं कर रहा। मैं सिर्फ इस बात को कह रहा हूं कि लॉटरी के कारण बहुत बरबादी होती है। मैंने लोगो से कहा आपको पता नहीं कि सिंगल डिजिट लाटरी और मल्टी डिजिट लाटरी में क्या फर्क है। मुझे तथा अन्य मैम्बरों को भी पता नहीं है कि यह फर्क क्या है?

[अनुवाद]

श्री लालू प्रसाद : हम लाटरी का काम नहीं करते। हमे इसकी कोई जानकारी नहीं है। हम गरीब लोग हैं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : यह तो लाटरी है जिसको बंद करने की आवश्यकता इसलिये पड़ी कि वर्षों से लाटरी चली आ रही थी। तब इस पर कोई इसलिये नहीं बोल रहा था क्योंकि तब लाटरी इक्का-दुक्का जगह चलती थी और इसे मल्टी डिजिट लाटरी कहा जाता था। जब से यह सिंगल डिजिट बिकनी शुरू हुई है, तब से इसका प्रभाव घर-घर के अंदर हो गया। इसमें घर के अंदर स्कूल के बच्चे, गृहणियां, बाबू लोग, दफ्तर के अंदर गैर-हाजरियां और इस तरह यह सब जगह पर बिकने लगी। मैं आपको एक चौकाने वाला आंकड़ा देता हूं कि दिल्ली की सरकार ने सबसे पहले लाटरी पर प्रतिबंध लगाया था और उससे पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने लगाया था। यहां पर श्री बोरा जी बैठे हैं, उनको मालूम है। जब दिल्ली के अंदर मल्टी डिजिट लाटरी चलती थी, तब 1988-89 में इसकी बिक्री 31 करोड़ रुपये थी, उसके अगले साल 1989-90 में यह 45 करोड़ रुपए हो गई। इसके बाद 1990-91 में यह 60 करोड़, 1991-92 में 101 करोड़, 1992-93 में 222 करोड़ अर्थात् 100 प्रतिशत से ज्यादा हो गई और 1993-94 में 222 करोड़ से बढ़कर 1393 करोड़ हो गई। लोग मुझसे मिलने आते थे और कहते कि लोग बेरोजगार हो गये हैं। मैंने पूछा कि कितने बेरोजगार हुये तो बताया गया कि चार लाख लोग बेरोजगार हो गये है। मैनें कहा कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि यदि एक आदमी 100 लाटरी बेचता है तो 400 करोड़ लोग इससे बरबाद हो जायेंगे। आज आप सिंगल डिजिट की बात करते है। जब हमने 124 सदस्यों के हस्ताक्षर कराये थे जिसमें सभी पार्टियों से सांसद थे। मैने एक बार श्री देवेगौडा जी से कहा था। जब वे कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने सिंगल डिजिट लाटरी को बंद करने का काम किया था क्योकि उसका प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया था। मैं अब भी कहता हूं कि सारी लाटरी बंद होनी चाहिये। स्टेडिंग कमेटी की यह भावना थी कि सिंगल डिजिट लाटरी 95 परसेंट और बाकी लाटरी 5 परसेंट बिकती है।

अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि वे इस सदन में लाटरी के बारे में दूसरा बिल लाना चाहते है जिसके द्वारा इस पर प्रतिबंध लगाया जायेगा। आप कहते है कि इस अध्यादेश को जल्दी लाने की क्या जरूरत थी। इस अध्यादेश को तो बहुत पहले लाना चाहिये था क्योंकि लाटरी के माफिया लोग जिस तरह से पैसा खिलाते हैं, जिस प्रकार से उनका पूरा माफिया घूमता है और जिस प्रकार से इसमें एक करोड़ की इनकम दिखाई देती है, इसमें एक करोड़ तो ऊपर से दिखाई देती है जबकि अंदर से यह चार करोड़ रुपये की इनकम है, वह लाटरी आर्गनाईजर्स को चली जाती है।

[अनुवाद]

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : आप इसका विरोध कर रहे है या समर्थन?

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : मैं तो इस बिल का समर्थन कर रहा हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया पीठासीन अधिकारी को संबोधित करें सदस्यों को नहीं। यह क्या है?

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आज सिंगल डिजिट लाटरी के बहुत दुष्परिणाम हैं। एक बार मैने लाटरी खेलने और बंद करने वालों से पूछा कि आप एक आदमी ऐसा बताईये जो सिंगल डिजिट लाटरी से अमीर बन गया हो। आपको एक भी आदमी ऐसा नहीं मिलेगा जो इस तरह से अमीर बन गया हो। इस लाटरी से बरबादी की एक दास्तान बताता हूं। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और पूछा कि लाटरी से बरबादी का कोई केस बताईये। मैंने कहा कि मेरे संगम पार्क के किसी भी घर में चले जायें तो आपको लाटरी का बरबाद किया हुआ हर घर मिलेगा।

इसलिये मैं यह कहना चाहता हूं कि आज इस बात का फैसला कर लीजिये। आज इस बात की खुशी है कि सारा सदन पार्टी से ऊपर उठकर इस बात का समर्थन करने के लिये तैयार है कि इस लाटरी पर पूर्णरूप से प्रतिबंध लगाया जाये। मैं इस बात का समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष जी, मैने माननीय गृह मंत्री जी को एक संशोधन दिया था सिंगल डिजिट लाटरी, जिसका मतलब है कि आखिरी अंक के ऊपर इनाम निकलेगा। इस बात पर लाटरी वालों ने एक और तरीका निकाल दिया है कि नम्बर वन को ए, नम्बर दो को बी, नम्बर तीन को सी में और नम्बर चार को डी में कनवर्ट कर दिया है और उसी तरह से ए,बी,सी,डी पर सिंगल डिजिट के हिसाब से लाटरी निकालना शुरू करते हैं। ऐसी लाटरी हरियाणा और दिल्ली स्टेट में शुरू नहीं हुई है। मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि :

[अनुवाद]

> "पूर्व घोषित संख्या या किसी एक अंक वाली संख्या पर ईनाम नहीं दिए जाएंगे।"

[हिन्दी]

उसके बाद यह एड करना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

> "उस लाटरी को भी बंद कीजिए जो एक अंक वाली लाटरी के समान है।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री आडवाणी जी क्या आप कुछ कहना चाहेंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवानी : कोई और बोलना चाहता है। मैं पहले ही बोल चुका हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री मोहन सिंह, क्या आप संशोधन सं॰ 'ख' प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं?

श्री मोहन सिंह : मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं।

> "कि इस विधेयक को 2 सितम्बर, 1998 तक राय जानने के लिए परिचालित किया जाए।"

[हिन्दी]

मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि यह बहुत ही आसान काम है। विजय गोयल जी के भाषण से ध्वनि यह निकली कि सिंगल डिजिट को खत्म करना चाहते है और बाकी को चलाना चाहते हैं।

श्री विजय गोयल : ऐसा नहीं है। मैं पहला आदमी हूं जो सब प्रकार की लॉटरियों पर पाबंदी चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि सिंगल डिजिट को दोबारा शुरू कराएं।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : यदि ये सबको प्रतिबंधित कराना चाहते हैं तो माननीय गृह मंत्री जी के लिए बहुत आसान काम है। मैंने जो संशोधन दिया है तीन डिजिट की लाटरी को भी बंद किया जाए, उस संशोधन को आप स्वीकार कर लें। एक मिनट और एक वाक्य का सवाल है और यदि उस बात को आप स्वीकार नहीं करते तो मुझे कहने में अफसोस है कि शासन ने इतनी बड़ी ऐक्सरसाइज क्यों की। मैं संक्षेप में इतना ही कहना चाहता हूं कि संपूर्ण लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ही मेरा संशोधन है, गृह मंत्री उसको स्वीकार कर लें।

श्री मोतीलाल वोरा (राजनांदगांव) : माननीय अध्यक्ष महोदय, लाटरी पर जो संशोधन अभी माननीय गृह मंत्री जी पेश करने जा रहे हैं, मैं उसके पहले कहना चाहता हूं कि लाटरी के बारे में बहुत चर्चा हो चुकी है। यह भी माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि पूर्व में 124 माननीय सदस्यों ने संपूर्ण रूप से लाटरी पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी। प्रतिबंध नहीं लग पाया। अभी गोयल जी ने कहा स्टैण्डिग कमेटी ने इस बात पर विचार किया। एक और बात कही गई थी कि सोमपाल जी की कमेटी बनी थी, सोमपाल जी की कमेटी को मौका नहीं मिला, उस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि लाटरी बेचने वाले कितने होशियार हैं कि उन्होंने 3, 24,000 लोगों से इस प्रकार के पत्र भिजवाए कि सिंगल डिजिट लाटरी तो बंद हो रही है, पर तीन डिजिट की लाटरी चलनी चाहिए, जबकि उसको बंद करने के पक्ष में कितने पत्र आए – केवल 11,000 पत्र। कैसी साजिश पूरे हिन्दुस्तान में लाटरी चलाने वालों के माध्यम से हो रही है।

महोदय, मैं मध्य प्रदेश का मुख्य मंत्री था। मैने मध्य प्रदेश में लाटरी 1985 में पूरी तरह से बंद कर दी थी। लालू जी कह रहे हैं कि बिहार में भी बंद हो गई है। अन्य राज्यों की लाटरियां प्रदेश में बिकने न पाएं, इसके लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक फैसला आया था।

अपराह्न 4.33 बजे

(श्री पी-एम-सईद पीठासीन हुए)

उसमें कहा गया था कि –

[अनुवाद]

"ए.आई.आर. 1986 (एस सी) 53 में दी गई एच. अनराज की रिपोर्ट में सर्वोच्च न्यायालय ने लाटरियों को वस्तु माना है, धारा 5 में अन्य राज्यों की लाटरियों को निषेध करने की शक्ति प्रदान करने वाला उपबंध पक्षपात पूर्ण है। लाटरी चलाने वाले राज्य वस्तुओं और जिन्सों पर ऐसे कोई प्रतिबंध नहीं लगाते।"

[हिन्दी]

माननीय सभापति महोदय, इस पर मैंने स्वयं मध्य प्रदेश में 26 परसेंट का सेल्स टैक्स लगा दिया जिससे बाहर के प्रदेशों से आने वाली लाटरियां रुक गई। मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश से मैंने देखा कि लाटरी किस प्रकार से अभिशाप है। लाखों परिवार इससे पीड़ित हैं, विशेषकर जो उत्तराखंड के लोग हैं, इसमें घर-घर के अंदर बरबादी के लक्षण दिखाई पड़ने लगे थे। एक अंक की लाटरी या तीन अंक की लाटरी, दोनों पर ही पूरी तरह से प्रतिबंध लगना चाहिए। जब हम कहते है कि यह सामाजिक अभिशाप है तो इस पर हम अमेण्डमेंट प्रस्तुत करके क्या रखना चाहते है? कंपिहेन्सिव बिल लाने की बात थी। मुख्य मंत्रियों से सलाह करने के बाद कहा गया था कि मुख्य मंत्री अपने राज्यों में लाटरियां इसलिए चलाया करते थे कि शायद उससे आदमनी हो जाएगी-एक करोड, दो करोड़ की आमदनी सारे आंकड़े इस बात के गवाह है कि इस लाटरी के व्यवसाय से गरीब आदमी बरबाद हो गया, उसके परिवार बरबाद हो गए, लोगों ने खुदकुशिया कर ली। एक नहीं, हजारों मामले उत्तर प्रदेश के मैं गिना सकता हूं। उत्तराखंड के जितने जिले हैं, वहां सभी लोगों ने, उनके यहां महिलाओं ने इस लाटरी को बंद करने के लिए हिन्दुस्तान के सभी प्रांतों में आंदोलन किये, क्या हम उसी लाटरी को वापस किया भी संशोधन के माध्यम से कायम रखना चाहते हैं? यह बड़े घरानों का झगड़ा है। दिल्ली के जो चार घराने हैं, उनमें से एक बड़े घराने के नाम पर लाटरी चल रही हैं। मैं किसी का नाम यहां लेना नहीं चाहता क्योंकि आवश्यक नहीं है। लेकिन इसमें जो प्रभावित होने वाले लोग हैं, वह केवल गरीब आदमी हैं, जो एक रुपये की लाटरी खरीदता है। एक अंक और तीन अंक का जहां तक सवाल है, आप एक कांप्रिहेन्सिव बिल लाइए। 6 तारीख को आपका आर्डिनेन्स समाप्त होने जा रहा है। इतने समय में एक कांप्रिहेन्सिव बिल लाया जा सकता था।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : स्टैण्डिग कमेटी दे देती तो हम इंप्लीमेंट कर लेते।

श्री मोतीलाल वोरा : मैं भी स्टैण्डिंग कमेटी में था और हम लोगों ने काफी सोच विचार के बाद अपना निर्णय दिया और आपके विवेक पर छोड़ दिया कि जब यह एक सामाजिक अभिशाप है तो क्या हिन्दुस्तान के गृह मंत्री सामाजिक अभिशाप को संशोधन के माध्यम से लागू कराना चाहते है? यह बिल आप पास कराना चाहते हैं लेकिन मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा होगा अगर आप इसको डेंफर कर दे या इस तरह का जो अमेण्डमेंट मोहन सिंह जी ने पेश किया है, उसको स्वीकार कर लें। वैसे ही लाटरी समाप्त हो जाएगी। मेरा सभी सांसदों से अनुरोध है कि इसे पूरी तरह से समाप्त किया जाना चाहिए। हिन्दुस्तान का बच्चा-बच्चा आपको आशीवाद देगा। हिन्दुस्तान का गरीब आदमी जो अपनी कड़ी मेहनत की कमाई को लाटरी में लगाता है, उन परिवारों को मैने देखा है। माननीय आडवाणी जी ने भी देखा होगा कि कितनी तकलीफें उन परिवारों को हो रही हैं। इसलिए अपनी बात को आपके सामने प्रस्तुत करते हुए हिन्दुस्तान के विद्वान गृह मंत्री से निवेदन करूंगा कि अमेण्डमेंट के चक्कर में न पड़े। संशोधन को आप पास करा सकते हैं, लेकिन इससे हिन्दुस्तान की जनता में यह संदेश जाएगा कि इस सरकार ने वहीं काम किया जो पिछली सरकारों ने दो-तीन साल के अंदर किया है। रातों-रात ओर्डिनेन्स का जारी करना इस बात का परिचायक था कि हम किसी न किसी तरह जो बड़े समूह के लड़कों के नाम पर, बेटे के नाम पर, बहन के नाम पर दिल्ली में लाटरियां चला रहे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। इस लाटरी को पूरी तरह से बंद कीजिए। स्टैण्डिग कमेटी का जिक्र मैं नहीं करना चाहता था। चूंकि गोयल जी ने कर दिया इसलिए में कहना चाहता हूं कि स्टैण्डिंग कमेटी के सभी सदस्यों ने पार्टी की बातों को ध्यान में न रखकर इस बात को स्वीकार किया कि हम चाहे समाजवादी पार्टी के हों, चाहे राष्ट्रीय जनता दल के हों, चाहे बीजेपी या कांग्रेस के हों, किसी ने इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया और जब ध्यान नहीं दिया तो सबने कहा कि एक कांप्रिहेन्सिव बिल बनाइए। कांप्रिहेन्सिव बिल बनाने का समय था। हमने तीन दिन पहले इस रिपोर्ट को सबमिट किया। उत्तर प्रदेश में भी मैंने लाटरी बिल्कुल बंद की थी। एक आदेश से पूरे उत्तर प्रदेश में लाटरी बंद हो गई थी और कलैक्टर्स को कहा गया था कि अगर लाटरी बिक गई तो उस कलैक्टर को दंडित किया जाएगा। अगर आपकी नीयत साफ है तो आप कृपा करके इस लाटरी को पूरी तरह से प्रतिबंधित कीजिए। चाहे एक अंक की लाटरी हो या तीन अंक की लाटरी हो। हमें न एक अंक की जानकारी है, न तीन अंक की जानकारी है। हम इतना जानते है कि जब गरीब लाटरी खरीदता है तो उसके घर की दुर्दशा किस प्रकार की होती है। मैं निवेदन करूंगा कि लाटरी के मामले का गंभीरता से विचार करके इसे समाप्त करने का निर्णय लें।

संसदीय कार्य मंत्री तथा पर्यटन मंत्री (श्री मदन लाल खुराना) : सभापति महोदय, अभी माननीय वोरा जी ने कहा कि जब वह यू.पी. के गवर्नर थे तो उन्होंने लाटरी बंद की, बहुत अच्छा काम किया। लालू जी ने लाटरी बंद की, बहुत अच्छा काम किया। लेकिन आप दोनों के अंडर में पुलिस थी, इसलिए आप लाटरी बंद करवाने में सफल हुए। लेकिन जब मैं दिल्ली का मुख्य मंत्री था तो मैंने सब तरह की लाटरी को बंद करवाया, जबकि पुलिस मेरे अंडर में नही थी। दिल्ली की धारा 144 लगाकर एक रास्ता निकाला गया ... *(व्यवधान)* आप दोनों के अंडर में पुलिस थी। हमने पुलिस का पूरा सहयोग

[श्री मदन लाल खुराना]

लिया। उस समय श्री निखिल कुमार दिल्ली के पुलिस कमिश्नर थे। दिल्ली में दो साल तक हमने एक नये पैसे की भी लाटरी नहीं बिकने दी। 105 करोड़ रुपया खजाने का हर साल खत्म हुआ। जैसा अभी विजय गोयल जी ने कहा कि वास्तव में यह पैसा उन गरीबों की आहों का था, इसलिए हमने उसे बंद करवाया। मुझे कष्ट है इसलिए मैं खड़ा हुआ हूं, कोई इकबाल चंद खुराना नाम का व्यक्ति है ...*(व्यवधान)* मैंने जिंदगी में आज तक उसे देखा नहीं है। मुझे कष्ट हुआ स्टैंडिंग कमेटी में एक एक्स एम॰पी॰ ने यह बात उठाई। यह वे लोग हैं जिन्होंने मेरे चुनाव में मुझसे बदला लेने के लिए मेरी खिलाफत की, मेरे खिलाफ लोगों को पैसे दिये।

श्री मोहन सिंह : पार्टी ने भी कुछ लोगों को आपके खिलाफ दिया।

श्री मदन लाल खुराना : दिया होता तो दिल्ली में लाटरी बंद न होती। बिना पुलिस के लाटरी को अगर किसी ने बंद किया है तो मैंने दिल्ली में बंद किया है ...*(व्यवधान)* इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जो आपने कहा कि चाहें सिंगल डिजिट हो या कोई सी भी डिजिट हो, सिंगल डिजिट को तो बंद करना ही चाहिए, लेकिन जैसा गृह मंत्री महोदय ने कहा कि चूंकि लोग रास्ता निकाल लेगें इसलिए हर प्रकार की लाटरी के लिए इस सदन में बिल लायें। ...*(व्यवधान)*

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : आपको बधाई हो।

श्री लालू प्रसाद : हम खुराना जी को बधाई देते है, लेकिन सरकार को यह पता लगाना चाहिए कि यह कौन खुराना है जो बार-बार खुराना जी की इमेज को डैमेज कर रहा है। उसका पता लगाना चाहिए और उसका सारा कारोबार बंद होना चाहिए।

श्री मदन लाल खुराना : जो आपसे मिलने गया था उसका भी पता मालूम करना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : कहीं वही खुराना तो नहीं जो लालू जी को मिलने गया था।

श्री मदन लाल खुराना : मैंने आज तक उसका चेहरा भी नहीं देखा कि वह कौन आदमी है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल) : सभापति महोदय, केरल मे हमने वर्ष 1967 में लाटरी शुरू की थी जब श्री ई॰एम॰एस॰ नम्बूदरीपाद मुख्य मंत्री थे। यह 30 साल पहले की बात है। अगर मेरी याददाश्त ठीक है तो भारत में राज्य लाटरियां शुरू करने वाला पहला राज्य केरल ही है। गैर सरकारी लाटरियों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। राज्य कोष में राजस्व के रूप में प्रत्येक वर्ष लाटरियों से 11 या 12 करोड़ रुपये मिलते हैं। लाटरियों के संचालन में किसी प्रकार कोई आपराधिक घटना नहीं हुई। केरल में किसी परिवार के किसी सदस्य ने आत्महत्या नहीं की। पिछले तीन दशकों से यह सफलतापूर्वक चल रही है। इसलिए, हमारा अनुभव अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। यह बिना किसी त्रुटि के अब भी जारी है। यद्यपि, कुछ आपवाद या अलग तरह के मामले भी हुए हैं, उनका पता लगाकर जांच की गई है तथा उन्हें कानून के अनुसार सुलझा लिया गया है। इसलिए, मेरा विचार यह है कि राज्य लाटरियों को कुछ संरक्षण के साथ जारी रहने दिया जाए पर किसी निजी क्षेत्र की लाटरियों को अनुमति न दी जाए। केरल में पिछले तीन दशक से निजी क्षेत्र की लाटरियों पर पूरी रोक लगा दी गई है। अधिक समय से केवल राज्य लाटरियों को ही जारी रहने की अनुमति दी गई है और यह अब भी जारी है। राज्य में लाटरियों से संबंधित एक अलग विभाग है। लाटरियों से संबंधित एक निदेशालय है जिसका एक निदेशक है। वह उनका संचालन करता है। इसके अतिरिक्त तालुका अधिकारी भी हैं जो इस कार्य को अच्छी तरह से कर रहे हैं। ... *(व्यवधान)* आप इसे रोक सकते हैं परंतु मैं इन्हें राकने के पक्ष में नहीं हूं। मैं अपनी राय दे रहा हूं।

सभापति महोदय : अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री वारकला राधाकृष्णन : हमारा अनुभव इसके विपरीत है। हम लाटरियों का संचालन विकास कार्यों, अस्पतालों के विकास जैसे सामाजिक उद्देश्यों के लिए ईमानदारी के साथ करते हैं और हम यह बिना किसी परेशानी के कर रहे हैं। इसलिए मेरा विचार है कि राज्यों को लाटरियां जारी रखने की अनुमति दी जानी चाहिए। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री (झांसी) : आपका यह कहना बिलकुल गलत है कि लाटरियों में कोई धोखाधड़ी नहीं होती। मैं कहता हूं कि लाटरियां नकली छप जाती हैं।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : मेरे विचार ऐसे हैं और मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक पर अपने विचार पहले ही रख चुका हूं।

[अनुवाद]

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन (मवेलीकारा) : सभापति महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य श्री राधाकृष्णन ने इस सदन के समक्ष तथ्य रखे हैं। उनका कहना है कि केरल में केवल सरकार को लाटरियों चलाने की अनुमति है और ऐसा पिछले तीन दशकों से हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि धोखाधड़ी के एक भी मामले की जानकारी नहीं मिली है। ... *(व्यवधान)* कृपया मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं लाटरियों के पक्ष में नहीं बोल रहा हूं। सवाल यह नहीं है। मुझे अपनी बात

पूरी करने दीजिए, उसके बाद आप फैसला सुना सकते हैं। मैं यह कह रहा हूं कि उन्होंने कुछ ऐसी बातें की हैं जो तथ्यों के अनुकूल हैं क्योंकि केरल में हमारा यह अनुभव रहा है कि प्रत्येक वर्ष राजकोष को लाभ हो रहा है। इस विधेयक को पारित करना इस सदन का काम है। यह एक अलग बात है। परन्तु यह कहना कि जो कुछ उन्होंने कहा वह तथ्यों के अनुरूप नहीं है या उसे इस तरह अस्वीकार करना, मेरे विचार से, सदन के लिए गौरव की बात नहीं है।

मेजर जनरल भुवन चंद्र खण्डूड़ी (ए-वी-एस-एम-) (गढ़वाल) : महोदय, कोई भी इससे इन्कार नहीं कर रहा है। हम उनके विरुद्ध कुछ नहीं कह रहे हैं।

हम केवल लाटरियों के विरुद्ध बोल रहे हैं, उनके विरुद्ध नहीं।

प्रो- पी-जे- कुरियन : हम सभी विशेष रूप से यही चाहते हैं कि सबसे पहले एक अंक वाली लाटरियों पर रोक लगाई जाए। ... *(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना : सभापति महोदय, मैं दिल्ली सरकार का चीफ मिनिस्टर रहा हूं, मुझे मालूम है, जो वर्तमान कानून हैं, उसमें कोई भी आदमी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और कह सकता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमनेशन हो रहा है और हमें लाटरियां नहीं बेचने दी जा रही हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि हर प्रकार की लाटरियों पर बैन लगना चाहिए।

[अनुवाद]

प्रो- पी-जे- कुरियन : सभा का मत चाहे जो हो वह ठीक ही है। इस संबंध में कोई समस्या नहीं है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि उन्होंने जो कहा है वह गलत है। मैं यही कह रहा हूं।... *(व्यवधान)*

श्री वारकला राधाकृष्णन : यह अलग मामला है। ... *(व्यवधान)* यह केवल हमारा अनुभव है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : श्री राधाकृष्णन, यह क्या है?

श्री वारकला राधाकृष्णन : यह आपका निर्णय है यह आप पर छोड़ दिया है।

श्री भुवनेश्वर कालिता (गुवाहाटी) : महोदय, इस विधेयक के संबंध में स्थायी समिति की सिफारिशें हैं, जैसा कि माननीय गृह मंत्री जी और स्थायी समिति के कुछ अन्य सदस्यों द्वारा बताया गया है, कि यह विधेयक अस्थायी उपाय है और लाटरी को पूरी तरह बन्द करने के लिए व्यापक विधेयक लाना ही लक्ष्य है। यह सदन सर्वोच्च है और यदि लाटरियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाये जाने पर संपूर्ण सदन की सहमति है तब तो सदन स्थायी समिति की सिफारिशों के प्रथम भाग की अनदेखी कर सकता है और दूसरे भाग को मान जिसमें लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक विधेयक लाये जाने का उल्लेख है पर विचार कर सकता है। मैंने देखा है कि चर्चा में कुछ वक्ताओं ने केवल एक अंक वाली, दो अंक वाली अथवा तीन अंक वाली लाटरियों के बारे में बात की है। कुछ लोगों ने केवल एक अंक वाली लाटरी की बुराइयों के बारे में ही अपने विचार व्यक्त किये हैं मैं स्वीकार करता हूं कि एक अंक वाली लाटरी खराब है लेकिन तीन अंक वाली लाटरी भी खराब है। जैसाकि कई वक्ता इससे सहमत हैं कि इस देश के लोगों विशेषकर इस देश के गरीब लोगों के लिए लाटरी पूरी तरह से खराब है।

महोदय, अध्यादेश 8 तारीख को व्ययगत होगा और हमारे पास अभी समय है और हम व्यापक विधेयक ला सकते हैं। इसलिए इस विधेयक को आज पारित करने के बजाए हम इसे स्थगित कर सकते हैं और सरकार 7 तारीख तक व्यापक विधेयक ला सकती है। उस विधेयक को दोनों सदनों में एक साथ पारित किया जा सकता है। इस अध्यादेश के स्थगित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। हम तो लाटरियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध चाहते हैं। इसलिए मैं विशेषकर माननीय गृह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि वह लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए व्यापक विधेयक कब तक ला रहे हैं। उनकी समय सीमा क्या है? मेरा सुझाव है कि यह 8 तारीख से पहले लाया जाना चाहिए और एक साथ दोनों सदनों में इसे पारित करना चाहिए। हमारे पास पूरी तरह से लाटरी पर प्रतिबंध लगाने के लिए इस सदन की सहमति है। मेरा तो यही निवेदन है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : लालू जी, आप बिल्कुल संक्षेप में बोलिए।

श्री प्रभुदयाल कठेरिया (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय, ये पहले बोल चुके हैं।

सभापति महोदय : इन्होंने इंट्रोडक्शन के समय आपत्ति उठाई थी।

श्री लालू प्रसाद : मैं भाषण करने नहीं जा रहा हूं, इसमें भाषण की कोई गुंजाइश नहीं है। न जुआ खेलो, न खिलाओ। यह बुरी बात है। जुआ खेलने को कानूनी दर्जा नहीं मिलना चाहिए। गरीब का पैसा चूसकर आमदनी बढ़ाना बड़ा भारी अपराध है। मैं खुराना जी को बधाई देना चाहता हूं। यह बात सही है कि गलियारे में चारों तरफ लोग बिना वजह इनके खिलाफ चर्चा करते थे कि इनका कोई भाई या संबंधी है, इसलिए लाटरी आई है।

लेकिन आज इन्होंने ...*(व्यवधान)* मैं आपके पक्ष में ही बोल रहा हूं। आप मेरी बात तो सुनिये। किसी का भाई हो, हमारा भाई जुआरी हो तो उसका जुआ छुड़ाना है, चाहे मेरा भाई भी क्यों न हो। लेकिन उनका कोई लेना-देना नहीं है, यह देश का सवाल है।

मैं आडवाणी जी को, माननीय गृह मंत्री जी को और सदन के सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि इस पर पूरी आम-सहमति हो गई कि सारी तरह की लाटरी, जुआबाजी बन्द, उसकी सारी दुकानें बन्द, बाजार बन्द। इनको हम लोगों ने बधाई दे दी, अब दूसरा क्या भाषण इसमें कराना है, इस काले कानून को डैफर करिये। इसको बन्द कर दीजिए, बस हो गया।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : सभापति महोदय, मैं उन्ही बातों को दोहराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि लाटरी अभिशाप है, समाज के लिए कलंक है। जब इस बात को सरकार स्वीकार करती है तो छह महीने के इस अभ्यास की क्या जरूरत थी कि आप सिंगल डिजिट को आर्डिनेंस के जरिये बैन करते हैं और थ्री डिजिट को चालू करते हैं? ...(व्यवधान)

श्री विजय गोयल : वह आर्डिनेंस इस सरकार का नहीं था।

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : यह आर्डिनेंस उस सरकार का था, जिसके आप समर्थक हैं।

श्री मोहन सिंह : पिछली सरकार जब चली गई, तभी तो यह आया। पिछली सरकार का नहीं होता तो आज यह कैसे आता? आपकी अपनी सरकार को बने तीन महीने हो गये, जो उस सरकार ने गलती की, पाप किया तो उसके पाप के बोझ को ढोने का यदि आपने ठेका ले रखा है तो यह बहुत अच्छी बात है, उसके पापों को आप ढोते रहिये, लेकिन यदि इसको आप पाप मानते हैं तो तीन महीने का उचित समय था, इसे आप खत्म कर सकते थे। सरकार चाहे तो अभी भी खत्म हो सकता है, यह सदन सुप्रीम है। इसलिए मेरा एक शब्द का संशोधन है कि थ्री डिजिट लाटरी भी बैन की जाए। इस सदन में माननीय गृह मंत्री जी, जो भारसाधक मंत्री हैं, वे एक वाक्य कह दें कि मैं इसको स्वीकार करता हूं। मैं अपने इस संशोधन का समर्थन करते हुए बात खत्म करता हूं। माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे इसे स्वीकार करें।

श्री आदित्यनाथ (गोरखपुर) : सभापति जी, मैं माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि एक सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए वे यह विधेयक इस सदन में लायें।

निश्चित ही लाटरी की प्रथा जब चली थी तो एक मनोरंजन के रूप में इसका प्रयोग हुआ था, लेकिन धीरे-धीरे एक सामाजिक बुराई के रूप में इसने समाज में अपनी जड़ें बहुत गहरी जमा ली हैं और इसका प्रभाव समाज के उस वर्ग पर पड़ रहा है, जिसके लिए इस सदन के माध्यम से हम कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं। क्या यह हास्यास्पद नहीं है कि एक ओर हम विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं ताकि समाज का जो दबा कुचला वर्ग है या गरीबी की रेखा के नीचे जीवन-यापन जो वर्ग कर रहा है, उसे इन कल्याणकारी योजनाओं से लाभ मिले, वहीं इस लाटरी की सबसे बड़ी मार उसी वर्ग को झेलनी पड़ रही है? जो मजदूर हैं, रिक्शाचालक हैं या विभिन्न प्रकार के गरीबी की रेखा के नीचे कार्य करने वाले हैं, वे अमीरी की चाहत में इसकी चपेट में आसानी से आ जाते हैं। हमारी सरकार इस विधेयक को लाई है और साथ-साथ यहां पर माननीय गृह मंत्री जी का यह आश्वासन भी है कि एक अंक की लाटरी के साथ-साथ तीन अंक की लाटरी पर भी जल्दी ही प्रतिबंध लगाया जायेगा, सभी प्रकार की लाटरियों को पूर्ण प्रतिबंधित किया जायेगा, निश्चित ही अभिनन्दनीय है।

साथ-साथ मैं यह कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के बिल का, इस प्रकार के विधेयकों का हर व्यक्ति को समर्थन करना चाहिए।

अपराह्न 5.00 बजे

हो सकता है इससे कुछ राजस्व की हानि हो, लेकिन जहां पर राष्ट्रीय और सामाजिक उद्देश्य सामने हों, वहां पर इस प्रकार के आर्थिक उद्देश्यों को हमें छोड़ना होगा और समाज को सामने रखकर इस प्रकार के विधेयकों को पास करना होगा।

मैं पुनः माननीय गृह मंत्री जी को बधाई देना चाहूंगा और अभिनन्दन करना चाहूंगा कि उन्होंने इस प्रकार के विधेयक को लाकर इस सामाजिक कुप्रथा को समाप्त करने का अभियान चलाया है।

[अनुवाद]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज (बारमूला) : सभापति महोदय, जब यह संशोधन विधेयक परिचालित किया गया था, मैंने उसके लिए एक संशोधन प्रस्तुत किया था। वह संशोधन अब बेकार हो गया क्योंकि मैंने देखा कि माननीय गृह मंत्री जैसा कि वह इस सदन की राय जानते हैं सदन की अपील को स्वीकार करेंगे। मेरा संशोधन था कि देश में लाटरियों पर पूरा प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। हमें देश के लोगों को संदेश देना है कि किसी को जुआ में लिप्त नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को मेहनत करके अपनी जीविकार्पजन करनी चाहिए।

लाटरियां परिवार में काफी तनाव उत्पन्न करती हैं। कमजोर वर्गों के सदस्य अपना भाग्य अजमाने के लिए और अमीर बनने के लिए लाटरियां खरीदते हैं। जब लाटरियों मे उन्हें कुछ कमाई नहीं होती तो परिवार में तनाव उत्पन्न हो जाता है इसलिए इस तनाव को समाप्त करना है और देश में एक स्पष्ट संदेश पहुंचाना है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि इस प्रश्न पर सभी सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठे हैं और इस सदन में पूरी तरह से सर्वसम्मति है। मैंने एक सदस्य को भी इसका विरोध करते हुए नहीं देखा है।

श्री टी॰ गोविन्दन (कासरगोड) : केरल के लोग भी लाटरियों के विरुद्ध हैं हम भी लाटरियों का विरोध करते हैं।

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : मैं आपको धन्यवाद देता हूं इसलिए हम माननीय गृह मंत्री जी से अनुरोध कर रहे हैं कि वह इस जुआ खेलने, जिसे लाटरी का नाम दिया गया है पर प्रतिबंध लगाएं। इसे हमेशा के लिए बंद किया जाए हमें समाज को बताना चाहिए कि भविष्य में भी हम इस प्रकार के अभिशाप को स्वीकार नहीं करेंगे।

श्री सत्यपाल जैन (चंडीगढ़) : महोदय, मैं अपने विद्वान साथी, श्री शिव शंकर जी द्वारा उठाए गए प्रश्न का उत्तर ही दूंगा। महोदय, सभी सदस्य इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि लाटरी पर पूरी तरह के प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। यहां तक कि स्थायी समिति के सभी सदस्य भी उससे सहमत थे, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन हमें एक तकनीकी समस्या के बारे में स्पष्ट दृष्टिकोण रखना

चाहिए जिसकी वजह से स्थायी समिति आखिरकार यह सिफारिश नहीं कर पाई कि भारत सरकार कानून बनाने के लिए प्राधिकृत है।

संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची नामक तीन सूचियां हैं श्री शिव शंकर जी ने संघ सूची की क्रम सं॰ 40 पढ़ी। इस सूची में उन मदों के नाम हैं जिनपर संसद कानून बना सकती है। इस सूची की मद सं॰ 40 इस प्रकार है :

"भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा चलाई गई लाटरियां"

इसलिए केवल हम ही इस पर प्रतिबंध लगा सकते हैं अथवा भारत सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा इन्हें चलाए जाने की अनुमति प्रदान कर सकते हैं। राज्य सूची की मद सं॰ 34 में शर्त लगाने और जुआ खेलने का वर्णन है। अतः यदि हम इस पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं तो हमें राज्यों से स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ेगी क्योंकि जब तक हमें राज्यों से स्वीकृति नहीं मिल जाती तब तक हम लाटरियों पर पूर्णतः प्रतिबंध नहीं लगा सकते। इस समय यदि हम राज्यों से परामर्श किए बिना प्रतिबंध लगाते हैं तो यह राज्यों द्वारा चलाई जा रही लाटरियों पर ही लागू होगा। इससे स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। राज्य लाटरियों पर तो प्रतिबंध लग जाएगा लेकिन निजी लोगों द्वारा चलाई जा रही लाटरियों की बिक्री जारी रहेगी, इसलिए इस बात को ध्यान में रखते हुए निजी लोगों को जो इस कार्य को चला रहे हैं को लाभ न पहुंचे, स्थायी समिति ने कानून बनाने की सिफारिश की है।

महोदय, हमने गृहसचिव सहित विधि सचिव सहित और सभी अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने हमें सूचित किया कि यदि हम व्यापक विधान लाना चाहते हैं तो हमें राज्यों की स्वीकृति भी प्राप्त करनी होगी और यह विधायी विभाग और कुछ अन्य विभागों के पास भेजा जाएगा। हमने उनसे पूछा क्या वे 8 जुलाई से पहले व्यापक विधेयक ला सकते हैं।

सभी सदस्यों ने उनसे अनुरोध किया लेकिन उन्होंने यह कहते हुए अपनी असमर्थता जतलाई कि यह संभव नहीं हो सकेगा। इसलिए दलगत भावना से ऊपर उठकर संसद सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं के साथ हमने दो सिफारिशें की। पहला यह अध्यादेश व्ययगत नहीं होना चाहिए और इसलिए लगाए गए प्रतिबंध को जारी रखना चाहिए और इसे कानून का रूप दिया जाना चाहिए। इसी समय जीवन के हर क्षेत्र से सभी सदस्यों और राजनीतिक दलों ने एक मत से व्यापक विधान लाने के लिए भारत सरकार से सिफारिश की। मैं समझता हूं एक बात पर सदन सहमत होगा कि हम सरकार से अनुरोध कर सकते हैं कि वह यह विधान समयबद्ध अवधि के भीतर लाए चाहे यह अवधि दो माह अथवा तीन माह अथवा चार माह जितना भी हो ताकि इसमें आवश्यक रूप से देरी न हो। मैं समझता हूं यही इस समस्या का सर्वोत्तम हल होगा।

प्रो॰ पी॰जे॰ कुरियन : महोदय, प्रश्न यह है कि इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी जिसमें अध्यादेश व्ययगत हो जाएगा और तत्पश्चात् राज्य एक अंक वाली लाटरियां फिर से चलाने लग जाएंगे। अतः सदन की यह भावना है कि एक अंक वाली लाटरी सहित सभी लाटरियों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। हम महसूस करते हैं कि यह विधेयक पारित करना होगा। यह पहला कदम होगा जिसमें कम से कम एक अंक वाली लाटरियां बंद होनी चाहिए। इसके पश्चात् सरकार को एक दूसरा विधेयक लाना चाहिए। यही सदन की धारणा है। ...(व्यवधान)

श्री वारकला राधाकृष्णन : सभापति महोदय, कृपया मेरी बात सुनिये।

सभापति महोदय : कितनी बार मुझे आपकी बात सुननी पडेगी? हालांकि आपका नाम यहां नहीं था, मैंने आपको बोलने का मौका दिया। आपने अपने विचार पहले ही व्यक्त कर दिये हैं।

श्री वारकला राधाकृष्णन : इस विधेयक का आशय एक अंक वाली लाटरियों पर प्रतिबंध लगाना है। लेकिन संपूर्ण प्रतिबंध केवल अन्य कानून के माध्यम से ही लग सकेगा होगा जिसके लिए सरकार को एक अन्य विधेयक लाना पड़ेगा क्योंकि संविधान में संघ और राज्य सरकारों द्वारा लाटरियां चलाई जाने का प्रावधान है। इसलिए यदि संपूर्ण प्रतिबंध लगाना है तो सरकार को पर्याप्त शक्तियों से युक्त एक नया विधान लाना ही पड़ेगा।

श्री पवन सिंह घाटोवार (डिब्रुगढ़) : लाटरियों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने के संबंध में सभा में व्यक्त किए गए विचारों से मैं पूरी तरह सहमत हूं। ये लाटरियां सभ्य समाज के लिए एक अभिशाप हैं और ये गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले दैनिक मजदूरी कमाने वाले श्रमिकों को सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। अब जबकि इस सभा में हर कोई इस बात से सहमत है कि सबसे ज्यादा शोषित लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले होते हैं—हम एकल अंक की लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं-कौन इस बात की गारण्टी दे सकता है कि ये लोग तीन अंकों वाली लाटरी के चंगुल में नहीं फसेंगे। तीन अंकों वाली लाटरी पर प्रतिबंध लगाने में और एक व्यापक विधेयक को लाने में क्या कठिनाई है? माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह ने सुझाव दिया था कि 'एकल अंक' के स्थान पर आप 'तीन अंक' शब्द प्रतिस्थापित कर सकते हैं और फिर विधेयक को पारित कर सकते हैं। इसमें क्या कठिनाई है? आपको लाटरियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाले एक व्यापक विधेयक को लाना चाहिए। माननीय सदस्य श्री वोरा ने उल्लेख किया कि समाचार पत्रों में कई बातें प्रकाशित होती हैं और उन्होंने अपने संबंधियों के नाम पर कई लाटरियों को चलाने वाले एक परिवार का संदर्भ दिया था। मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं परंतु किसी एक परिवार को लाभ नहीं दिया जाना चाहिए।

मैं, माननीय सदस्य श्री मोहन सिंह द्वारा प्रकट किए गए विचारों का पूरा समर्थन करता हूं कि हमें तीन अंकों वाली लाटरियों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। इसमें कठिनाई क्या है? कुछ समय बाद सरकार एक व्यापक विधेयक ला सकती है। हम इस अध्यादेश के विरोधी नहीं हैं। परंतु प्रश्न यह है कि केवल एकल अंक वाली

[श्री पवन सिंह घाटोवार]

लाटरियों को ही क्यों हटाया जाए और कौन इस बात की गारण्टी दे सकता है कि गरीब आदमी तीन अंकों वाली लाटरियों को नहीं खरीदेंगे? जब सब लोग इस बात से सहमत हैं कि यह एक सामाजिक बुराई है और गरीब लोगों पर अभिशाप है तो श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत किए गए संशोधन को स्वीकार करने में क्या कठिनाई है? इसीलिए मैं चाहता हूं कि लाटरियों पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाए क्योंकि यह देश की गरीब जनता का पूर्ण शोषण है और कोई भी सरकार या सभ्य समाज इन लोगों के शोषण को समर्थन नहीं दे सकती है।

[हिन्दी]

श्री बासवराज पाटिल सेडाम (गुलबर्गा) : माननीय सभापति महोदय, कई बार भटकता हुआ यह आर्डिनेंस आज बिल के रूप में सदन में आया है।

श्री मोहन सिंह : संविधान के जंगल में खो गया था।

श्री बासवराज पाटिल सेडाम : खो गया था, लेकिन खोने के लिए कई लोग जिम्मेदार हैं। माननीय गोयल जी ने कुछ बातों को यहां कहा है कि अब तीन डिजिट्स वाले भी इसका दुरूपयोग कर रहे हैं। जैसे सिंगल डिजिट्स में, जहां दस गुना जुआ ज्यादा होता था उसी प्रकार का गलत जुआ तीन डिजिट्स में भी शुरू हो गया है, उन्होंने इस बात को कहा है। यहां दो प्रकार के अभिमत व्यक्त हुए हैं, पी॰ शिवशंकर जी ने कहा है कि यह सेंट्रल मेटर है, केन्द्र सरकार के अधीन है इसलिए इस पर यहीं से प्रतिबंध लगाया जा सकता है और एक माननीय सदस्य ने कहा है कि यह कंकरेट लिस्ट में आता है। ... *(व्यवधान)* सबका अभिमत सामने रहते हुए मैं चाहूंगा कि सभी तरह की लाटरीज पर टोटल बैन होना चाहिए और सदन की भावना भी यही है कि टोटल बैन होना चाहिए। अगर कल यह आर्डिनेंस लेप्स हो गया और सिंगल डिजिट्स वाला फिर शुरू कर दें तो उसके दुष्परिणाम होंगे। ...*(व्यवधान)*

इसलिए मैं यह मांग करूंगा कि मंत्री जी इसके बारे में पूर्ण विचार करके अगर जल्दी से जल्दी कोई नया बिल लाकर उसे पास कराया जा सकता है तो उसको पास करके इस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाएं, यह मैं इनसे प्रार्थना करता हूं।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद) : माननीय सभापति महोदय, सामाजिक बुराइयों से परिपूर्ण इतना महत्वपूर्ण बिल माननीय गृहमंत्री जी लाए हैं, मैं उसका स्वागत करता हूं और माननीय खुराना जी ने जिस तरीके से इसका सपोर्ट किया है उनका भी मैं स्वागत करता हूं।

महोदय, लाटरी सिस्टम के चलने से, गरीब तबके की महिलाओं और उनके बच्चों की जिस प्रकार से बर्बादी हुई है, इससे बढ़कर सामाजिक बुराइयों की कोई दूसरी मिसाल नहीं हो सकती। इसमें जितने भी टैक्नीकल प्वाइंट्स उठाए जा रहे हैं उनमें कोई बात हो सकती है उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन इसको खत्म करने का सबसे बड़ा इस समय जो मौका है इससे बढ़कर दूसरा और कोई मौका नहीं हो सकता। मोहन सिंह जी जो संशोधन लाए हैं उसको स्वीकार कर लीजिए और पूरे लाटरी सिस्टम को समाप्त कर दीजिए, पूरे सदन की दलगत भावना से ऊपर उठकर यह राय है। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो हम समझते हैं कि सदन और जनता की राय के खिलाफ होगा। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस संशोधन को आप स्वीकार करें।

[अनुवाद]

श्री के॰ येरननायडू (श्रीकाकुलम) : यहां पर दो मुद्दे हैं। एक है व्यापक विधान। इस समय सभा लाटरियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के पक्ष में है। यह लोगों की इच्छा तथा सभा के कुछ माननीय सदस्यों की इच्छा है। इस अध्यादेश के कारण प्रतिबंध लगा हुआ है। हम इस अध्यादेश को, यथावत् पारित कर देंगे जिससे यह कम से कम समय में अधिनियमित हो सके। मेरा आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री से अनुरोध है कि वे राज्यों में सभी प्रकार की लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए राज्यों में विधान पारित करने के लिए अगले सत्र के दौरान यथाशीघ्र मुख्य मंत्रियों की बैठक को आयोजित करें। यह लोगों की इच्छा है। हमें भविष्य में इस बुरी प्रथा को समाप्त करना होगा।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना देवराजभाई चिखलिया (जूनागढ़) : माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले पूरे हिन्दुस्तान की उन महिलाओं की ओर से, जोकि लाटरी से प्रभावित हुई हैं और अगर यह बिल नहीं आता तो प्रभावित होने वाली थीं, आडवाणी जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूं तथा युवाओं की ओर से भी धन्यवाद देना चाहती हूं। अगर हमें किसी ध्येय तक पहुंचना है तो सबसे पहले यही कदम उठाना चाहिए ताकि समाज से बुराई दूर हो।

मैं माननीय गृह मंत्री को बहुत-बहुत धन्यवाद देकर इस बिल का समर्थन करती हूं। जो चीजें महिलाओं और युवाओं को प्रभावित करती हैं, उनसे संबंधित बिल लाने चाहिए और सभी को उनका समर्थन करना चाहिए। हमारे जिन भाइयों और बहनों ने इस डिबेट में हिस्सा लिया, मैं उनको भी धन्यवाद देती हूं।

[अनुवाद]

***श्रीमती मिनाती सेन** (जलपाईगुड़ी) : सभापति महोदय मैं माननीय गृह मंत्री को इस महत्वपूर्ण लाटरी (विनियमन) विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देती हूं। भारत में हर ओर यह लाटरी व्यवसाय भिन्न-भिन्न रूपों में दिखाई देता है। यह देश में दैनिक, साप्ताहिक, मासिक तथा अन्य कई प्रकार से अपने पैर फैला रहा है। यह बिना किसी नियम या विनियम के एकल अंक लाटरी और तत्काल लाटरी के रूप में चल रहा है। यह जुए के खेल कुछ व्यवसायियों और एजेण्टों की सहायता से चल रहा है। दुर्भाग्यवश इसमें बेरोजगार युवक भी संलिप्त हैं। यह वास्तव में दुखदायी है कि वे अपने जीवन के

*मूलतः बंगला में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर

बेहतरीन समय अपने यौवन को लाटरी जैसे अपवित्र कार्य में लगा रहे हैं। जबकि उनसे अपने यौवन को किसी रचनात्मक कार्य में लगाने की अपेक्षा की जाती है परंतु वे अनैतिक कार्यों जैसी गतिविधियों में इसे लगाकर इसे व्यर्थ कर रहे हैं। इस जुए की अनैतिक गतिविधि के लिए समाज अपनी श्रम शक्ति को खो रहा है, समाज अपनी ऊर्जा को अत्यधिक मात्रा में व्यर्थ कर रहा है। इसके अलावा गरीब तबका, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोग इससे बुरी तरह प्रभावित होते हैं। वे लाटरी का टिकट खरीदने की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे अविलम्ब धन प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार गरीब न केवल खुद बर्बाद हो रहे हैं अपितु वे अपने परिवारों को भी बर्बाद कर रहे हैं। इसी कारण वे अभाव, रूग्णता और अज्ञानता के शिकार हो रहे हैं। ऐसे अभिशिप्त परिवार की अगली पीढ़ी का भविष्य भी अन्धकारमय हो जाता है। कभी-कभी निराशा, गरीबी का बोझ उन्हें इतना खलता है कि वे आत्महत्या कर लेते हैं। इसी कारण लाटरी टिकटों को खरीदने के इस आत्मघाती आकर्षण को समाप्त किया जाना चाहिए। हम जानते हैं कि इसे लाटरी व्यवसाय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाकेर ही हासिल किया जा सकता है। हम इसके विरोधी नहीं हैं परंतु दूसरे पहलू पर भी विचार किया जाना चाहिए। राज्य सरकार की आय का स्रोत होना आवश्यक है पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा भूमि कर समाप्त कर दिया गया है। परंतु उन्हें अपने आय के स्रोत की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार को कोई ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे कि लाटरी टिकट पर प्रतिबंध लगाने पर भी राज्य सरकारों का आय का स्रोत बना रहे। इस तथ्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अन्ततः मैं यह कहना चाहती हूं कि इस विधान से यह बुरी प्रथा समाप्त नहीं होगी। सरकार को जनता में जागरूकता लाने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। सरकार को दृष्टिकोण में बदलाव लाने के लिए कोई वैकल्पिक उपाय करने चाहिए जिससे कि एक स्वस्थ, सुसंस्कृत जागरुक विचारधारा का निर्माण हो सके। केवल ऐसा कदम ही राष्ट्र निर्माण में सहायता पहुंचा सकता है।

[हिन्दी]

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, सदन में इस बात पर सहमति है कि सभी प्रकार की लाटरियों को पूरी तरह से बंद किया जाए। एक टैक्निकल सवाल श्री एस॰पी॰ जैन और दूसरे लोगों ने उठाया कि एक डिजिट की लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए जो आर्डिनेंस लाया गया है, उसके समय को बढ़ाना चाहिए। उनका यह भी कहना है कि बाकी डिजिट की लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए देश भर की राज्य सरकारों और विधान मंडलों से सहमति ली जाए। हम नहीं जानते कि एक डिजिट वाली यूनियन लिस्ट में है या तीन डिजिट वाली कनक्रैंट लिस्ट में है? एक डिजिट की लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए यह आर्डिनेंस लाया गया है। आप इसे कानून का रूप देना चाहते हैं। आप इसमें संशोधन करें और उसमें एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट और सभी डिजिट्स की लाटरियों को शामिल करें। इसमें आपको क्या कठिनाई है? सरकार को सदन की भावनाओं का ख्याल करते हुए तत्काल सभी डिजिट वाली लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने वाला एक संशोधन लाना चाहिए। अच्छा होगा, अगर मोहन सिंह जी के संशोधन को मान लिया जाए। इतिहास इस बात का गवाह है कि जुए के चलते महाभारत हुई, जुए में द्रोपदी हारी गई और लोग राज हार गए। आज गरीब आदमी इसमें अपना धन बरबाद कर रहा है और वह मर रहा है। इसलिए इसमें एक मिनट भी देर नहीं करनी चाहिए। आप देश भर में एक डिजिट की लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं लेकिन दो, तीन और चार डिजिट वाली लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए कह रहे हैं कि विभिन्न राज्यों से पूछना पड़ेगा। कि इस तर्क में कोई दम नहीं है। इसलिए तुरंत इसको पास कराने में कोई हर्ज नहीं है। इसको पास कराना चाहिए। धन्यवाद।

श्री मदन लाल खुराना : यह आर्डिनेंस आपका ही है।

श्री रघुवंश प्रसाद सिंह : आर्डिनेंस हो या बिल हो, यह पास होना ही चाहिए।

श्री मदनलाल खुराना : यह आप ही का आर्डिनेंस है। जब आप मिनिस्टर थे, यह आर्डिनेंस उसी समय का है।

श्री लालू प्रसाद : इसमें सभी लाटरीज लैप्स करने दीजिए। तो ठीक है, अगर इसके खिलाफ बात करते हैं तो मैं बहिष्कार करता हूं।

अपराह्न 5.21 बजे

इस समय श्री लालू प्रसाद सभा भवन से बाहर चले गए।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चैल) : माननीय सभापति जी, आपने मुझे लाटरी विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि 3 डिजिट लाटरी वालों के प्रलोभन पर एक डिजिट लाटरी को बंद किया गया और कारण यह बताया गया कि देश की करोड़ों गरीब जनता भुखमरी की शिकार होती है फिर भी लाटरी खेलती है। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय गृह मंत्री से जानना चाहता हूं कि 3 डिजिट की जो लाटरी चलाई जा रही है, उससे क्या बड़े लोग बरबाद हो रहे हैं जबकि इस लाटरी से करोड़ों लोग आर्थिक तंगी के कगार पर हैं। एक डिजिट लाटरी के तर्ज पर तीन डिजिट लाटरी बंद की जाए या एक डिजिट लाटरी खोल दी जाए, इस पर माननीय सदस्यों के विचार आये हैं कि जहां एक डिजिट हो, तीन डिजिट हो या कोई भी डिजिट हो, सब लाटरी बंद की जाए। राष्ट्र में परमाणु बम बनाकर देशवासियों को रोजमर्रा के कष्टों को अनदेखा किया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह काम किया है। यह 3 डिजिट लाटरी चलाने की जो योजना है, इसमें बहुत बड़ा भेदभाव है। अभी हमारे संसदीय कार्यमंत्री श्री खुराना जी ने कहा है कि पूरी लाटरियों को देश में बंद कर दिया जाए, माननीय गृह मंत्री जी ने खड़े होकर अभी कुछ संशोधन करने की बात कही, श्री एस॰पी॰ जैन ने संविधान की किताब पढ़कर संशोधन की बात की, इससे तो कुछ साफ समझ ही नहीं आ रहा है।

सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से इस सदन से यह कहना है कि जब एक डिजिट लाटरी या तीन डिजिट लाटरी की बात है,

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

पूरे देश में बन्द कर दें। अभी हमारे केरल के एक साथी ने कहा है कि वहां पर हमें फायदा है। मेरा कहना है कि पूरे देश में लाटरी बंद कर दी जाए। यह देश के लिए अभिशाप है, कलंक है। इसको सट्टे के रूप में खेला जा रहा है। हमारे देश के मजदूर, रिक्शेवाले इससे प्रभावित होकर आत्महत्या कर रहे हैं। तमाम बड़े-बड़े लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। इससे पूरा समाज कलंकित हो रहा है। श्री मोहन सिंह जी ने जो संशोधन दिया है, उसे लागू किया जाए और पूरे देश में लाटरी पर प्रतिबंध लगाया जाए।

श्री सुरेन्द्र सिंह (भिवानी) : सभापति महोदय, आज सदन में चारों तरफ से कहा जा रहा है कि लाटरी बंद कर दिया जाए। श्री लालू प्रसाद जी की पार्टी की तरफ से जो वक्ता बोले हैं, उनकी तो लाटरी के ऊपर मास्टरी है, उन्होंने अच्छी की है। सभी सांसद एक बात बार-बार कह रहे हैं कि हर तरह की लाटरी बंद कर दी जाए। मेरा सुझाव है कि राजनीति में जिन लोगों की लाटरी निकलती है, वह बंद न की जाए। इस बात का खास ध्यान रखें।

श्री वीरेन्द्र सिंह (मिर्जापुर) : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के गृह मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे समाज में जुए, सट्टे की वृत्ति के प्रति आज से नहीं आदिकाल से नफरत का भाव रहा है।

इस तरह के भाव से तमाम ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं जिसकी रघुवंश जी चर्चा कर रहे थे। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी चाहता हूं कि लाटरी, जुआ, सट्टा, इस तरह के रोजगार व्यापार के नाम पर जो भारत में चलाए जा रहे हैं, यह हमेशा के लिए बंद हो जाएं तो जो हमारी गौरवशाली संस्कृति है, कभी भारत दुनिया में नेतृत्व करता था जो हमारी सभ्यता है, उसका दुनिया में नाम होगा। मैं यही निवेदन करना चाहता हूं कि अगर माननीय गृह मंत्री जी इस लाटरी को बंद कर देंगे, इस सट्टा और जुआ के खेल को भारत में बंद कर देंगे तो निश्चित रूप से हम गौरवशाली भारत को दुनिया में आगे ले जाने के लिए कदम उठाएंगे।

[अनुवाद]

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी (कोकराझार) : सभापति महोदय और इस प्रतिष्ठित सभा के विद्वान सदस्यगण, मैं अपने भाषण को लम्बा नहीं खींचूंगा। मैं अपनी बात को संक्षेप में रखूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि लाटरियों को पूरी तरह बन्द या इनका प्रतिषेध किया जाना चाहिए। साथ ही मैं लाटरियों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के संबंध में सभा के प्रत्येक विवेकशील सदस्य के दृष्टिकोण का भी समर्थन करता हूं। जिस प्रकार से पूरे भारतीय समाज को लाटरी प्रभावित कर रही है उसे देखते हुए आम जनता के हित में यही होगा कि लाटरी को पूरी तरह बन्द कर दिया जाए।

मैं केवल 'एकल' की लाटरियों का प्रतिषेध करने और बहु अंकीय लाटरियों को जारी रखने के पीछे कोई वास्तविक तर्क नहीं पाता हूं। यदि सरकार की मंशा लाटरियों को पूरी तरह बन्द करना है तो वह फिर इस विधेयक के द्वारा अन्य बहुअंकीय लाटरियों पर रोक क्यों नहीं लगा रही है? सरकार के दृष्टिकोण के संबंध में लोगों को शंकाएं हो सकती हैं। इसीलिए मैं भारत सरकार और माननीय गृह मंत्री जी से लाटरी पर पूरी तरह पाबन्दी लगाने के लिए सभा में एक व्यापक विधेयक को लाने की अपील करता हूं।

इस संबंध में मैं इस सम्माननीय सभा का ध्यान इन लाटरियों के अलावा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में खेले जाने वाले इसी प्रकार के एक अवैध खेल की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। उनकी स्थानीय भाषा में इस खेल को *तीरकला* कहते हैं। यह एक सामाजिक बुराई है। इसीलिए इस *तीरकला* पर भी पूरी तरह से पाबन्दी लगायी जानी चाहिए।

इसीलिए पूरे बोडो क्षेत्र की ओर से मैं भारत सरकार से मांग करना चाहता हूं कि आम आदमी की भलाई के लिए लाटरियों पर पूरी तरह पाबन्दी लगाई जाए साथ *तीरकला* पर भी पाबन्दी लगाई जाए।

[हिन्दी]

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : अध्यक्ष जी, बहुत कम ऐसे विषय होंगे जिस पर सदन इतना एकमत हुआ होगा जितना आज हुआ है।

मुझे बहुत खुशी हुई आज की इस बहस को सुनकर। मुझे वास्तव में आनन्द आया और आश्चर्य इस पर हुआ कि जब पहले सिंगल डिजिट पर ही प्रतिबंध लगाया तो ऐसा क्यों किया, पूरे पर क्यों नहीं किया? चूंकि मेरे सामने एक दुविधा है, कठिनाई है और वह यह है कि ये सारे सवाल जिस प्रकार से सदन में उठे हैं उसी प्रकार से स्टैंडिंग कमेटी में भी उठे और वहां भी इस बात पर बहुत आग्रह था कि सिंगल डिजिट पर बैन लगाएं और तीन डिजिट या पांच डिजिट को परमिट करे-यह ठीक नहीं है। इस पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए। सरकारी लाटरी पर, केन्द्र की लाटरी पर, राज्यों की लाटरी पर और प्राइवेट लाटरी पर इन सभी पर, संपूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, यह सहमति थी। वहां पर अधिकारी भी होते हैं। मैं मानता हूं कि वहां जितने सदस्य थे वे इस बात को भी स्वीकार करते थे कि पिछले साल चाहे सीमित प्रतिबंध लगा, लेकिन हममे से कोई ऐसी बात न करे जिससे सीमित प्रतिबंध खत्म हो जाए। सीमित प्रतिबंध न लगाकर संपूर्ण प्रतिबंध लगता, बहुत अच्छा था। लेकिन अगर संपूर्ण प्रतिबंध नहीं लगा और सीमित प्रतिबंध लगा तो आज संपूर्ण प्रतिबंध लगाने की प्रक्रिया में हम इस सीमित प्रतिबंध को भी खत्म कर दें, चाहे 15 दिन के लिए हो, चाहे 20 दिन के लिए हो और वे 20 दिन गरीब लोगों के लिए सबसे अधिक घातक हों और उन लोगों के लिए लाभकारी हों जो इसमें पैसा कमाते हैं। वे यह नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि अगर हमारी स्टैंडिंग कमेटी यह तय करती है कि आठ तारीख से पहले यानी इसके लैप्स होने से पहले आपको बिल लाना है तो क्या आप बिल ला सकते हैं। उन्होंने जवाब दिया कि हम नहीं ला सकते। मैं उनको दोष नहीं देता हूं। मैं मानता हूं कि

यह समझना चाहिए कि यहां चाहे सर्वसम्मति हो कि लाटरीज पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, लेकिन देश में एक बड़ा सबल वर्ग है जो इस बात पर तुला हुआ है कि लाटरी पर बैन को न चलने दें। मैं वैसे ही नहीं कह रहा हूं, आखिर हमें यह पता है कि कुछ हाई कोर्ट्स में मामला गया और गोहाटी हाईकोर्ट ने कह दिया कि यहां प्रतिबंध नहीं लग सकता, क्योंकि सैंट्रल गवर्नमेंट ने जो आर्डिनेंस निकाला है उसकी अमुक-अमुक धारा ठीक है, अमुक-अमुक धारा इनवेलिड है और उसे स्ट्रक डाउन कर दिया। अभी आप कई सरकारों का उल्लेख कर रहे थे, केरल की सरकार का उल्लेख कर रहे थे कि केरल की सरकार की लाटरी दिल्ली में नहीं बिक सकती, जिसमें स्टे ले लिया गया है। केवल मैं मानता हूं कि आज हम अगर संपूर्ण प्रतिबंध लगा दें, मोहन सिंह जी ने एक संशोधन दिया, वह हमने मान लिया, वह बहुत ठीक होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन जब तक मैं उसको कानूनी तौर पर एग्जामिन करके अपने आपको आश्वस्त नहीं कर लेता हूं कि अगर सुप्रीम कोर्ट में भी मामला जायेगा तो सुप्रीम कोर्ट में भी यह संशोधन स्टैंड करेगा। मैं सदन को कभी ऐसी सलाह नहीं दूंगा कि आप इसे जल्दबाजी में करें।

[अनुवाद]

आखिरकार यह देश का सर्वोच्च विधान बनाने वाला मंच है। हम कुछ भी जल्दबाजी में नहीं कर सकते हैं।

[हिन्दी]

इसलिए स्टैंडिंग कमेटी में सोच-विचार कर, वहां के जो अधिकारी थे, उनसे सलाह करके, उन्होंने अभी भी मुझसे कहा कि आप मान लो कि अगर स्टेट से सलाह लेने की बात है, उसे अगर छोड़ भी दें और उनसे सलाह लिये बिना आप केवल इस आधार पर चाहे यूनियन लिस्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट की लाटरी या राज्य सरकार की लाटरी हो, जो बात श्री शिवशंकर जी कह रहे थे, वह अगर होते तो शायद श्री सत्यपाल जैन को जवाब देते कि उनके आर्गूमेंट इस प्रकार से सही नहीं है, इस प्रकार से सही हैं। वे दोनों लीगल एक्सपर्ट हैं। मैं कानून पढ़ा हूं लेकिन मैंने कभी वकालत नहीं की। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि सदन को इस मामले में निर्णय लेते हुए ऐसा निर्णय करना चाहिए कि कल ही जाकर कोई इसे स्टे न करवा दे, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए और इस सावधानी को बरतने के मामले में मैं समझता हूं कि जो सिफारिश हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने की है कि आप सीमित प्रतिबंध बनाये रखिये, पूर्ण प्रतिबंध मत करिये और उसके लिए आप जो विधेयक लाये हैं, यह संसद पारित करें और फिर आप सदन को सरकार की ओर से आश्वासन दीजिए कि आप संपूर्ण प्रतिबंध के पक्ष में हैं और संपूर्ण प्रतिबंध लाने से पहले आप एक बार स्टेट्स से इस ढंग से सलाह करेंगे। उन्होंने इसमें एक शब्द का प्रयोग किया है। —

[अनुवाद]

यह प्रभावी होगा।

[अनुवाद]

उन्होंने यह भी कहा है कि

[अनुवाद]

"संस्तुत विधान के प्रभावी कार्यान्वयन की सम्भाव्यता को ध्यान में रखकर देश में लाटरी के व्यवसाय पर पूर्णतः प्रतिषेध लगाया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

जिसका अर्थ है कि आपके जो भी काम्प्रीहेंसिव लैजिस्लेशन हैं, उनमें जरा सा भी दोष नहीं होना चाहिए जिसके आधार पर कोई प्राइवेट लाटरी वाला कोर्ट में जाकर स्टे ले ले कि यह तो डिस्क्रीमिनेट्री है या कोई और जाकर स्टे ले ले, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। इसीलिए मैं समझता हूं कि आज जो विधेयक हमने प्रस्तुत किया है और उसमें मैं कुछ संशोधन प्रस्तुत करने वाला हूं जो स्टैंडिंग कमेटी ने सुझाए हैं, उनके आधार पर इस बिल को ज्यों का त्यों पास कर दें। इससे जो सीमित प्रतिबंध है वह कायम रहेगा और उस सीमित प्रतिबंध को पूर्ण प्रतिबंध बनाने का सरकार का शासन है वह आश्वासन उसी प्रकार से पूरा होगा जैसा आपने चाहा है।

[अनुवाद]

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : महोदय, आज कोई ऐतिहासिक घटना होने वाली है। समूची सभा इस विषय पर एकमत है। सदस्यों ने अपने व्यक्तिगत विचार व्यक्त कर दिए हैं कि लाटरी व्यवसाय पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि आज के दिन की शुरुआत अच्छी है। कुछ मुद्दों पर हम सभी एकमत हैं यदि यही प्रक्रिया चलती रही तो सभा और अधिक मजबूती से अपना कार्य करेगी।

[हिन्दी]

हमको बार-बार इसका विरोध नहीं करना चाहिए।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय द्वारा आश्वस्त किए जाने के पश्चात् क्या आप अपना प्रस्ताव वापस लेंगे?

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने अपना उत्तर इस प्रकार दिया है कि कोई भी उनसे इसमें अधिक बदलाव के लिए बहस नहीं कर सकता। यह स्पष्ट है कि उन्हें लाटरी व्यवसाय की कोई चिन्ता नहीं है, उन्हें इसमें कोई रुचि नहीं है। मूलतः वह इस बात से पूर्णतः आश्वस्त हैं कि लाटरी व्यवसाय का समर्थन करने का कोई लाभ होने वाला नहीं है।

श्री लालू प्रसाद को इस बात की बड़ी चिन्ता थी कि लाटरी व्यवसाय को कुछ स्वार्थी पार्टियों द्वारा समर्थन दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। समूची सभा का इस विषय पर मतैक्य है।

[डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी]

भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस बारे में अध्यादेश जारी कर दिया गया है और अब यह सभा के समक्ष है एकल अंकीय लाटरी व्यवसाय पर पहले ही प्रतिबंध लगा दिया गया है। गलतफहमी से बचने के लिए हमें इसे स्वीकार करना पड़ेगा। माननीय गृह मंत्री जी ने कहा है कि इस संबंध में यथाशीघ्र एक व्यापक विधेयक लाया जाएगा।

इसमें दूसरा विवाद यह है कि कुछ माननीय मित्र कहते हैं "मुख्यमंत्रियों से सलाह मशविरा मत कीजिए जबकि अन्य कहते हैं, नहीं, हमें मुख्यमंत्रियों से मिलना चाहिए। क्या जरूरत है? इस विषय पर मुख्य मंत्रियों से चर्चा करने में कोई भी हर्ज नहीं है। जब समूची लोकसभा लाटरी व्यवसाय का विरोध कर रही है तो क्या कोई मुख्यमंत्री इसका समर्थन करने का साहस करेगा? हर कोई समाजवाद चाहता है; हर कोई गरीब जनता का स्नेह चाहता है, सबको गरीब के वोट की जरूरत है। कोई भी पार्टी या कोई भी सरकार लाटरी व्यवसाय का समर्थन नहीं करेगी। इसलिए हमें इस विवाद में पड़ने की आवश्यकता नहीं है कि हम मुख्य मंत्रियों की सलाह लें या न लें। सम्मान सूचक के रूप में उन्हें इस मामले की जानकारी देना कोई गलत बात नहीं है। अन्यथा वे उपेक्षित महसूस करेंगे। उन्हें मामले की जानकारी हमेशा दी जा सकती है। केन्द्र द्वारा सभी राज्यों को एक औपचारिक पत्र भेजा जा सकता है। माननीय मंत्री जी पहले ही यह आश्वासन दे चुके हैं कि वह इस विषय पर गृह सचिवों और सभी संबंधित पक्षों के साथ चर्चा करने वाले हैं।

[हिन्दी]

जल्दी-जल्दी में हम करेंगे, तो उसमें कुछ न कुछ गलती हो जाएगी। फिर कोई प्राइवेट आदमी कोर्ट में चला जाए और वहां से स्टे ले आता है, तो वह भी ठीक नहीं है।

[अनुवाद]

इसमें कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव यह है कि हमें इस कार्य को इतनी परिपूर्णता से करना चाहिए कि इस मामले में कोई भी व्यक्ति कोर्ट न जा पाए और 'स्टे आर्डर' न ले सके।

इसके साथ-साथ लाल फीताशाही हमारे देश का हिस्सा बन गयी है।

[हिन्दी]

रेड टेपिज्मि हटाकर ज्यादा प्रायरटी देकर काम करना चाहिए।

[अनुवाद]

उन्हें इसे लम्बा नहीं खींचना चाहिए। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस मामले को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और अधिकारियों को यह अनुदेश दिए जाने चाहिए कि वे तत्काल इस विषय पर अपना कार्य शुरू कर दें और इसमें आने वाली कानूनी पेचिदगियों, नियमों तथा प्रक्रियाओं पर विचार करें।

कुछ माननीय सदस्य नहीं चाहते कि हमें मुख्यमंत्रियों पर निर्भर होना चाहिए। उन्हें वैयक्तिक रूप से इसकी जानकारी दी जा सकती है। माननीय मंत्री जी अपने ओहदे के प्रभाव से यह सुनिश्चित करके कि इसमें कोई विवाद न हो और तदुपरान्त संबंध में शीघ्र ही एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत करें।

सभापति महोदय : आप पहले बोल चुके हैं।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : अन्य माननीय सदस्यों ने अधिक समय लिया है। मुझे दो मिनट और बोलने दीजिए।

सभापति महोदय : आप पहले बोल चुके हैं।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : मैं अपना संकल्प वापस लेने हेतु सभा की अनुमति चाहता हूं। क्योंकि माननीय गृह मंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वह लाटरी व्यवसाय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने हेतु यशाशीघ्र एक व्यापक विधेयक लाएंगे।

सभापति महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना संकल्प वापस लेने हेतु सभा की अनुमति है?

अनेक माननीय सदस्य : जी हां।

संकल्प सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर विचार करने के लिए श्री मोहन सिंह द्वारा पेश किए संशोधन को लेगी।

[हिन्दी]

मोहन सिंह जी, क्या आप अपना अमेंडमेंट प्रेस कर रहे हैं?

श्री मोहन सिंह : जी हां। मुझे इसमें इतना ही कहना है कि किसी भी समवर्ती सूची के विषय पर संसद, यदि दो राज्य भी लिखें, कानून बनाने में सक्षम है। आखिर भारत सरकार शहरी हदबंदी कानून को रिपील करने जा रही है तो सदन की भावनाओं को देखते हुए मैं इसे प्रैस करता हूं क्योंकि सरकार ने इसे टाइम बाउंड नहीं किया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं, श्री मोहन सिंह द्वारा पेश किए गए संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन रखा गया और अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा प्रस्ताव पर विचार करेगी।

श्री मोती लाल बोरा : विधेयक को विचारार्थ लेने से पहले मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मेरा माननीय गृहमंत्री से अनुरोध है कि वे कृपया इसी सत्र में उक्त व्यापक विधेयक लाने हेतु एक निश्चित तारीख बताएं ताकि एक बार में ही लाटरी व्यवसाय पर सदा के लिए पूर्ण प्रतिबंध लग जाए। उन्हें इसी सत्र में ही यह व्यापक विधेयक लाना चाहिए। मेरा यही सुझाव है।

सभापति महोदय : मंत्री महोदय क्या आप इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना चाहेंगे?

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं यह कहना चाहूंगा कि इसके लिए एक प्रक्रिया निर्धारित की गई है और उसके अंतर्गत राज्य के मुख्य मंत्रियों से भी परामर्श करना होता है।

श्री मोती लाल वोरा : कृपया उनसे परामर्श कीजिए।

श्री लाल कृष्ण आडवाणी : मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि मैं इस संबंध में यथाशीघ्र एक व्यापक विधेयक पेश करूंगा। मैं इस बारे में निश्चित रूप से कोई वादा नहीं करना चाहता क्योंकि ऐसा करना कठिन होगा। पहले ही ऐसे कई मुद्दे हैं जिन पर मुझे मुख्यमंत्रियों से परामर्श करना है। इसलिए इस बारे में मैं कोई वादा नहीं कर सकता।

श्री मोतीलाल वोरा : मुख्यमंत्रियों को परामर्श के लिए बुलाना कोई कठिन काम नहीं है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है कि :

"लाटरियों को विनियमित करने तथा उनसे सम्बन्धित या उनके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी। श्री लालकृष्ण आडवाणी।

संशोधन किया गया

पृष्ठ 1,

पंक्ति 9 **के स्थान पर** निम्नलिखित **प्रतिस्थापित** किया जाए :

(क) "लाटरी" का बम्पर ड्रॉ से लाटरी का ऐसा विशेष ड्रा अभिप्रेत है जो किसी त्यौहार या अन्य विशेष अवसर पर या उसके दौरान निकाला जाता है जिसमें प्रस्थापित इनाम की धनराशि उस इनाम की धनराशि से अधिक होती है जो लाटरियों के अन्य सामान्य ड्रा की दशा में प्रस्थापित की जाती है;

(ख) "लाटरी" से उन व्यक्तियों को, जो टिकट क्रय करके किसी; (12)

(श्री लाल कृष्ण आडवाणी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 2, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है "कि खंड 3 संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 4

[हिन्दी]

सभापति महोदय : क्या आप मूव कर रहे हैं?

श्री मोहन सिंह : जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 2, पंक्ति 7 में,

"एकल अंक"

के पश्चात्, जोड़ा जाए

"और तीन अंक" (1)

पृष्ठ 2, पंक्ति 12 में,

"स्वयं करेगी या" के पश्चात् अन्तःस्थापित किया जाए

"प्राधिकृत" (2)

पृष्ठ 2, पंक्ति 18 में,

"संबद्ध राज्य" के पश्चात् अंतःस्थापित किया जाए।

"की राजधानी" (3)

[अनुवाद]

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी :

पृष्ठ 2, पंक्ति 19

"सप्ताह" के स्थान पर "माह" प्रतिस्थापित

किया जाए (4)

पृष्ठ 2, पंक्ति 23

"घ" **के स्थान पर** "तीन" **प्रतिस्थापित** किया जाए। (5)

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 2, पंक्ति 12 और 13, —

"या तो स्वयं करेगी या वितरकों या विक्रय अभिकर्ताओं की मार्फत करोयगी" **के स्थान पर** 'करेगी' **प्रतिस्थापित** किया जाए। (7)

सभापति महोदय : मैं अब खंड 4 के लिए श्री मोहन सिंह द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 1, 2 और 3 को सभा के मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी।

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : मैं इन्हें वापस लेता हूं।

सभापति महोदय : क्या सभा श्री टी॰ सुब्बारामी रेड्डी द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 4 और 5 को वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिए गए।

श्री विजय गोयल : मैं प्रस्ताव करता हूं।

पृष्ठ 2, पंक्ति 7-8,

" (क) इनाम किसी पूर्व घोषित संख्यांक पर या किसी एकल अंक के आधार पर प्रस्थापित नहीं किए जायेंगे;"

के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :

"(क) इनाम किसी पूर्व घोषित संख्यांक पर या किसी एकल अंक या वर्ण संख्यांक के आधार पर अथवा किसी ऐसे रूप में जिसका प्रभाव एकल अंक जैसा ही है, प्रस्थापित नहीं किए जायेंगे;" (9)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : प्रो॰ सैफुद्दीन सोज़

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : मुझे अभी निर्णय लेना है कि मैं वापस लूं या नहीं।

[हिन्दी]

मैं आपके माध्यम से आडवाणी से दरख्वास्त करता हूं कि उन्होंने खुद मान लिया कि इस सदन में ऐसी फिजा बन गई है, जो उन्होंने बहुत देर से नहीं देखी धी और इनके मन में उससे बड़ी शान्ति है। उस शान्ति की फिजा को इन्हें बरकरार रखना है।

यह जो एमेंडमेंट है, इसमें मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि

[अनुवाद]

हम यह क्यूं कहें कि राज्य सरकार स्वयं करेगी या वितरकों या विक्रय अभिकर्ताओं के जरिए करेगी।

[हिन्दी]

इसी में तो गड़बड़ हो जाता है।

[अनुवाद]

इसे विक्रय अभिकर्ता और वितरक क्यों करेंगे? राज्य सरकार को सीधे करने दें।

[हिन्दी]

मगर इससे ज्यादा सवाल मेरा यह है कि आडवाणी जी ने जो विश्वास हमको दिलाया है, उसमें जरा सी खामी है और मैं आपकी वसादत से दरख्वास्त करूंगा ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

मैं अधिक समय नहीं लूंगा।

सभापति महोदय : आप संशोधन वापस ले रहे हैं अथवा नहीं?

[हिन्दी]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : ये एक मिनट फिर खड़े जो जायें और यह कहें, जिससे हमारी तसल्ली हो जाये और यह जो सुकून की फिजा है, यह रहे। यह कहें कि इस सैशन में ये इसे कर सकते हैं : ...*(व्यवधान)* हमारे एक भाई ने यह कहा कि चीफ मिनिस्टर्स की कांफ्रेंस बुलाई जाये, वह बिल्कुल गलत आइडिया है। आडवाणी जी उनको टेलीफोन करें या चिट्ठी लिखें। क्या चीफ मिनिस्टरों को यह समझ में नहीं आ सकता कि लोकसभा में हम लोगों के नुमाइन्दे हैं। जज को इण्टरप्रेट करना है, लेकिन कानून कौन बनाएगा, कानून हम बनाएंगे और हम जो बोल रहे हैं, हम लोगों की तरफ से बोल रहे हैं, इसलिए ये चीफ मिनिस्टरों को लिखें। यह मुमकिन है कि इसी सैशन में यह नया कानून हमारे सामने लाएं। भले ही आप इसमें रूलिंग दे दीजिए कि ये हमको विश्वास दिलायें कि इसी सैशन में ये इसे करेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : मैं इस समय कोई निर्णय नहीं दे सकता।

[हिन्दी]

प्रो॰ सैफुद्दीन सोज : वे कह सकते हैं। यह कहने के बाद मैं इसको विथड्रा करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा प्रो॰ सैफुद्दीन सोज द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 7 को वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : श्री विजय गोयल।

[हिन्दी]

श्री विजय गोयल : जब सारी लाटरी पर पूर्ण प्रतिबंध कुछ दिनों में लगने वाला ही है तो एक क्लाज से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं विथड्रा करता हूं,

[अनुवाद]

सभापति महोदय : क्या सभा श्री विजय गोयल द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 4 को वापस लेने की अनुमति देती है?

संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस लिया गया।

सभापति महोदय : श्री नेपाल चन्द्र दास, मेरे विचार से वे उपस्थित नहीं हैं। श्री लालकृष्ण आडवाणी।

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2,

पंक्ति 13 के **पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तस्थापित** किया जाए :

"(क) लाटरियों की टिकटों के विक्रय का आगम राज्य के लोक खाते में जमा किया जाएगा।" (13)

(श्री लालकृष्ण आडवाणी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 4, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 5

सभापति महोदय : श्री लालकृष्ण आडवाणी

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2,

पंक्ति 25 में "दूसरे राज्य द्वारा" शब्दों के स्थान पर "प्रत्येक अन्य राज्य द्वारा" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं। (14)

(श्री लाल कृष्ण आडवाणी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 5, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 5 संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि खंड 6 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 7

सभापति महोदय : डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी, क्या आप अपना संशोधन पेश कर रहे हैं?

डा॰ टी॰ सुब्बारामी रेड्डी : चूंकि पहले ही यह सहमति हो गई है कि सरकार इस पर प्रतिबंध लगाने जा रही है अतः अब मेरे संशोधन को रखने का कोई औचित्य नहीं है।

सभापति महोदय : श्री लालकृष्ण आडवाणी,

संशोधन किया गया :

पृष्ठ 2,

पंक्ति 31 **के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए** :

"7. (1) जहां कोई लाटरी उस तारीख के पश्चात् जिसको इस अधिनियम को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होती है, राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में आयोजित संचालित या सप्रवर्तित की जाती है तो उस विभाग का अध्यक्ष ऐसे कठोर कारावास से जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा : (7)

परन्तु इस धारा की कोई बात उस विभाग के ऐसे अध्यक्ष को किसी दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर देता है कि उक्त उल्लंघन उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे उल्लंघन के पारित होने को रोकने के लिए सभी सम्यक तत्परता बरती थी।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई उल्लंघन सरकार के किसी विभाग द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि उक्त उल्लंघन उस विभाग के अध्यक्ष से भिन्न किसी अधिकारी की सहमति से या उसकी मौनानुकूलता से किया गया है अथवा उसकी ओर से किसी उपेक्षा के कारण हुआ तात्पर्यित है तो ऐसा अधिकारी भी उस उल्लंघन का दोषी समझा जाएगा और अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का दायी होगा और तदनुसार दण्डित किया जाएगा।

(3) यदि कोई व्यक्ति, इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में आयोजित" (15)

(श्री लाल कृष्ण आडवाणी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7, संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 7, संशोधित रूप में विधेयक में जोड़ दिया गया

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 से 13 विधेयक का अंग बने

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 8 से 13 विधेयक में जोड़ दिए गए

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक के अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री लालकृष्ण आडवाणी : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाए,"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.53 बजे

अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अगली मद वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की मागें (रेल) पर चर्चा तथा मतदान है।

वर्ष 1998-99 के लिए अनुदानों की मागों (रेल) को उन पर सभा द्वारा चर्चा और मतदान हेतु लेने से पूर्व प्रतिवेदन देने के लिए रेल संबंधी स्थायी समिति को सौंपा गया था। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि इस समिति ने अपना प्रतिवेदन अभी तक सभा को प्रस्तुत नहीं किया है। चूंकि रेल बजट पारित करने के लिए उपलब्ध समय बहुत कम है इसलिए सभा को प्रक्रिया नियमों का नियम 331छ(घ) को अनुदानों की मांगों (रेल), 1998-99 पर प्रयोज्यता की दृष्टि से निर्लंबित करना है। मुझे आशा है कि सभा इस नियम को निर्लंबित करने के लिए सहमत है।

अनेक माननीय सदस्य : जी हां,

सभापति महोदय : अब सभा अनुदानों की मांगों पर चर्चा तथा मतदान आरंभ करेगी।

श्री वारकला राधाकृष्णन (चिरियाकिल) : महोदय, सभा के समक्ष कोई तर्कसंगत कारण नहीं है कि समिति अपना प्रतिवेदन क्यों नहीं प्रस्तुत कर सकी?

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह (बेगूसराय) : समिति ने रिपोर्ट दे दी है, उसको अवायड करके आप यह जो व्यवस्था कर रहे हैं इससे गड़बड़ हो जाएगी।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : यह पूर्वोदाहरण नहीं बनना चाहिए।

सभापति महोदय : मेरी एक बात सुनिए। कटौती प्रस्तावों को देने के लिए पन्द्रह मिनट दिए गए हैं, अब समय छह बजने को पांच मिनट हो गया है। मेरे विचार से कटौती प्रस्ताव अब सोमवार को ही दिए जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजो सिंह : महोदय, समिति ने रिपोर्ट दे दी है। कमेटी की रिपोर्टों को एवायड करके आप इसको पास नहीं कर सकते हैं। सारा गड़बड़ हो जाएगा। सोमवार को पास हो जाएगा। ...*(व्यवधान)*

रेल मंत्री (श्री नीतिश कुमार) : महोदय, मेरा कहना है कि इसको सोमवार को ले लिया जाए। वे नए सदस्य हैं, इसलिए बोल रहे हैं। हो सकता है, उन्होंने सैक्रेटेरिएट से संबंधित अपना काम कर दिया हो, लेकिन प्रैजेंट नहीं हुआ हो। हो सकता है, स्टैंडिंग कमेटी ने अपना काम कर दिया हो।

श्री राजो सिंह : समिति के चेयरमैन ममता बनर्जी जी हैं। वे मौजूद नहीं है, इसलिए पेश नहीं हुआ होगा।

श्री नीतिश कुमार : आपकी इस बात पर एतराज कहां है। रिपोर्ट को सदन में प्रस्तुत करना समिति का काम है। इससे सरकार का कोई रिश्ता नहीं है, जैसा कि आप बोल रहे हैं। चेयर ने कहा कि इसको आगे लिया जा सकता है, यह आपकी मर्जी है। लेकिन हमारा आग्रह है कि इसको सोमवार को लिया जाए।

सभापति महोदय : सोमवार को लिया जाएगा। अभी तो समय भी नहीं है।

[अनुवाद]

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, जब हमसे नियम को निलम्बित करने के लिए कहा गया है तो सत्ता पक्ष की ओर से कोई तर्कसंगत कारण बताया जाना चाहिए कि समिति की बैठक क्यों नहीं हुई।

सभापति महोदय : मैंने सभा की राय ले ली है कि इसे निलम्बित किया जाए

श्री वारकला राधाकृष्णन : यह एक पूर्वोदाहरण नहीं होना चाहिए।

सभापति महोदय : यह एक पूर्वोदाहरण नहीं है। हमेशा ऐसा होता है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : समिति की बैठक क्यों नहीं हुई?

सभापति महोदय : यह पूछना अध्यक्षपीठ का कार्य नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन : सभा को इस बारे में जानकारी होनी चाहिए।

सभापति महोदय : यह मेरा कार्य नहीं है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : महोदय, सभा को जानकारी होनी चाहिए कि समिति की बैठक क्यों नहीं हुई।

सभापति महोदय : चाहे कारण जो भी रहे हों स्थायी समिति का प्रतिवेदन सभा को नहीं सौंपा गया। इसलिए सभा के पास अनुदानों की मांगों को पारित करने के लिए नियम को निलम्बित करने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है।

श्री वारकला राधाकृष्णन : किंतु सभा को इसका कारण पता होना चाहिए।

सभापति महोदय : अब सभा सोमवार, 6 जुलाई, 1998 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.57 बजे

तत्पश्चात् लोकसभा सोमवार, 6 जुलाई, 1998/15 आषाढ़, 1920 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पी. एल. एस.--48/3/15/98 (एन.)
220

1

© 1998 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम (आठवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और डाटा प्वाईंट कम्प्यूटिंग टैक्नोलोजी (इंडिया) प्रा.लि., जनक पुरी, नई दिल्ली--58 द्वारा मुद्रित।